an>

Title: Further discussion on the Demands for Grants No. 82 and 83 under the Ministry of Social Justice and Empowerment (Discussion concluded).

माननीय सभापति :क्रम संख्या 20 - सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय पर आगे बहस। माननीय सदस्यगण समय की सीमा का ध्यान रखेंगे क्योंकि आज ही मंत्री जी का जवाब है और दूसरी डिमांड भी लेनी है।

श्री दष्षÂयंत चौटाला जी, आप बोलिए।

श्री दुÂष्यंत चौटाला (हिसार) : माननीय सभापति महोदय, मैंने शुक्रवार को सामाजिक न्याय पर चर्चा के दौरान बताया था कि आज भी हमारे बुजुर्गों को केन्द्र सरकार की ओर से वृद्धावस्था पैंशन 60 से 80 वर्ष की आयु में केवल मात्र 200 रुपये और 80 वÂर्ष की आयु से ऊपर 500 रुपये मिलती है। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी देश को बताने का काम करें कि क्यों आज तीस सालों में भी हम अपने बुजुर्गों को न्याय नहीं दिला पाए।

मुझसे पूर्व सभी सांसदों ने एक बात रखी कि इस विभाग के तहत अलग-अलग कोटों के माध्यम से स्कॉलरशिप मिलती है। मैं भारत सरकार से पूछना चाहूंगा कि जो अंडर-मैट्रिकुलेट स्कॉलरशिप सरकार की ओर से दी जाती है, उसमें हरियाणा के साथ भेदभाव कैसे रहा? हरियाणा में अंडर-मैट्रिकुलेट स्कॉलरशिप में एक रुपये का भी रिलीज़ प्रदेश सरकार को नहीं दिया गया जिसकी वजह से आज भी चाहे शैडयूल्ड कास्ट्स के लोग हों, युवा साथी उस स्कॉलरशिप का लाभ नहीं उठा पाए।

आपके महकमे में हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का 125वां जन्म दिवस मनाते हैं। आप उनके नाम पर एक फाउंडेशन चलाने का काम करते हैं। मेरा संज्ञान है कि उस फाउंडेशन में निरंतर 1500 करोड़ रुपये का एक रनिंग फंड भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। लेकिन आज भी अगर हम सांसदगण किसी के मुफ्त इलाज की चर्चा करते हैं तो हमें प्रधान मंत्री जी को लिखकर भेजना पड़ता है। अम्बेडकर फाउंडेशन बहुत स्पीडी रिलीज़ ऑफ मनी करता है। क्यों नहीं आपका विभाग इसे और ब्रॉडर स्केल तक देश की जनता के बीच पहुंचाने का काम करे जिसके तहत हमारे शैडयूल्ड कास्ट्स, शैडयूल्ड ट्राइब्स युवा साथी और बुजुर्ग जो बीमार होते हैं, उन्हें ज्यादा से ज्यादा लाभ इस योजना के तहत पहुंचा पाएं। इस योजना के तहत उन्हें जल्द से जल्द मेडिकल बैनिफिट्स पहुंचाने का काम कर सकें।

आज आप फिज़िकली इम्पेयर्ड या हैंडिकैप्ड लोगों के लिए कैम्प लगाने का काम कर रहे हैं। मेरे संज्ञान में आया है कि आपके महकमे ने पूरे देश में 130 से ऊपर मेगा कैम्प लगाने का काम किया। मैंने भी अपने लोक सभा और हरियाणा प्रदेश के लिए निरंतर लिखने का काम किया है कि जल्द से जल्द मेगा कैम्प, जिसमें हियरिंग एड्स की मशीनें, डिसेबल्ड लोगों के लिए स्विशा, अलग-अलग सुविधाएं जो इस कैम्प के तहत दी जाती हैं, मैं भारत सरकार से पूछना चाहूंगा कि हरियाणा प्रदेश के दस लोक सभा क्षेत्रों में कब तक मेगा कैम्प का कार्य करवाने का काम करेंगे जिसके तहत गरीब, पिछड़े, शोÂिात, पीड़ित व्यक्ति तक हम इसका लाभ पहुंचा पाएं।

आपके महकमे में अलग-अलग वर्ग को बहुत ज्यादा अनुदान दिया जाता है। आज मुझे दुख होता है क्योंकि पिछले सप्ताह हमने स्किल डैवलपमैंट के बारे में चर्चा की। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आपका 5600 करोड़ रुपये का फंड है। क्या इस फंड के तहत आपने कोई योजना बनाई है क्योंकि हम स्किल डैवलपमैंट में फोकस करते हैं? स्किल डैवलप की जा सकती है। उसमें कुछ स्पैसीफिकेशन किया जा सकता है तो वह यह है कि अगर कोई कारपैंटर है तो उसे उसी जॉब में बेहतर किया जाए। लेकिन जब हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो क्या आपके महकमे ने कोई कदम उठाया है जिसके तहत एक कारपैंटर को हम एक बिजनसमैन बनाने का काम करें।

एक कुम्हार मटका बनाता है, उसको उस प्रोफेशन के अंदर उससे ऊंचे पद पर ले जाने का काम करें, एक कारीगर फैक्ट्री में काम करता है, डे टु डे अर्निंग करता है, क्या आपका महकमा ने आज तक कोई कदम उठाया है जिससे वह उस फैक्ट्री में मैनेजर बन पाए। सामाजिक न्याय तभी मिलेगा जब एक गरीब शोÂिात पीड़ित अपने महकमे में आगे बढ़ेगा। स्किल डेवलपमेंट पर चर्चा के दौरान कई सांसदों ने यह बात रखी थी कि आज सबसे जरूरी है हम एक आदमी को सक्षम बनाएं।

सभापति महोदय, मैं एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं, सामाजिक न्याय की बात है। सभी छोटी पार्टियां बची हैं इसलिए हमें भी न्याय की जरूरत है। क्या इस मंत्रालय के अंदर आने वाले समय में भारत सरकार कोई कदम उठाएगी जिससे गरीब व्यक्ति है, उसको उसी के प्रोफेशन में आगे ले जा पाएंगे। उसे एक लीडर बनाकर आगे ले जाने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी निरंतर बोलती हैं और खुद प्रधानमंत्री जी अपने मुंह से बोला करते थे कि वह चाय बेचा करते थे और आज इस देश के प्रधानमंत्री हैं, वह एक एग्जाम्पल है। क्या आने वाले समय में प्रधानमंत्री इस एम को आगे लेकर जाएंगे उनके जैसे एग्जाम्पल इस देश में सेट करने का काम करे। मेरा आग्रह है कि न्याय सभी के लिए बराबर होना चाहिए।

*PROF. RICHARD HAY (NOMINATED): At the outset, I compliment the Hon. Prime Minister and the Hon Minister of Social Justice for taking actions to protect the lives of the vulnerable sections of the society by introducing befitting schemes.

Senior citizens welfare has been a major concern world over. They face impairment in mobility, hearing, affliction of pain, incontinence, memory loss and above all, the apathy of the society towards them. Some of them are depressed and live with fear and mental disorders too. Alzheimer's and Parkinson's diseases have become common. Society, by and large, despises them and castrates them from social life. Children abandon them. Some are even sent to mental asylums by their own kith and kin. Hence their life become pathetic. In such a precarious situation faced by the senior citizens, I urge upon the Government of India to enhance the amount of old age pension provided. The Government of India is also requested to provide health care to these hapless citizens by ensuring frequent visits by the medical staff, especially to those who face problems of immobility.

In many western countries, condominium facilities are provided to the elderly so that they can enjoy safe and secure life, and live with dignity. The Government also can consider opening dedicated old age peoples villages, which could be jointly funded by the Social Welfare Ministry and NGOs.

It is noted that no provision has been made for the construction of Old Age Home for indigent senior citizens. Hence budgetary provision should be made. Each district should have one old age home funded and managed by the Centre.

A helpline for the senior citizens should be provided in all States. The local police can be made to collect and maintain data of all the senior citizens in their locality to ensure safety and security for them. The Thahsildar of the taluk and the Social Welfare department should collect and update data about the number of senior citizens with their details and use this data to ensure that they receive all benefits meant for them.

The Ministry of Social Justice can also take the initiative to train volunteers and NGOs so that they will be well equipped to serve the senior citizens, for which grant-in aid can be provided to the NGOs. I take this opportunity to congratulate the GOI for providing free dialysis services in all district hospitals which could be extended to taluk hospitals in the near future and for providing quality medicines at affordable prices, which provide great help to the senior citizens too.

*SHRI BHARTRUHARI MAHTAB(CUTTACK): This Ministry is a continuation of the erstwhile Ministry of Welfare which was bifurcated in 1985-86 into Department of Women and Child Development and the Department of Welfare. Simultaneously, the Scheduled Castes Development Division, Tribal Development Division was the Minorities and Backward Classes Welfare Division, were shifted from the Ministry of Home Affairs and also the Wakf Division from the Ministry of Law to form the then Ministry of Welfare. Subsequently, the name of the Ministry was changed to the Ministry of Social Justice and Empowerment in May, 1998. In October, 1999 the Tribal Development Division moved out to form a separate Ministry of Tribal Affairs. In January 2007, the Minorities Division along with Wakf Unit also shifted away from the Ministry and was formed as separate Ministry. Today we have two departments - one, Department of Social Justice and Empowerment and two, Department of Empowerment of Persons with Disabilities. The mandate of this Ministry is mainly to empower socially and economically marginalized target groups.

Part IV of our Constitution lays down certain " Directive Principle of State Policy" which though not enforceable by any Court " are nevertheless fundamental in the governance of the country " and " it shall be the duty of the State of apply" them in making laws.

The year 2016-17 is the last year of the 12th Five Year Plan, which began with the ambitious vision of "faster, more inclusive and sustainable growth", while inclusion was one of the pillars of both the 11th as well as the 12th Five Year Plans, the achievement of this objective still remains an elusive goal. Dalits continue to remain on the fringes of society, facing discrimination, unequal opportunities and restricted access to essential services. The recommendation of 14th Finance Commission has changed the fund sharing pattern of Centrally sponsored schemes and the proposal to discontinue the distinction between the Plan and Non-Plan expenditure from next year are crucial in this regard.

The budgetary outlays for Scheduled Castes were fully protected in the restructuring of the last Union Budget and the Schemes for their development from the "Core of the core" group of schemes, as per the recommendations of the NITI Sub-Group of Chief Ministers on Restructuring of CSS. The budgetary outlays for the Ministry of Social Justice and Empowerment have been protected in the Budget 2016-17. However, the Ministry's outlays have seen only a marginal increase of Rs.40 crore over 2016-17. The Ministry had asked for higher allocation even in the last fiscal but the demand remains unmet even in this budget. At the same time, the outlays in the Scheduled Caste Sub Plan have also witnessed a steep decline since 2014-15 when it was around Rs.43000 crore. Under utilization of funds is a major concern for the schemes under this Ministry which is also one of the reasons cited by the Government for not increasing the allocations for the Ministry. Primary reasons may be late submission of proposals by the States but implementation of some important schemes like elimination of manual scavenging is getting adversely affected. Manual scavenging is a caste-based occupation. Though it has been constitutionally banned for more than 20 years now, it is still widely prevalent in the country. As per Supreme Court Judgment, in the case of Safai Karamchari Andolan and Others Versus Union of India and others delivered in March 2014, there are 96 lakh dry latrines in India, all of which obviously employ people cleaning them. The Employment of Manual Scavengers and Construction of Dry Latrines (Prohibition) Act of 1993 explicitly banned the practice of manual scavenging and continuance of dry latrines. This Act was riddled with loopholes and was never adequately implemented as it was limited to six states and this made no impact. In 2013, Parliament passed another Act called the Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act. This was much more comprehensive. It indentified manual scavengers and provision is there to provide alternate employment to them. The act also covered workers involved in cleaning sewers, tanks and open railway tracks.

Further, in March 2014, the Supreme Court had declared that practice of manual scavenging is violation of Article 14, 17, 21 and 23 of the Constitution. Frankly speaking, there is no dearth of other purposes or sectors. Yet several instances have come to light in quite a few States where SCSP funds have been diverted for other purposes such as expenditure on the construction of roads, bridges, stadiums, buildings and other State owned assets like hospitals, flyovers and engineering colleges.

I, therefore, demand that a separate unit be created within NITI with powers to review, monitor and direct the concerned Ministries to ensure effective implementation of the Scheduled Castes Sub Plan. Similar is the case of construction of Babu Jagjivan Ram Chhatravas Yojna - Girls and Boys Hostels for SC students. The Department is unable to utilize the allocated budget for construction of hostels under this scheme, especially for boys. As Union Government's commitment is up to 55 per cent of the total cost, implementing agencies such as NGOs and Deemed Universities in private sector do not seek assistance. Even State Universities are sending proposals to the Department. When this is the case, attempt should be made first to consider lowering down the percentage of present commitment of Implementation Agencies and also raise the Central assistance from current 45 per cent to a reasonable level, so as to attract funds under the scheme. In this age of internet, why isn't the Department start online submission of proposals? Similarly, execution of building Hostels has been dismal. When the target of building hostels of 2500 seats was there in 2015-16, only three hostels with 372 seats for boys have been built. Why can't Government address to this issue in full earnest? Plight of transgender person is very glaring. They have special needs which need to be addressed differently. I urge upon the Government to bring in a law protecting their rights and interest for the welfare of the transgender community. I would also urge upon the Government that keeping the increase of old persons in the country, adequate provisions be made to provide them health support through financial help.

Backward Class need special attention. They need to be empowered through various educational schemes. Scholarship schemes for OBCs is important but one is shocked to find that the rates of scholarship are Rs. 25 for Class IX to X which is too less to be used for any purpose. This needs to be increased which has not been done for last 18 years.

As per Census 2011, there are 2 crore 68 lakh persons with disabilities in India, who constitute 2.21 percent of the total population. The Constitution provides six Fundamental rights to all the citizens including the persons with disabilities. 12th Plan outlay for this Department was Rs.3284 crore. The accumulative expenditure during last four years from 2012-13 to 2015-16 has been Rs. 1374.87 crore. There is a necessity to

set up separate Disability Department in each State to provide necessary benefits of the schemes. Only 4 states namely UP, Odisha, Tamil Nadu and Karnataka have separate Departments. The rest of the States is looked after by Officers having an additional charge. When more than 2.21% of the total population constitute persons with Disabilities, they cannot be left behind. I would urge upon the Government to impress upon the respective State Governments to address the concerns, problems and difficulties of the Disables and bring them into mainstream of our Society.

साध्वी सावित्री बाई फूले (बहराइच) : सभापति महोदय, समाज कल्याण विभाग के बजट पर बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूं। मैं माननीय मंत्री श्री थावर चंद गहलोत जी का आभार व्यक्त करती हूं जिन्होंने बहुत अच्छा आम बजट प्रस्तुत किया है। मैं बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ी हूं। बजट का समर्थन करते हुए अपना सुझाव सदन के सामने रखना चाहती हूं। समाज कल्याण विभाग एक ऐसा विभाग है जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी और अन्य सताए गए समाज के लोगों के लिए व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई है लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आजादी के 68 साल बीत जाने के बाद भी आज तक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जातियों के लिए संपूर्ण रूप से व्यवस्था लागू नहीं की गई। देश में 50-55 वÂर्षों तक कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है यदि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने चाही होती तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जातियों की दशा ऐसी न होती। देश में 1947 के पहले भारत साढ़े छह सालों तक मुगलों का गुलाम था और डेढ़ सौ साल तक अंग्रेजों का गुलाम रहा। इस गुलामी से छुटकारा दिलाने के बजाए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जातियों के लोगों की आशा पर पानी फेरा गया। सबसे पहले गरीबों को निशाना बनाया गया, गरीबों ने बलिदान देकर देश को आजाद कराया था। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जाति के लोग दो तरह से गुलाम थे, एक अंग्रेजों के गुलाम थे और दूसरे छुआछूत, ऊंच-नीच भेदभाव, छलकपट और गरीब-अमीरी से जूझ रहे थे। हमारे समाज के लोगों को आशा थी कि देश आजाद होगा तो हम भी आजाद होंगे, हमें भी दो जून की रोटी मिलेगी, तन पर कपड़ा होगा, खेती करने के लिए जमीन होगी और रहने के लिए मकान होगा, ऊँच-नीच समाप्त होगा और हम बराबरी का जीवन जी सकेंगे। बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि आजादी के 68 साल बीत जाने के बाद भी इस समाज के लोगों की जो दशा-दिशा है उसमें आज भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

हमारे समाज के लोगों के साथ अत्याचार हुआ है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जातियों के लिए सैकड़ों एकड़ जमीन हुआ करती थी, हमारे समाज के लोगों की जमीनें जबर्दस्ती कब्जा कर ली गई, सामूहिक हत्याएं की गई, गांव के गांव फूंक दिए गए, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोग मूकदर्शक बन कर देखते रह गए। हमारे समाज के लोगों के साथ जिस तरह से अत्याचार हुआ है आज हमारे देश में देखने-सुनने को मिलता है चाहे वह पंजाब हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश या हरियाणा हो ऐसे तमाम प्रदेश हैं जहां नशा के चलते इस समाज के लोगों की स्थिति इतनी भयावह हो गई है कि दो जून की रोटी भी मुश्किल हो गई है।

माननीय सभापति जी, मैं कहना चाहती हूं कि यदि किसी जाति को खत्म करना है, तो उसके इतिहास को मिटा दो, वह जाति अपने आप समाप्त हो जाएगी। हमारे समाज के लोगों को मिटाने का काम, हमारे देश के लोगों की दुर्दशा करने का काम अगर किसी ने किया है, तो वह कांग्रेस पार्टी के लोगों ने किया है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में हमारे लोगों को हर प्रकार से समाप्त करने का काम किया गया, फिर चाहे वह नशा हो या शिक्षा। हमारे समाज के लोग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोग जब स्कूलों में एडमीशन कराने जाते हैं, तो उन्हें एडमीशन नहीं दिया जाता है। अगर किसी कारण उनका एडमीशन भी हो गया हो, तो स्कूल में जाने पर उनके साथ बहुत भेदभाव किया जाता है और उनके साथ छुआछूत बरती जाती है, जिससे वे आत्महत्या कर लेते हैं या फिर स्कूल छोड़कर घर बैठ जाते हैं। पहले तो हमारे समाज के लोगों को शिक्षा से ही वंचित कर दिया गया था। पुराने समय का एक वाक्य लागू किया गया कि "स्त्री शूद्रो विद्या नार्यताम्" यानी स्त्री और शूद्रों को विद्या और ज्ञान नहीं देना चाहिए, लेकिन हमारे महापुरुÂाों ने अपनी जानों की कुर्बानी देकर देश को आजाद कराने का काम किया और इसके साथ ही साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहती हूं कि बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी की जो सोच थी, जो वे चाह रहे थे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए हमारे समाज के लोग आगे बढ़ें और उन्होंने भारत के संविधान में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित संविधान की रचना की। संविधान की रचना के बाद जब उन्होंने भारत के संविधान में व्यवस्था दी, तो उसे भी पूरी तरह से लागू नहीं किया गया। अगर भारत का संविधान पूरी तरह से लागू कर दिया गया होता, तो आज हमारे समाज के लोग बहुत आगे बढ़ गए होते।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहती हूं कि बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी के अनुयाई उन्हें भारत-रत्न दिलाने के लिए लगातार आन्दोलन करते रहे, लेकिन 50-55 साल के कार्यकाल में कांग्रेस पार्टी के लोग आनाकानी करते रहे। मैं आभारी हूं अपने देश के पूर्व प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की, जिनके कार्यकाल में उन्हें यह सम्मान दिया गया। ...(व्यवधान)...

माननीय सभापति : अब आप समाप्त कीजिए।

साध्वी सावित्री बाई फूले : माननीय सभापति महोदय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अनुदान की मांगों पर बहस हो रही है। इस मंत्रालय का संबंध विशेÂष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों से है। इसलिए मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया जाए। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करना चाहती हूं कि मैं अपने क्षेत्र के बारे में कुछ नहीं कह सकी हूं। इसलिए मुझे थोड़ा टाइम दिया जाए, ताकि मैं अपने क्षेत्र की समस्याओं से सदन को अवगत करा सकूं। मैं कहना चाहती हूं कि बाबा साहबे डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए जो व्यवस्था दी थी ...(व्यवधान)...

माननीय सभापति महोदय, मैं बार-बार नहीं बोलती हूं। मुझे बोलने का अवसर दिया जाए। ...(व्यवधान)...

माननीय सभापति: माननीय महोदया, समय सीमा है। आप कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

साध्वी सावित्री बाई फूले : महोदय, मैं कहना चाहती हूं कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए जो 22 प्रतिशत आरक्षण दिया गया था, उसमें से मात्र 19 प्रतिशत आरक्षण अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को मिल रहा है। बाकी लाभ अभी तक इन वर्गों के लोगों को नहीं मिला है। ...(व्यवधान)... यही हाल पिछड़ी जातियों का है। समाज की पिछड़ी जातियों को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है, जो भारत के संविधान में है। ...(व्यवधान)...माननीय सभापति महोदय, इस प्रकार से तो महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है। ...(व्यवधान)...

*SHRIMATI SUPRIYA SULE (BARAMATI): It is clear that there is a new conceptualization for the "social sector" that appears to be focused on skills, employment and entrepreneurship rather than education or even basic health. The 'schemes' for socially marginalized groups -SC/ST/ minorities or women are also geared towards skill enhancement and entrepreneurship, despite the fact that the majority within these groups, are yet to be in a position to take advantage of such initiatives.

As per the Standing Committee report on Demand for Grants 2015-16, the Committee were informed that only two applications were received, that too, were found unsuitable under the National Overseas Scholarship Schemes for Students with Disabilities. The Committee could not fathom the reasons for receipt of only two applications under such an important scheme in a country where PWD are in considerable number. The Department also did not try to gauge the grounds for receiving only these two applications. In Committee's view, either the students with disabilities are not at all aware of the Scheme due to insufficient publicity or an eligibility criterion for the students is complicated. The Committee also feel that the Department should have reached out to the candidates, sorted out the shortcomings in their applications, relaxed the norms to the extent possible and helped them to avail the Scholarship.

The Committee further stated that the Department is silent on simplification of the criteria/norms and procedure for applying these scholarship schemes. The Committee, therefore, once again recommend that sincere and concerted efforts should be made by the Department of Empowerment of Persons with disabilities to relax the norms and simplify the procedure for availing the benefits of these schemes by the students with disabilities.

I would urge the government to urgently act on the recommendation made by the Committee for the betterment of the disabled in the country. The funds allocated for Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities have been under utilized as the revised estimate 2015-16 is 708 crore rupees whereas the budget estimate 2015-16 was Rs.1058 crore.

The Committee had also mentioned the under utilization of funds allocated for north eastern regions. As can be seen by comparing the budget and revised estimate 2015-16, the utilization of funds was satisfactory in the year 2015-16.

The Committee noted that the expenditure of funds in the Deendayal Disabled Rehabilitation Scheme (DDRS) had been low from the year 2012-1013 onwards, less than 50% of the B.E. The Department had reduced the BE of the scheme in the year 2015-16 to Rs. 60crore i.e. almost 50% of the previous year allocation. The Committee had desired the Department to introspect and look into the reasons as to why the Scheme could not achieved its physical and financial targets. The Committee had been informed that the Scheme was also to be revised. The Committee were unhappy to note that the Ministry have not completed even procedural formalities till date in respect of revision of such an important NGO centric scheme.

I would urge the government to please state the steps taken in this direction and progress made on Committee's recommendations.

*SHRI ANURAG SINGH THAKUR (HAMIRPUR): I support the Demand for grants of the Ministry of Social Justice and Empowerment. This is an important ministry that looks into welfare of the most vulnerable strata of our society - from Scheduled Castes, Other Backward Classes, Denotified, Nomadic and Semi-Nomadic Tribes, Persons with Disabilities, Person in Destitute to Safai Karmcharis, etc.

Under the leadership of our honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi, during the year 2015, Ministry of social Justice and Empowerment has launched various initiatives for the welfare of the needy. These initiatives include financial support to the target groups, rehabilitation of beggars, and result oriented skill development programmes. Let me take this opportunity to highlight of some of key initiatives of the Ministry.

Starting with the Accessible India Campaign (Sugamya Bharat Abhiyan) that the ministry has launched in December'2015, it aims at achieving universal accessibility for Persons with Disabilities and to create an enabling and barrier free environment, with a focus on three verticals: Built Environment; Public Transportation and Information & Communication Technologies. It was launched on 3rd December 2015, commemorating International Day of Persons with Disabilities. It will be taken up in 75 select cities to start with. I would also like to request the Minister to include cities like Shimla, Dharmshala, Manali under the scheme.

Moving on to the steps taken by the ministry to promote entrepreneurship, the Ministry has set up a Venture Capital Fund of Rs. 200 Crore for Scheduled Caste Entrepreneurs, registered with SEBI. Credit Enhancement Guarantee Scheme for young Scheduled Caste Entrepreneurs is launched with a budget of Rs. 200 crore to facilitate concessional finance. I strongly feel this has huge potential to encourage entrepreneurship among SC and result in job creation.

I am happy to see Rs. 500 crore have been allotted in the budget for Stand Up India scheme, to promote entrepreneurship among SC/ST and women. This is in line with the Prime Minister's call for promoting entrepreneurship among SC/ST to become job providers rather than job seekers. This Scheme will facilities at least two such projects per bank branch, one for each category of entrepreneur. This will benefit at least 2.5 lakh entrepreneurs.

The Ministry has continuously worked to propagate the ideas of Dr. Ambedkar. Setting up of a Dr. Ambedkar International Centre for Social Justice in Delhi is a welcome step in this direction. Steps taken by the ministry to propagate Dr. Ambedkar's ideas is welcome. Further, the Braille edition of Dr. Ambedkar writings and speeches released would end the wait for the thousands, if not lakhs of visually impaired to understand the greatness of Dr. Ambedkar after 68 years of Independence.

The major contribution by the Ministry has been towards imparting Skill Development training to SCs, STs and OBCs. The facts state that the

National Scheduled Caste Finance Development Corporation provided skill development training to 13258 trainees during 2014-15, National Safai Karmacharis Finance Development Corporation provided skill development training to 8750 trainees during 2014-15, Commercial Motor Driving Training with self defense skills for women imparted by National Safai Karmacharis Finance Development Corporation, National Backward Classes Finance Development Corporation provided skill development training to 13510 trainees during 2014-15 and National Action Plan for Skill Training of Persons With Disabilities has been launched by which 25 Lakh PWDs will be skill trained by the year 2022. These are just not numbers- these are the aspirations for lakhs of individuals who for the first time have a government that works for uplifting them, their low social and economic status- thanks to the previous government.

The Ministry has also launched new Scholarship schemes namely, National Fellowship for OBCs which was launched and implemented through UGC as well as Dr. Ambedkar Post Matric Scholarship Scheme for Economically Backward Classes launched. This would contribute a long way in bridging the gap of educational inequity that backward classes continue to face in the higher education.

Continuing with its mission of identifying and re-evaluating the communities under the Ministry's jurisdiction, a welcome step of setting up of National Commission for Denotfied, Nomadic and Semi-Nomadic Tribes (NCDNT) has been made that will prepare a state-wise list of Denotified, Nomadic and Semi-Nomadic Tribes communities who are not included in SC/ST/OBC and to asses welfare measures for these communities. The Ministry has further launched 10 new/ revised Schemes for the welfare of persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities through the National Trust. Continuing with the Swachh Bharat Mission, the National Safai Karmacharis Finance Development Corporation launched Swachhta Udyami Yojana for financing viable community toilet projects and garbage collection vehicles. The scheme for establishment of College for deaf in each of the five regions of the country is a remarkable step that will provide equal educational opportunities to hearing impaired students for pursuing higher studies and improve the chances of employability and better quality of life through higher education.

A draft Bill, Person in Destitute (Protection Care & Rehabilitation) Bill 2015 has been circulated to all States / UTs for their comments/ suggestions. Also, the Ministry is framing the Rights of Transgender Persons Bill to empower them to lead a dignified life. I request the Ministry to fast track the process on such crucial bills and take all steps to make it a law at the soonest.

I am glad that in the budget 2016-17, significant increase has also been made in the allocation of SC Sub Plan. Rs. 38,832 crore has been allocated under this head, while in the last budget this allocation was only Rs. 30,000 crore. These measures show that welfare of the vulnerable sections of the society, including SC/ST is in the top of the agenda of the Government.

Finally, Social Justice and Empowerment Ministry was allocated Rs.7,350 crore in the Union Budget for the next fiscal, an increase of 11.69% over the last budget. The Social Justice and Empowerment Department has received Rs.6,565.95 crore, a hike of over Rs.595.5 crore and the Department of Disability Affairs has received Rs.783.56 crore, a raise of nearly Rs.173 crore in 2016-17, compared to the revised estimates for 2015-16. Important schemes like the Self Employment Scheme of Liberation and Rehabilitation of Scavengers has been earmarked Rs.9 crore. The allocation for total Welfare of Persons with Disabilities is up by over Rs.160 crore this year, which has been allocated Rs.527.93 crore. Allocation for Aids and Appliances for differently-abled people has also been increased to Rs.117 crore.

These increases in the budgetary allocations are positive indications of the government's motive for the vulnerable and the destitute. It will grant them their basic rights of education, employment and empowerment that should have been granted to them within years of Independence but delayed due to the wrong intentions of the previous governments. The steps taken by the Ministry has been tremendous as mentioned above under the leadership of our Prime Minister, Shri Narendra Modi and the Minister, Shri Thaawar Chand Gehlot. The budget will boost empowerment to the communities to stand up and lead a dignified life. Hence, I support the ministry's demand for grants.

*__श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (मेहसाणा)-__ मैं मंत्री जी द्वारा लाई गई अनुपूरक मांगों के प्रस्ताव का अनुमोदन करती हूँ।

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का गठन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय में से 29 जनवरी, 2006 को अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों अर्थात् मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, सिक्ख, पारसियों तथा जैनियों से संबंधित मामलों पर बल देने के लिए सृजित किया गया था। इस मंत्रालय का अधिदेश अल्पसंख्यक समुदायों के लाभ के लिए समय नीति तैयार करने और योजना, समन्वयन, मूल्यांकन, विनियामक ढांचे एवं विकास कार्यक्रमों की समीक्षा करना है।

आरंभ में अल्पसंख्यकों के लिए केवल 7 कल्याण योजनाएंÃ¬ थीं। इसके पश्चात् मंत्रालय द्वारा नवीन कल्याण योजनाओं का शुभारंभ किया गया और इस समय मंत्रालय द्वारा 17 योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। इसके परिणामस्वरूप वर्तमान में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।

आज भी एस.सी., एस.टी. पर अत्याचार भिन्न-भिन्न स्वरूप से हो रहा है। इसके तहत 1989 के एस.सी., एस.टी. विरोधी कानून में बदलाव लाकर 2016 में सजा-ए-दंड, सजा-ए-जुर्माना बगैरह में बढ़ोत्तरी की गई है। उनको सामाजिक न्याय देने में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने सच में एक सराहनीय कदम उठाया है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी ने स्टैण्ड अप इंडिया का नहीं बल्कि दलित स्टैण्ड अप चुनावी कार्यक्रमों का उद्घाटन किया है। ई-स्वेशा और बैंक लोन आदि वितरण का काम दलितों के लिए प्रोत्साहनवर्द्धक रहा है। इससे दलित व कमज़ोर लोगों को रोज़गार प्राप्त होगा और वह अपनी आजीविका कमा सकेंगे।

मुद्रा योजना द्वारा भी दलितों को जोड़ा गया है। इससे वर्ष 2015-16 में 3.32 करोड़ गरीबों को लाभ पहँचा है। चालू वर्ष में इस राशि को बढ़ाकर डेढ़ गुना कर दिया गया है। इस योजना का लाभ पाने वालों में सबसे ज्यादा महिलाएं, दलित, अल्पसंख्यक और समाज के कमज़ोर वर्ग के लोग हैं।

इस योजना के तहत 1.22 लाख करोड़ रूपये का लोन गरीबों को मुहैया कराया जाना था लेकिन 31 मार्च, 2016 तक इस योजना के तहत 1.35 लाख करोड़ रूपये कमज़ोर वर्ग के उद्यमियों को दिए गए हैं। मैं इसकी सराहना करती हँ।

सरकार द्वारा स्टैण्ड अप इंडिया में कर्ज देने को दो ऋणों में बांटा गया है, इसका एक पालू एस.सी./एस.टी. और दूसरा महिला वर्ग होगा। इससे कमज़ोर वर्ग और महिला वर्ग दोनों को फायदा पहुंचने वाला है।

दिव्यांग (प्रज्ञावक्षु) के हितों के संवर्धन के तहत रेलवे में ब्रेल टिकट और ब्रेल लिपि वाले कागज़ों में टैक्स में रियायतें दी हैं, यह सराहनीय है।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता के तहत संशोधित विकलांगता बिल 2014 का पास किया जाना चाहिए।

मेरे सुझाव इस प्रकार हैं-

1. एस.सी., एस.टी. पर नशा मुक्ति पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

2. वृद्धजनों के लिए नई नीति बनाई जाए।

3. गुजरात में 28 प्रकार के सर्टिफिकेट्स ऑनलाइन मिलते हैं। पोर्टल के माध्यम से जनसेवा केंद्रों पर जनता को मिलेंगे, जिसमें सामाजिक न्याय और अधिकारिता वाले मुद्दे भी शामिल हैं। ऐसे पैटर्न देश के सभी केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा लाने चाहिए।

4. दिव्यांगों के अधिकारों में बढ़ोत्तरी के तहत सभी प्रकार की सरकारी और निजी भवनों में बैरियर फ्री बिल्डिंग बनाने की ठोस नीति निर्धारित करनी चाहिए, जो दिव्यांगों का एक संवैधानिक हक है, जिसमें रैम्प, पार्किंग, टॉयलेट की सुविधा निहित है।

5. सरकार एवं निजी संस्थाओं के वित्तीय साधनों द्वारा चल रहे वृद्धाश्रमों की रजिस्ट्री, सुख-सुविधाएं, खुराक, स्वास्थ्य, मनोरंजन जैसी सुख-सुविधा के तहत कोई स्पष्ट गाइडलाइन, नीति तथा उन पर मॉनिटरिंग का प्रावधान तय किया जाना चाहिए।

डॉ. अरुण कुमार (जहानाबाद) : माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की वÂर्ष 2016-17 की अनुदान की मांगों पर चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

महोदय, आजादी के 65 वÂर्षों के बाद भी आज देश का एक बहुत बड़ा वर्ग बुनियादी सुविधाओं, सम्मान और अपने अधिकारों के प्रति सचेÂटता से महरूम है।

डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी ने राÂष्ट्र निर्माण के संदर्भ में संकल्प लिया था कि जब तक हम इस बड़ी आबादी को विकास की मुख्यधारा में नहीं जोड़ेंगे, तब तक हमारा उद्देश्य अधूरा रहेगा।

सभापति महोदय, माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में कुछ ही दिनों में जो संकल्प लिया गया, उस बारे में हम आज कह सकते हैं कि स्टार्टअप इंडिया के तहत सवा करोड़ लोग, जो विकास की मुख्य धारा से महरूम रहे हैं, उन्हें यह अधिकार देने का काम किया गया। इसके तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं को बैंकों के साथ जोड़कर प्रतिवÂर्ष दस लाख से एक करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध करायी जायेगी, ताकि वे इम्प्लाई न बनकर इम्प्लायर बनें। ऐसा संकल्प देश की आजादी के इतिहास में पहली बार लिया गया है। इस क्रांतिकारी कदम के लिए हम माननीय प्रधान मंत्री और माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि पहले जो भी योजना बनाती थी, उसमें दाता और प्रापकर्ता का रुप रहा है। इसके तहत हम एक बड़ी आबादी को विकास की मुख्यधारा में लाने का प्रयास कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि वे इम्प्लाई न बनकर इम्प्लायर बनें। यह एक बड़ा कदम है। इसके लिए हम सरकार और माननीय मंत्री को बधाई देना चाहते हैं।

सभापति महोदय, जब तक हम उस महरूम जमात को आर्थिक आजादी की ओर ले जाने का संकल्प नहीं दोहरायेंगे, तब तक सामाजिक न्याय और अधिकारिता का स्लोगन, जो पिछले 65 वÂर्षों में दिया गया, वह सफल नहीं होगा। ...(व्यवधान)

महोदय, हमारे साथ थोड़ा सा न्याय किया जाये। मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। ...(व्यवधान)

माननीय सभापति : जितना समय है, उसी में हमें अपना काम पूरा करना है।

â€¦(व्यवधान)

डॉ. अरुण कुमार : सभापति महोदय, मैं सरकार को बधाई देना चाहूंगा कि उसने जितनी भी योजनाएं शुरू की हैं, वे केवल खानापूर्ति के लिए नहीं शुरू की हैं। माननीय नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में यह संकल्प समाज की इन्क्लूसिव ग्रोथ के लिए संकल्पित राÂट्र के निर्माण का है। जो अन्याय लंबे दिनों से चलता आ रहा है, उसका आज निदान संभव है। हम इस बजट का समर्थन करते हैं।

डॉ. यशवंत सिंह (नगीना) : सभापति महोदय, आपने मुझे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

इस विभाग के नाम से जग-जाहिर होता है कि यह एक ऐसा विभाग है जो उन लोगों की बात करता है, जिन्हें इस समाज में आज तक न इज्जत मिली और न ही उन्हें उनका हक मिला। यह अकेला ऐसा विभाग है, जो इन लोगों के बारे में सोचता है। मैं चाहता हूं कि सरकार का प्रत्येक विभाग इन लोगों के बारे में सोचें, इन लोगों की बात उठाये, क्योंकि ये वंचित समाज के लोग, दलित समाज के लोग हैं। ये वे लोग हैं, जिन्होंने इस देश को बनाने में अपना खून-पसीना एक किया है। यहां पर जितने आतंकी आये, उन्हें सम्मान मिला, जबकि इस देश में रहने वाले नागरिकों को, जिन्होंने इस देश को बनाने में अपना खून-पसीना एक किया, उन्हें आज तक न भरपेट रोटी मिल पायी, न सिर पर छत मिल पायी और न ही उनके बच्चों की पढ़ाई पूरी हो पायी। दूसरे देश से आने वाले शरणार्थी इस देश के मालिक बन सकते हैं, लेकिन इस देश मे रहने वाले लोगों को हर चीजों से वंचित रखा गया। ये वे लोग हैं, जो दिन भर कड़ी धूप और कंपकंपाती सर्दी में इस देश की प्रगति के लिए काम करते हैं। ये वे लोग हैं, जो किसी पर अत्याचार नहीं करते। ये वे लोग हैं, जो भ्रÂटाचार का कोई काम नहीं करते। ये वे लोग हैं, जो इस देश की प्रगति के लिए दिन भर काम करते हैं। इसके बाद इनको मिलता क्या है? इनकी चौराहे पर नंगा करके पिटाई होती है, चौराहे पर इनकी माताओं-बहनों की अस्मत को लूटा जाता है और कुछ पैसे देकर मामले को रफा-दफा कर दिया जाता है। दबंगई लोगों के कारण कोर्ट में भी न्याय नहीं मिलता है। आप बिहार के रहने वाले हैं, बिहार में जघन्य हत्याकांड के दोÂिषयों को भी मुक्त कर दिया जाता है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। ये कमजोर लोग कहां से अपनी बात को कहने की क्षमता लाएंगे, ताकत लाएंगे। इनके बच्चों को मिलने वाले खाद्यान्न की बंदरबाट हो जाती है। सरकार से मिलने वाली सुविधाएं इन तक नहीं पहुंच पाती हैं। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने कहा था - मैं एक रुपया भेजता हूं तो दस पैसे नीचे जाते हैं। इस तरह 90 पैसे की बंदरबाट हो जाती है और इन लोगों के हक पर अतिक्रमण किया जाता है।

महोदय, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के छात्रों की छात्रवृत्ति का घोटाला बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। जितने भी बड़े इंस्टीट्यूशन्स हैं, सब में छात्रवृत्ति के घोटाले होते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से मांग करना चाहता हूं कि सबकी जांच कराई जाए। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि नया एट्रोसिटीज एक्ट लागू किया है। इसमें बहुत से ऐसे प्रावधान किए गए हैं जो आज तक दलितों, वंचितों की इज्जत के लिए लागू नहीं होते थे।

मैं यह भी मांग करना चाहता हूं कि कानून में प्रावधान हो ताकि जितनी भी एट्रोसिटीज़ हों, उसमें 100 प्रतिशत लोगों की प्राथमिकता दर्ज कराई जाए। इसके लिए अलग से व्यवस्था होनी चाहिए। इन लोगों के लिए मेडिकल बोर्ड बनाया जाए ताकि ये लोग किसी के पीछे न दौड़ें। त्वरित अदालतें बनाकर न्याय दिया जाए। मैं पढ़ रहा था, बजट को देख रहा था कि 38,832 करोड़ एससी और 24,000 करोड़ एसटी के लिए फंड जाता है लेकिन फंड का बंदरबाट हो जाता है। इसका दस प्रतिशत भी दलित, वंचित लोगों के हित में नहीं लगता है, अलग-अलग विभागों में जाता है और 31 तारीख को वापस आ जाता है, इसके दस प्रतिशत का भी उपयोग नहीं होता है। मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि एससी, एसटी फंड के लिए अलग कानून बनाया जाए। अगर फंड का उपयोग न हो तो प्रदेश सरकारों को दंडित किया जाए और पैसे की बंदरबाट न हो। अगर एससी के लिए पैसा है तो एससी के कल्याण में लगे, एसटी के लिए पैसा है तो एसटी के कल्याण में लगे, उस पैसे का किसी तरह से बंदरबाट न हो।

महोदय, स्कूलों में बच्चों की शिक्षा में देखने को मिलता है कि दलित समाज के बच्चों को प्राइमरी स्कूल में भी जगह नहीं मिलती है। एक दूसरी तरह की व्यवस्था बन गई है, जिसमें लोग बड़े एयरकन्डीशन्ड स्कूलों में बच्चों को पढ़ाते हैं। कैसे कम्पीटिशन होगा? कैसे दलित समाज के लोग आगे बढ़कर अपनी बात कहेंगे? यह संभव नहीं है। समान शिक्षा होनी चाहिए।

*SHRIMATI POONAMBEN MAADAM (JAMNAGAR):I think this discussion is extremely important in the context of delivering social justice to the people who might not get mainstream benefits. The whole idea of bringing people into the ambit of welfare policies is to entitle them to benefits which otherwise might not have been possible to access for a certain section of the population.

First, I would like to take this opportunity to extend my sincere thanks to our Hon'ble Prime Minister, Shri Narendra Modi ji and our Minister of Social Justice and Empowerment, Shri Thawar Chand Gehlot ji and the Government for increasing the Ministry's budget allocation by 12% over the revised estimates of 2015-16.

It is actually sad that this is the 21st Century and we still have to talk about empowering the backward castes; this should have been accomplished in the last 60 years. However, I am glad that the times are changing and the new Government is committed to deliver social Justice and empower individuals living at the edge of the societies. Hence, the Government has not only increased budgetary allocations for the Ministry but has also passed the Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Bill, 2016 in Lok Sabha in the Budget Session of the 2016 to revise the list of Scheduled Castes in some States and remove area-specific restrictions for certain communities. This whole approach to policy is to include more people in the domain so that they can avail maximum benefits that are offered by the Government.

This Government stands for cooperative federalism and is striving hard to change the architecture and platform of social development and services; which has so long been marked by policy paralyses and loopholes.

Moving on, I would be happy to share some statistics now. The Department of Social Justice has independently been allocated Rs. 6,566 crore, which is an increase of 10% over the revised estimates of 2015-16 and The Department of Empowerment of Persons with Disabilities has been allocated Rs.784 crore in 2016-17 which is an increase of 28% over last financial year's revised estimates.

Also, allocation for Aids and Appliances for differently-abled people has also been increased to Rs.117 crore. The objective of Aids and Appliances schemes is to provide grants-in-aid to various implementing agencies to assist the needy disabled persons in procuring durable and modern aids and appliances that can promote their physical, social and psychological rehabilitation. This testifies that the very approach of the Government is holistic in nature and the primary intention is to reach out to all the disadvantaged sections of the society under the umbrella of schemes.

However, I would like to share my concern at this juncture that under the Scheme for implementation of the Persons with Disabilities Act, it was noted that in 2015-16, Rs.44 crore has remained unutilized. So, I would request the Government to look into implementation of schemes and utilization of funds and if required, the Department of Empowerment of Persons with Disabilities must change its strategy and amend its procedures to timely execution of projects.

Next, with regard to pre metric scholarship schemes for OBCs, I would like to re-iterate the views of the Standing Committee recommendations that the maintenance rates must be revised immediately which have not been revised for last 18 years.

The very intention and purpose of policy making is to build an inclusive society where members of the target group can lead productively and the Government provides adequate support. Scholarship are provided to encourage education among the backward castes, however, I would request the Government to put in place a strong mechanism to identify beneficiaries and also ensure that the facilities of the policy reaches the last person in a corner of a remote village in a far away constituency. That is how we as the people's representatives can endeavor to reduce

inequalities; inequalities in status and opportunity and not just among groups but among communities.

Scholarship sustained education has to be aligned with some kind of skill development programme so that it is economically viable for individuals who are trying to move up the ladder of economic hierarchy or trying to make a shift from traditional occupation. The aim of the Government has to be the bottom-up approach and I would like to mention that our Minority Affairs Ministry is doing that; where you start empowering people from the bottom.

Another area of concern is that, the identification of manual scavengers has not been carried out in proper way. This has obstructed the proper implementation of the scheme. It has been observed that even though there are large numbers of persons working as manual scavengers in rural and urban areas, there is no effective mechanism to identify them.

The Department of Social Justice and Empowerment should set up a mechanism, in coordination with state government, to identify manual scavengers. I would suggest that a mechanism must be set up for the identification of manual scavengers in a time bound manner.

I would like to suggest a few things and once more going back to statistics; in 2016-17, the Department of Social Justice had submitted a demand of Rs. 10,574 crore to the Ministry of Finance. This demand was later reduced to an amount of Rs.6,500 crore (at the budget stage). Similarly, in 2015-16, the Department submitted a demand of 9,367 crore to the Ministry of Finance, which was reduced to Rs.5,912 crore. The Committee noted that funds were curtailed to almost all Ministries/Departments during the last two years. However, in this regard the concern is different as it is primarily responsible to provide for the welfare of disadvantaged and marginalized sections of the society. So, I would request the Government to consult and pursue the matter with the Ministry of Finance, in order to not slash the Department's budget as it affects the implementation of certain critical schemes, thereby affecting the protection of civil rights.

Secondly, this is my personal suggestion that location facilities be upgraded in constituencies as per their proportion of scheduled castes/ tribes and OBCs. By this, I mean that the Government concentrates on pockets where a particular area is dominated by the marginalized population. Accordingly, the Government can invest in infrastructure in that particular area/ constituency for the development of the marginalized people.

As I conclude, I would like to share something that I have been intending to share for quite some time! Let me take this opportunity and platform to share my thoughts out loud, no matter how noble the intention of the Government is or how many welfare policies we come up with, people's mindset has to change. Discrimination does not exist on its own, discrimination is inculcated. It is inculcated in people's heart to be practiced. Today, we have so much hate in people's mind, courtesy the populist policies and politics of the previous Government that is has become challenging for the new Government to mitigate possibilities. But I have full faith in our Constitution and the directive principles and I know for a fact that a Government that believes in the principles of Dr. Baba Saheb Ambedkr and dedicates Parliament proceedings to his philosophy, there is hope.

One such instance is removing the category of 'transgender persons' from 'beggars' in the list of welfare under the Ministry of Social Justice and Empowerment. This might seem like a token gesture but believe me, noble intention are manifested through the smallest of acts.

*SHRI RABINDRA KUMAR JENA (BALASORE): I take this opportunity to objectively examine the Demand for Grants for the Ministry of Social Justice and Empowerment (2016-17) and its two constituent departments, the Department of Social Justice and Empowerment and the Department of Empowerment of Persons with Disabilities.

At the outset, I'd like to bring to the notice the downward revision in the Budget allocation (2015-16) to the Department of Social Justice and Empowerment: While Rs.6524.82 crore was earmarked for the Department in the 2015-16 Budget(BE), it was revised downwards (by 8.5%) to Rs.5969.45 crore (RE, 2015-16).

Are we content with conventional economic development centered around income improvements, or are we looking at working towards " real " (or inclusive) growth? Can we, the largest democracy in the world, humbly learn from the nearby mountain kingdom, the beautiful Bhutanese nation, and work towards increasing " happiness" in our society (Bhutan measures "Gross National Happiness" and organizes its policy making process to that end)? Do we only want our richest 1% to get richer, or do we want our entire citizenry to march ahead, together, hand in hand?

Let me now state an appalling finding of the latest annual report by the Scheduled Castes Commission: the report's findings suggest that almost all states have failed to honour their budgetary commitments towards the Scheduled Castes community. In its first such audit, the commission examined the 2012-13 budget of 26 states and found that funds spent on "SC-specific " schemes was only a tiny fraction of the total allotted under the SC Special Plan (SCSP). According to Census 2011, the SC community constitutes 16.6% of the country's population. Clearly, it's time the Governments (at the Centre and the States) take cue from the Commission's findings and revamp their performances towards truly imparting social justice.

India continues to top the UN Food and Agricultural Organization's hunger list (195 million undernourished people in the country). On UNESCO's list of adult illiteracy, India sits on top, with 287 million people. The Government should immediately start formalizing a policy with a clear

time-bound end in mind: eradicating hunger from the Indian nation, and ensuring quality education reaches all. What good are GDP growth rates of any magnitude, if the average farmer is committing suicide and the average 5th grader cannot solve 2nd grade Math problems? Recent United Nations documents emphasize " human development," measured by life expectancy, adult literacy, access to all three levels of education, as well as people's average income. In a broader sense, the notion of human development incorporates all aspects of individuals well-being, from their health status to their economic and political freedom. According to the Human Development Report 1996, published by the United Nations Development Program, "human development is the end- economic growth a means. "

I shall now turn to an issue of grave concern that the Ministry of Social Justice and Empowerment should pay particular importance to: the consistent injustice meted out to the elderly. A report released by the United Nations Population Fund and Help Age India suggests that India had 90 million elderly persons in 2011, with the number expected to grow to 173 million by 2026. Of the 90 million seniors, 30 million are living alone, and 90% work for livelihood. The National Policy on Older Persons was announced by the Government of India in 1999. It was a step in pursuance of the UN General Assembly Resolution 47/5 to observe 1999 as the International Year of Older Persons and in keeping with the assurances to older persons contained in the Constitution. The well-being of senior citizens is mandated in the Constitution of India under Article 41: The state shall, within the limits of its economic capacity and development, make effective provision for securing the right to public assistance in cases of old age.'

Financial crunch, health problems and living alone have emerged as the top three fears of the elderly in India, according to a ASSOCHAM-KPMG report. Can the Government, in consultation with experts and NGOs, design a policy centered primarily around ensuring impeccable financial security to the elderly? Given how numerous financial savings schemes are available, the Government could, at the very least, start an awareness campaign to instill in the elderly the importance of financial planning.

According to a 2011 report by Jones Lang LaSalle India, a real estate consulting company, the current demand for retirement homes is 300,000 units. The Indian market has only 4,000-5.000 such units, catering to less than 2% of the demand. Has the Government set a time-bound target of ensuring a consistent decrease in the demand-supply mismatch in relation to the aforementioned point?

In the first overview of the well being of older people around the world, Help Age International and the United Nations Fund for Population Development have prepared an index. On the Global Age Watch Index (GAWI), released in October 2013, India ranks a lowly 73rd among the 91 countries. Countries like Bolivia and Chile rank much above India. Despite being one of the poorest countries, Bolivia ranks 46th on GAWI. Analysts link its achievement to the government's progressive policy for the elderly. Its National Plan on Ageing ensures free Healthcare to the elderly. Can we not ensure free healthcare services for our elderly? Chile offers financial protection for 66 medical conditions, including elderly-specific health needs, such as degenerative osteoarthritis and tooth loss. People without any direct income, most of whom are the elderly, are exempt from paying premium for the insurance scheme. Resources for the particular programme are drawn from consumer tax, tobacco tax, customs revenues and sale of the state's minority shares in public health enterprises. It's time India takes cue from the above initiatives and starts working towards a giant leap in its posture towards the needs of the elderly.

In the end, I would like to emphasize on how important it is for all to be tolerant to all opinions, because everyone, irrespective of caste or creed, is entitled to what they believe in. The Government is a powerful institution: It can play its role in assuaging concerns through words and actions, through condemnation of irresponsible statements on sensitive issues, through condemnation of incidents that threaten the very foundation of our great nation, and by proactively making all Indians feel secure, and safe. What common Indians aspire for is a life full of opportunities for their children, a safe environment for all to prosper, a society based on tolerance and brotherhood, a nation that grows together, and a Government that understands their concerns. The farmer wants the Government to lay stress on agriculture, the kirana shop owner wants the Government to promote small businesses, the student wants the Government to make education a priority- no Indian wants to see his or her country being divided on artificial lines. It's time for all Indians to find a common ground, and discuss issues in detail to find sustainable solutions.

If we fight within ourselves, everyone loses. If we work together, India is the winner. Jai Hind!

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) : माननीय सभापति जी, आपने मुझे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। देश में लगातार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के लिए मांग उठती आ रही है। आजादी से पहले पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों को लूटा गया और आजादी के बाद भी यही दशा है। मैं तो कहता हूं चाहे उस तरफ रहें या इस तरफ रहें। सरकार चाहे किसी को हो, सच बात को हाउस में बोलना चाहिए, 85 प्रतिशत लोग एक साथ हैं, अब जो

बजट आया है,उसमें हम देखते हैं कि जिस तरह से महंगाई बढ़ती है उसी तरह से बजट में पैसा बढ़ा दिया जाता है। अनुदान में जो पैसा आया है, इससे साफ पता चलता है कि जो दलित हैं, पीड़ित हैं, अल्पसंख्यक हैं, पिछड़े हैं उनकी दशा बदलने वाली नहीं है। माननीय मंत्री जी का ध्यान इस तरफ आकृÂष्ट करना चाहता हूं कि जब 85 प्रतिशत आबादी पिछले, दलित और अल्पसंख्यकों की है उसी अनुरूप में इन्हें पैसा भी मिलना चाहिए। सबसे अधिक हालत खराब बीपीएल परिवार की है। बिहार में लगभग 60 लाख गरीब लोगों का नाम बीपीएल से काट दिया गया है। मैं अनुरोध करूंगा कि जिस तरह से जो मापदंड बना है इसमें से बीपीएल को हटा दिया जाए और वृद्धा पेंशन में जो बीपीएल लगाया गया है, चाहे महिला हो या पुरुÂा हो जो भी हो उसे साठ वÂर्ष के बाद अगर वृद्धा पेंशन देते हैं तो तीन हजार रुपए मासिक दीजिए और बीपीएल को समाप्त कीजिए। दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और विकलांग में जो 40 प्रतिशत तक विकलांग है तो उसे तीन हजार रुपए तक मासिक मिलने चाहिए जिससे कि वह अपने संसाधनों से अपने परिवार को पाल सके।

जो बीपीएल मापदंड रखा गया है इसमें कच्चा मकान के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हर किसी को पक्का मकान देंगे लेकिन आज जो गरीब लोग हैं जिनका बीपीएल में नाम नहीं है ऐसे लोगों के लिए भी बीपीएल का जो प्रावधान रखा गया है, उसे समाप्त करना चाहिए न कि बीपीएल वाले को ही पक्का मकान मिलना चाहिए। जिसका भी झोपड़ी हो, कच्चा मकान हो, खपरैल का मकान हो ऐसे लोगों को पक्का मकान मिलना चाहिए।

प्राइवेट कम्पनियों में जो नौकरियां लग रही हैं, उनमें आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि प्राइवेट कम्पनियों में जो नौकरियां दी जाती हैं, उनमें भी पिछड़ों को, दलितों को आरक्षण देने की व्यवस्था करनी चाहिए।

माननीय सभापति : आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री कौशलेन्द्र कुमार : महोदय, आपने भी इस विÂषय पर बहुत लम्बा भाषण दिया था। आप हमें भी बोलने का मौका दीजिए। मैं दो-तीन मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा। ओबीसी जाति आधारित जनगणना को सार्वजनिक करना चाहिए। जब पूरे देश मे जनगणना हो गई तो इस बात की घोÂषणा होनी चाहिए कि किस जाति की कितनी आबादी है।

माननीय सभापति : अब आप बैठ जाएं।

उदित राज जी।

श्री कौशलेन्द्र कुमार : सभापति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जब हमारी सरकार बनेगी, तो विदेशों में हमारा जो काला धन पड़ा है, उसे वापिस लाएंगे।â€¦ *

*SHRIMATI RITA TARAI (JAJPUR): The social Justice and Empowerment Ministry has two Departments under it since 12/05/2012: Department of Social Justice and Empowerment (Samajik Nyaya aur Adhikarita Vibhag) and Department of Disability Affairs (Nishaktata Karya Vibhag). The Department of Social Justice and Empowerment asked for an allocation of Rs.6565.95 crore in BE 2016-17 against the actual expenditure of Rs.5399.47 crore in 2014-15 i.e. a growth of 21.60 per cent. The Department of Empowerment of Persons with Disability has asked for an allocation of Rs.783.56 crore in BE 2016-17 against the actual expenditure of Rs.403.41 crore in 2014-15 i.e. a growth of 94.23 per cent. This data proves the Social Justice and Empowerment Ministry has no other option but to enhance its absorption capacity tremendously, to utilize the full amount it has asked for. I also find none of the schemes of Social Justice and Empowerment Ministry being implemented property in my Constituency, Jajpur, in Odihsa . I, therefore, urge the Ministry to strengthen its existing monitoring system at all levels, so that the spending including the one in my Constituency, Jajpur is visible on the ground. I would also like to urge that the details of the persons with disabilities be reflected in the website of the Department of Empowerment of Persons with Disabilities, Constituency-wise and the impact of implementation of different Schemes also.

डॉ. उदित राज (उत्तर-पश्चिम दिल्ली) : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि दलितों और आदिवासियों के उत्थान के लिए मुद्रा बैंक द्वारा एन्ट्रेप्रेन्योर बनाने का पूरा प्रयास किया है और जहां एट्रोसिटीज एक्ट के तहत कन्वेक्शन तीन परसेंट था, ज्यादातर दोÂषी छूट जाते थे तो एट्रोसिटीज एक्ट को पास करके अभी हाल में रूल इससे संबंधित थे, उन्हें इश्यू किया इसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूं। बाबा साहब की 125वीं जन्म शताब्दी विभिन्न रूप से मनाई गई, उसके लिए भी और बाबा साहब इंग्लैंड में जहां पढ़े थे, उस जगह को खरीद कर स्मारक घोÂिषत किया, इसके लिए भी धन्यवाद करता हूं।

महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जो स्पेशल कम्पोनेंट प्लान है और ट्राइबल सब-प्लान है, जिस तरह से आंध्र प्रदेश की सरकार ने कानून बनाया था कि आबादी के अनुपात में जो प्लान बजट का एलोकेशन उनके ऊपर ही खर्च किया जाना चाहिए। इनके ऊपर खर्च करने का जो पैरामीटर हो, वह इंडिविजुअल होना चाहिए, परिवार के ऊपर होना चाहिए, बस्ती के ऊपर होना चाहिए लेकिन हो क्या रहा है? हमने विरासत से ही पाया है कि जो स्पेशल कम्पोनेंट प्लान और ट्राइबल सब-प्लान के तहत पैसा आना चाहिए था, आधे से ज्यादा कभी नहीं हुआ। ऐसी बहुत पहले की विरासत है।

उसके बाद भी जब वह पैसा जाता है तो डायवर्ट कर दिया जाता है। एससी और एसटी के पैसे से कहीं जेल बन रहा है, कहीं रोड बन रही है, कहीं पुलिया बन रही है। स्पेशल कम्पोनेंट प्लान और ट्राइबल्स सब-प्लान जो एससी-एसटी के आर्थिक विकास के लिए बना हुआ है, वह अभी पूरा नहीं हो पा रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि इसके ऊपर एक बिल लाया जाना चाहिए, जिस प्रकार से आंध्र प्रदेश सरकार लेकर आयी है और इसको मेंडेटरी बनाया है।

इसी तरह से सेन्ट्रल गवर्नमेंट की होस्टल बनाने की स्कीम है, उसमें राज्य सरकारों का रवैया बहुत ही नेगेटिव है। मैं चाहूंगा कि इस सदन में उस पर चर्चा होनी चाहिए कि जो पैसा केन्द्र सरकार के द्वारा दिया जाता है, चाहे स्कवेंजर्स के लिए, चाहे होस्टल्स बनाने के लिए, चाहे प्री-मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए, चाहे वेंचर केपिटल के लिए हो। स्टेंडिंग कमेटी ऑफ सोशल जस्टिस ने अपनी रिपोर्ट दी है, लेकिन वह लागू नहीं हुई है। वÂर्ष 2014-15 में 25 होस्टल्स बनने थे, लेकिन 14 होस्टल्स ही बन पाए। इसका कारण यह है कि राज्य सरकारें अपना कंट्रीब्यूशन नहीं देते हैं और न ही रिस्पोंड करते हैं। उसी तरीके से वÂर्ष 2015-16 में 15 होस्टल्स बन पाए हैं, जबकि 25 होस्टल्स बनने चाहिए थे। यह राज्य सरकारों का रवैया है। मैं फिर से मांग करना चाहूंगा कि इसके ऊपर बहस होनी चाहिए कि केन्द्र सरकार पर जो दोÂषारोपण किया जाता है, उसके लिए राज्य सरकारें कहीं ज्यादा जिम्मेदार हैं। इसका बजट घटाया जा रहा है। मेरा अनुरोध है कि बजट को कम न किया जाए। पहले बजट 50 करोड़ रुपये था जो घटकर के 25 करोड़ रुपये हो गया है। इस वÂर्ष यह 5 करोड़ रुपये इसलिए हो गया है, क्योंकि राज्य सरकारों द्वारा होस्टल बनाने की डिमांड नहीं आ रही है। इनके उत्थान के लिए जो कार्य होना चाहिए था, वह उनकी निÂिष्क्रयता के कारण नहीं हो पा रहा है। उसी तरह से स्केवेंजर्स के आइडेंटीफिकेशन की बात है। केवल 12 हजार लोगों का अभी तक आइडेंटीफिकेशन किया गया है, जबकि लाखों की संख्या में स्केवेंजर्स हैं।

माननीय सभापति : आप अब समाप्त कीजिए।

डॉ. उदित राज : सरकार के द्वारा जो सहायता देनी है, वह आइडेंटीफिकेशन न होने की वजह से उन लोगों को सहायता नहीं मिल पा रही है। इसको भी नोट किया जाना चाहिए। वेंचर केपिटल भी लगातार कम हुआ है। पहले वेंचर केपिटल का जो अमाउंट हुआ करता था, उसमें लगातार कमी आ रही है। पहले यह दो सौ करोड़ रुपये हुआ करता था, अब यह 40 करोड़ रुपये पर आ गया है।

माननीय सभापति : डॉ. तपस मण्डल।

डॉ. उदित राज : मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि इस वेंचर केपिटल अमाउंट को घटाना नहीं चाहिए है, बल्कि बढ़ाया जाना चाहिए...(व्यवधान)

माननीय सभापति : तपस मण्डल जी, आप बोलना शुरू कीजिए।

*DR.TAPAS MANDAL (RANAGHAT) : Thank you Chairman Sir, for allowing me to speak. In our country social justice and empowerment are issues which are found only on paper, not in reality. Social justice is just a term engraved on the nameplate of the Ministry of Social Justice, it is not perceivable in real terms. This year is the 125th Birth Anniversary year of Dr.Babasaheb Ambedkar which has been declared by the Hon. Minister as the Year of Economic Empowerment of the Backward Classes. The biggest misfortune of our nation is that the name of Dr. Ambedkar is often utilized and misused by our politicians for petty political gains. This is unacceptable. Cast system is still very much prevalent in the country and thus the name of Dr.Ambedkar is taken with ulterior motives. Almost 70 years have passed since India gained independence. Congress was in power for a very long time but could not confer the Bharat Ratna award on Dr.Ambedkar. It was the V.P.Singh Government which awarded him the Bharat Ratna. One of our respected members furnished wrong information about this in the House. BJP is a party which never sided with Dr.Ambedkar. It has exposed its double standard. When he introduced the Hindu Code Bill from the Law Ministry, RSS the driving force of BJP opposed him as a result of which he had to resign from the Ministry. We know that he was in favour of removing the caste system but RSS leader Guru Golwalkar supported the 'Chaturvarna' system. What an irony! No Central Government ever, be it Congress or UPA or NDA or BJP, tried to do something for the uplift of the SCs, STs, and Backward Communities; No Government spared a thought for the downtrodden.

They only misled the people by giving false hopes and promises, keeping elections in mind. We do not want this to continue. Today, the Central Government has allocated a miniscule amount for the SC sub-plan or the Tribal Plan. It is only half of what is required. Thank you sir.

श्री वीरेन्द्र कश्यप (शिमला) : सर, यह आरएसएस की बात कर रहे हैं...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON : Now, Shri R. Dhruvanarayana.

SHRI R. DHRUVANARAYANA (CHAMARAJANAGAR): Hon. Chairperson, Sir, thank you very much for giving me this opportunity to participate in the discussion on the Demands for Grants relating to the Ministry of Social Justice and Empowerment.

This Ministry is a very important Ministry. It deals with the welfare of Scheduled Castes, Backward Classes, Senior Citizens, physically disabled persons and drug abused. The main portion of the budgeted amount of this Ministry goes towards scholarships – Post Matric Scholarship for Scheduled Castes; Pre Matric Scholarship; and Backward Class Scholarship.

Sir, this year, being the 125 th Birth Anniversary of Dr. B.R. Ambedkar, people of weaker sections expect more programmes and adequate funds from the Union Government. Unfortunately, the Government of India, though celebrated the 125th Birth Anniversary of Dr. B.R. Ambedkar, has not been able to announce and introduce any programme which can be remembered for ever.

Actually, for the Scheduled Caste Sub Plan, the Government of India provided only Rs.38,833 crore. As per the 2011 Census, the SC population in the country is more than 20 crore. According to the population, the Government of India has to allocate Rs.82,643 crore. For example, in our State, Karantaka, which is run by the Congress Government, we adopted a legislation for allocating funds under the Scheduled Caste Sub Plan. It is called 'Karnataka Scheduled Caste Sub Plan and Tribal Sub Plan Act, 2013'. In this year, our state provided Rs.17,000 crore under the Special Component Programme. I would urge the Union Government to adopt the Karnataka model of the Special Component Programme and provide grants according to the population.

Regarding scholarships, especially the Post Matric Scholarship, at present the scholarship for SC students who are residing in the hostel is ranging from Rs.382 to Rs.1,200 per month. These rates were last revised in the year 2010. At that time, Shri Mukul Wasnik ji was the Social Justice Empowerment Minister. Already six years have lapsed. These rates have to be revised suitably. I would urge the Union Government to enhance the Post Matric Scholarship to at least Rs.2,000 per month. Also regarding the income limit for getting the Post Matric Scholarship is only Rs.2.5 lakh per annum. I would urge the Union Government to enhance this income limit up to Rs.5 lakh.

Regarding the Pre Matric Scholarship, the budget allocated in the year 2015 was Rs.843 crore. Now, it has gone down to Rs.550 crore in the year 2016.

The money allocated National Fellowship for SC students during 2015-16 was Rs.201 crore. Now, it has gone down to Rs.196 crore. This is a great injustice done by the NDA Government towards SC students.

I would urge the Union Government to enhance the allocation for Pre Matric Scholarship and also the allocation for the National Fellowship Programme.

Thank you.

श्री बीरेन्द्र कुमार चौधरी (झंझारपुर) : सभापति महोदय, सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता जैसे महत्वपूर्ण विÂषय पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपके प्रति आभार प्रकट

करता हूँ। मैं माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने इतने महत्वपूर्ण विÂषय के लिए सदन में बजट पेश किया है। महोदय, समाज के पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, वंचित, उपेक्षित वर्गों को आज भी न्याय नहीं मिल पाया है। मंडल आयोग द्वारा पिछड़े अति पिछड़े वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया गया, लेकिन आज तक आरक्षण का लाभ पिछड़े, अति पिछड़े वर्ग को नहीं मिल पा रहा है। इस तरह की â€¦* जो सरकार के मुलाजिम हैं, उनके द्वारा भी की जा रही है। महोदय, प्रधान मंत्री जी सार्थक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लाभ नहीं मिल रहा है। बिहार में स्वर्गीय जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने समाज में वंचित, शोÂि◌ात, उपेक्षित लोगों को आरक्षण में वर्गीकरण कर के अति पिछड़ा वर्ग को 14 प्रतिशत का लाभ दिया था। इसी तरह से मैं केंद्र की सरकार से भी मांग करता हूँ कि भारत सरकार भी, केंद्रीय मंत्री भी आरक्षण में पिछड़ा, अति पिछड़ा का क्लासिफिकेशन कर के अति पिछड़ा को अलग से आरक्षण देने का प्रावधान करें। जिस समय कर्पूरी जी ने यह आरक्षण लागू किया था, उस समय उनके साथ बहुत बड़ा हंगामा हुआ था, बहुत गाली सुननी पड़ी थी।

मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि देश में भी कर्पूरी फॉर्मूला को लागू करना चाहिए, तभी सामाजिक न्याय की बात मानी जाएगी, अन्यथा आरक्षण के लाभ से हम लोग वंचित रह जाएंगे और शोÂि◌षत पीड़ितों को कभी लाभ मिल नहीं पाएगा। सबसे बड़ी बात है कि जातीय जनगणना की आवश्यकता है। जातिय जनगणना के चलते किस वर्ग के कितने लोग हैं और आरक्षण किसे चाहिए, जब तक जनगणना नहीं होगी, तब तक इसकी भरपाई नहीं हो सकती है, तब तक हम लोग यह काम नहीं कर पाएंगे। भारत सरकार द्वारा पिछड़े, अति पिछड़े, दलितों, महादलितों को छात्रवृति प्रत्येक साल दी जाती है। लेकिन राज्य सरकार इस छात्रवृति के पैसे को बांटती नहीं है, केवल दस से पंद्रह प्रतिशत पैसा बांटा जाता है। सभी पैसों का बंदरबांट कर दिया जाता है। इसीलिए हम माननीय मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि इस तरह का एक नियम बना कर राज्य सरकार को भेजा जाए कि जो गरीब की छात्रवृति है, महादलित की छात्रवृति है, उसको रोका नहीं जाए, जिससे उनकी पढ़ाई-लिखाई में रूकावट न हो।

महोदय, मैं एक और प्रश्न करना चाहता हूँ कि न्यायपालिका में सबसे बड़ी â€¦* है। न्यायपालिका व्यवस्था में â€¦* को बनाया जाता है, जो न्यायाधीश हैं। वहां पर आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है, जबकि शोÂि◌षत, वंचित, पिछड़े वर्ग के लोग भी पढ़े-लिखे हैं और कहीं भी जगह प्राप्त कर सकते हैं। मैं आसन से मांग करना चाहता हूँ कि न्यायालय में भी आरक्षण की व्यवस्था की जाए और प्राइवेट कंपनियों में भी आरक्षण की व्यवस्था की जाए।

श्री असादुद्दीन ओवैसी (हैदराबाद) : सर, हुकूमत की तरफ से जो वादे किए गए थे, उसकी चार मिसालें आपके सामने पेश करूंगा, जिससे साफ और वाज़े हो जाएगा कि हुकूमत कहां तक दलित और शिडयुल्ड कास्ट से हकीकी तौर पर मोहब्त करती है। मिसाल के तौर पर इस साल बजट के लिए मिनिस्ट्री ने 10575 करोड़ का मुतालबा किया और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने सिर्फ साढ़े छह हज़ार करोड़ रूपये दिए।

दूसरी बात यह है कि इस साल के बजट 2015-16 में 6555 करोड़ रूपये की कटौती कर दी गई। तीसरी बात, प्री-मैट्रिक स्कॉलरशिप में 290 करोड़ रूपये से ज्यादा कट कर दिए गए, जो शिडयुल कास्ट के प्री-मैट्रिक स्कॉलरशिप का था। 7 हज़ार करोड़ रूपये के डयुज़ बाकी हैं। ये चार मिसालें काफी हैं, हुकूमत के असली चेहरे को बेनकाब करने के लिए कि ये कहां तक दलित और पसमांदा तबकात से मोहब्बत करते हैं। मैं मंत्री जी से मुतालबा करना चाहता हूँ कि सन् 2011 के सेंसस आ चुके हैं, जिसके मुताबिक दलित की आबादी, करीब 16.6 प्रतिशत है तो क्या इस साल से एजुकेशन में और मुलाज़मत में हुकूमत 15 से बढ़ा कर 16.6 पर्सेंट करेगी। दूसरी बात ओबीसी की जो प्री-मैट्रिक स्कॉलरशिप्स हैं, एनएसएसओ के सर्वे ने बताया है कि करीब 41 पर्सेंट यानि 51 करोड़ की आबादी ओबीसी की है। लेकिन ओबीसी के बच्चों को स्कॉलरशिप कितनी मिलती है - 40 रूपये, 50 रूपये, 25 रूपये। यह 18 साल पहले तय किया गया था। क्या मिनिस्टर साहब इस स्कॉलरशिप को बढ़ाएंगे? जो 150 करोड़ रूपये की प्री-मैट्रिक की स्कॉलरशिप थी, आपने सिर्फ 135 करोड़ रूपये दिए हैं, इसकी क्या वजह है? क्या आप वाकयी मोहब्बत करते हैं। सर, स्कैवेंजर्स का मामला आता है। सन् 2014-15 में 480 करोड़ रूपये थे, जिसमें से एक पैसा खर्च नहीं हुआ है। 2015-16 में 460 करोड़ रूपये थे, एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ। सन् 2016-17 में दस करोड़ रूपये कर दिए गए। मेरे क्षेत्र में कल दो मैन्युअल स्कैवेंजर्स काम करते-करते मारे गए हैं।

क्यों नहीं गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से बात करके एक मैकेनिज्म क्रिएट करती, क्योंकि हमारे मुल्क में आज भी एक लाख 80 हजार घराने ऐसे हैं, जो मैन्यूअल स्कैवेजिंग करते हैं। हुकुमत इसके ताल्लुक से सीरियस क्यों नहीं है? महाराÂट्र में 63 थाउजेंड हैं, उत्तर प्रदेश में 17 हजार हैं।

महोदय, प्री-मैट्रिक स्कॉलरशिप में उत्तर प्रदेश ने तीन साल से एक दलित को स्कॉलरशिप नहीं दी है। आखिर में मैं यह पूछना चाहता हूँ कि ये जो हमारे पर्सन ऑफ डिसेबिलिटीज हैं, उनके ताल्लुक से पैसा कम कर दिया। हर चीज में आप पैसा कम कर रहे हैं। मैं हुकूमत से जानना चाहता हूँ कि आर्टिकल 341 के ऊपर आपका क्या मौकफ है? अगर आप वाकई में दलित क्रिश्चियन, दलित मुसलमान को रिजर्वेशन नहीं देना चाहते तो मत दीजिए मगर आप यह बात सुप्रीम कोर्ट में कह दीजिए। हरियाणा, राजस्थान, गुजरात रिजर्वेशन दे रहे हैं तो क्या आप माइनोरिटी के 4.5 परसेंट से मुखातिफत करेंगे। हुकुमत की पॉलिसी क्या है, इसको वाज़ह करें? मेरी ये चंद बातें थीं। आपने मुझे मौका दिया, उसके लिए शुक्रिया।

***श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा) :** मैं सदन में प्रस्तुत सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं। नई सरकार के आने के बाद में अनुसूचित जाति व जनजाति के कल्याण के लिए व उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए सार्थक पहल की गई है। पूर्व की सरकार केवल नारे लगाने व इनको वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने का कार्य करती थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी हाल ही में नोएडा में स्टैंड अप इंडिया की शुरूआत करते हुए घोÂ◌णा की कि अब दलित नौकरी मांगेंगे नहीं बल्कि देने वाले बनेंगे। सरकार ने देश के करीब एक लाख पचीस हजार शाखाओं को प्रत्येक शाखा से कम से कम दो अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों को बिना गारंटी के 10 लाख से लेकर एक करोड़ तक लोन उद्यम शुरू करने के लिए देने हेतु अनिवार्य किया है। इस प्रकार से प्रतिवÂर्ष ढाई लाख लोग उद्यम लगा सकेंगे। इसमें एक इसी वर्ग से महिला उद्यमी होगी। यह एक सरकार का ऐतिहासिक फैसला है। जो इस वर्ग को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में मील का पत्थर साबित होगा। सरकार ने पूर्व की सामाजिक कल्याण की योजनाओं में धन बढ़ाकर इनके सफल क्रियान्वयन की इस बजट में व्यवस्था की है। इन योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचे। सरकार को निचले स्तर पर इसकी मानटरिंग की ठीक व्यवस्था करनी होगी। सरकार ने नौकरियों पर साक्षात्कार खत्म कर बड़ा कदम उठाया है। इससे भी इस वर्ग को विशेÂ◌ा लाभ होगा। अनुसूचित जाति अत्याचार अधिनियम को कड़ा बनाकर और धाराओं में संशोधन कर इस वर्ग को अधिक मान-सम्मान के साथ रहने व उत्पीड़न से निजात दिलाने का काम किया गया है। लेकिन सरकार को इन धाराओं का दुरूपयोग न हो इसके लिए भी कारगर कदम उठाकर दिशानिर्देश शीघ्र जारी करना चाहिए। आरक्षण का लाभ पहले इस वर्ग में अति गरीब को मिले ऐसी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। इसी के साथ मैं अनुदान की मांगों का समर्थन करता हुआ अपनी बात को विराम देता हूं।

***श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज):** सबसे पहले भारत के संविधान निर्माता डा. भीमराव अम्बेडकर के प्रति श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए उनके योगदान की चर्चा करना चाहता हूं कि हमारी सरकार पहली बार संविधान की मंशा के अनुसार समाज के दलितों को सुरक्षा एवं सम्मान देने के लिए मोदी सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाएं हैं। देश में दलितों एवं अनुसूचित जाति एवं जनजातियों की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण विधेयक पारित किया है। उक्त विधेयक में ऐसे कई प्रावधान जोड़े गए जो अभी तक नहीं थे जिसके कारण दलितों के ऊपर अत्याचार निवारण कदम नहीं उठाए जा सकते थे। पहली बार श्री नरेन्द्र मोदी ने बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर जो संविधान निर्माता है उनके सम्मान में 125 जयन्ती पर पूरे देश के प्राथमिक स्कूलों में 14 अप्रैल को बाबा साहेब के व्यक्तित्व एवं उनके कृतित्व पर प्रकाश डाला गया। पूरे देश में डा. अम्बेडकर को ग्राम सभा स्तर पर महिमा मंडित करने का काम किया। उनकी स्मृति में देश की राजधानी में एवं अंतर्राÂष्ट्रीय स्तर का शोध केन्द्र का निर्माण करा रही है।

उल्लेखनीय है कि सन् 1985-86 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के महत्व को देखते हुए इसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से अलग किया गया था। आज हमारी सरकार अनुसूचित जाति एवं जनजाति के शिक्षा एवं आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए विभिन्न योजनाओं को सरकार ने शुरू किया है। गरीबों, दिव्यांगों के लिए बड़े पैमाने पर उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत करने की दिशा में काम किया गया। पूरे देश में लगभग तीन लाख से अधिक दिव्यांगों को उपकरण वितरित करने का काम किया गया। वर्ष 2016 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति की

महिलाओं के लिए 500 करोड़ रूपये स्वीकृत किए है जिससे महिलाओं का सशक्तिकरण हो सके। मेरी सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा के लिए नया विधेयक अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण के लिए नया कानून बनाया गया। हमारी सरकार द्वारा स्वच्छ भारत अभियान के लिए 9000 करोड़ रूपये स्वीकृत किया गया है। आज स्वच्छ भारत अभियान में शहरों एवं गांवों में एक प्रतिस्पर्धा पैदा हुई है। जिससे पहली बार गांवों में भी स्वच्छता अभियान प्रारंभ हो चुका है। आज भी गांवों में ज्यादातर दलित आबादी बसती है। उन दलित बस्तियों को स्वच्छ बनाने के लिए प्रधानमंत्री श्री मोदी जी स्वयं इस अभियान की अगुवाई कर रहे हैं। हमारी सरकार ने 300 अर्बन क्लस्टर को श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक मिशन के रूप में विकास कर रही है। हमारी सरकार ने प्रत्येक गांव को खुले शौच से मुक्त कराने का अभियान प्रारंभ किया है। इसके लिए प्रत्येक जनपद में जागरूकता के लिए कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है।

मेरे माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने इस बजट में छात्रवृत्ति के लिए 2016-17 में काफी धनराशि आवंटित की गई है। इससे पूरे देश के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्र एवं छात्राओं को आगे बढ़ने का मौका मिला। सरकार की प्राथमिकता है कि हम समाज के सबसे दूर बैठा अन्तोदय व्यक्ति को लाभान्वित करना हमारा लक्ष्य है। इसी के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

*SHRI RAHUL KASWAN (CHURU): I thank Finance Minister, Shri Arun Jaitley for addressing the needs and demands of the various requirements of a sound social justice and empowerment system in our country, keeping the social fabric of our country intact through the budget. I would also like to express my gratitude to the Social Justice and Empowerment Ministry for understanding the challenges towards ensuring a socially just system of functioning and empowering the weaker sections of the society to ensure a parity in the society. While appreciating the government for an allocation of Rs.7350 crores, which marks an increase of about 12% from the last years allocation, I would like to put forth certain observations that would require me to appeal for more grants.

Empowerment of the socially weaker and marginalized sections of the society can only tighten and enhance the social fabric of our country. Protection of the backward castes and scheduled tribes is an important function of any welfare oriented government. However, the traditional social structure of India in itself has certain glitches, the redressal of which is the need of the hour to get rid of age old socially unjustifiable practices. In my view, the much discussed issue of exploitation and prejudices against STs and SCs in India is a fundamental problem that even in this modern era haunts the social justice system. Empowerment of the backward castes can only be done by providing them reservation. Empowerment should be done from the ground level. In certain instances, the law enforcers are themselves prejudiced as an individual cannot remain in isolation from the society. Social stereotypes at times are inbuilt in a system. This needs to be attacked. I recommend that a stringent check on the working of law enforcers is an absolute pre-requisite for legally securing the socially unflavoured sections. SCs and STs are most of the times ignorant of their rights. There is no proper awareness about their rights. Hence they turn a blind eye toward the social evils they are subjected to. It is ironical however that conviction number is still low. This empirically proves the negligence of the investigators who at most times are biased towards a dominant caste. State prone to such social imbalances needs special attention from the ministry to uproot such social evils. I would recommend police stations specifically dealing with crime under Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 and a higher official regulating the police force. This can bring about a check in the system. Specific courts answering such issues needs to be set up in states also to eliminate atrocities against SCs and STs. Stringent punishment needs to be ensured in cases where the police forces act reluctant in registering an FIR. The problem of lack of systematic protection needs to be answered.

Under the Scheme for Implementation of Persons with Disabilities Act, 1995(SIPDA), a barrier free environment for disabled needs to be provided in all states. I would like to emphasize here that we are way behind in the race as compared to some of the Western nations. Here, I would like to point out at the lack of ramps in our country for physically handicapped. Our transportation means like buses, trains do not have ramps for the disabled. Hardly any buildings have ramps built in for the handicapped. This is drastically different from the Western countries. US has a well-built system for accommodating physically handicapped people in every place of work. In India also, having ramps should be made mandatory along with steps.

This year's budget allocation for the welfare of Persons with Disabilities has been increased from last year from Rs.610.95 crores to Rs. 783.56 crores. The importance of this issue was aptly identified. However, there is a need for more funds under this head as India, apart from a few metro cities, is still considered to not be a disabled friendly country. According to the census 2011, around 21 million Indians suffer from disabilities. There is a special urgency for the promotion of the schemes and policies initiated by the Ministry of Social Justice and Empowerment for Persons with Disabilities. The budget 2016-17 allocates approximately Rs. 117 crores for Aids and Appliances for the Handicapped and Rs.40 crores for Deedayal Disabled Rehabilitation Scheme. Although there has been an increase in the grant, the issue of accessibility for the PwDs requires more attention. Both these National Programs aim to assist the needs of the disabled persons and aid their social, physical and psychological rehabilitation. One of the main campaigns for the resolution of the problem of accessibility for Persons with Disabilities is the Accessible India Campaign or Sugamya Bharat Abhiyan initiated by the Government this year which aims to provide accessible physical environment for all persons irrespective of whether they are disabled or not.

15.00 hours

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : महोदय, सुभाÂष चन्द्र बोस जी ने कहा है, राजनीति न तो मेरा व्यवसाय है न जीविका है। मैं इतिहास का एक विद्यार्थी हूँ, मैं उस भयानक चित्र को प्रस्तुत करना अपना कर्तव्य समझता हूँ, जिसे मैं भारत के प्रसंग में, मन में स्पÂट रूप से देखता हूँ ताकि भावी इतिहासकार मुझे दोÂा न दें। इस सम्बन्ध में उच्चतम दायित्व देश के नेताओं पर है। वे देश को

बचा भी सकते हैं, डुबा भी सकते हैं। भारत की रक्षा के लिए वर्तमान नेताओं को तुरन्त भारतीय जनमानस को एक सशक्त राष्ट्र या शक्तिशाली बहुराÂष्ट्रीय इकाई में बदलने के लिए एक नीति का खाका तैयार करना चाहिए। इस विÂषय में शब्दों का बहाना या इन्द्रजाल देश हित की दÂिष्ट से बड़ा घातक होगा। यदि नेता ऐसा नहीं करते, मुझे भय है कि किसी भी क्षण भारत की राजनीति, एकता और भौगोलिक अखण्डता अक्रांत हो सकती है। विशेÂषतः तब जब देश में विखण्डन की प्रवृति सक्रिय हो। हमें नहीं भूलना चाहिए कि अतीत काल में यह एकता अभाव ही था, जिसने कई बार भारत को दासता के अधीन किया। यदि ऐसी वर्तमान स्थिति में भी एकता की कमी हो तो यह समझ लेना होगा कि भारत बौद्धिक दÂिष्ट से दिवालिया बन चुका है। यह सुभाष चन्द्र बोस जी का एक प्रसंग था।

विवेकानन्द जी ने स्पÂष्ट रूप से एक बात कही थी कि भारतवर्ष का जो आदिम स्वर है, वह वसुधैव कुटुम्बकम की धरा है। अम्बेडकर साहब की उस बात को कि राजनीतिक अत्याचार, सामाजिक अत्याचार की तुलना में कुछ भी नहीं है और जो सुधारक समाज की अवज्ञा करता है, वह सरकार की अवज्ञा करने वाले राजनीतिज्ञों से ज्यादा साहसी है। उन्होंने ही कहा है कि यदि हम एक संयुक्त, एकीकृत, आधुनिक भारत चाहते हैं तो सभी धर्म शास्त्रों की समप्रभुता का अन्त होना चाहिए। उन्होंने ही कहा है कि जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता हासिल नहीं कर लेते तब तक आपको कानून चाहे जो भी स्वतंत्रता दे, वह आपके किसी काम की नहीं है।

महोदय, सर्वे, डाटा, हमारे सभी माननीय सदस्यों ने जो कहा, वह बिल्कुल सही कहा है, लेकिन मैं आपसे बहुत ही विनम्रता के साथ कहना चाहूँगा कि ये बातें कोई नई नहीं हैं। ज्योतिबाफूले, नारायण गुरू, पेरियार लगातार शिव और कृष्Âण के बाद नानक और कबीर ने सबसे ज्यादा सामाजिक न्याय के सवाल पर इस दुनिया में जंग लड़ी।

महोदय, हम बोलना छोड़ देते हैं और अपने भाÂषण को जमा कर देते हैं। आप एकदम से घंटी बजा देते हैं। मैं दो-तीन बातें कहकर अपनी बात खत्म करूँगा। आप यदि वास्तव में 50 प्रतिशत आरक्षण, जो बाबा साहब अम्बेडकर या जिनकी पीछे कल्पना थी, उस पर आपकी विल पावर क्या कहती है, यदि वास्तव में आप समाज के कमजोर, वंचित शूद्र को आगे लाना चाहते हैं। महोदय, क्या मैं इसे टेबल पर रख दूँ, क्या मैं अपनी स्पीच को रख दूँ?

माननीय सभापति : नहीं। आप भाÂाषण नहीं देते तो तब स्पीच ले कर सकते थे। जो सदस्य भाÂषण देते हैं, उनकी स्पीच ले नहीं होती है।

श्री राजेश रंजन: आप घंटी बजा रहे हैं, मेरा भाÂषण पूरा नहीं हुआ है तो मैं अपने भाÂषण को रख देता हूँ।

माननीय सभापति : ऐसा नियम नहीं है। इसलिए अब आप बैठ जाइए।

श्री राजेश रंजन : यदि आप कहें तो मैं अपना भाÂषण रख देता हूँ।

माननीय सभापति : डॉ. बूरा नरसैय्या गौड जी। आपका समय केवल एक मिनट है।

श्री राजेश रंजन : महोदय, यह तो गलत है। या तो आप भाÂषण रखवा दें या फिर मुझे दो मिनट का समय दें।

माननीय सभापति : जो भाÂषण देते हैं, उनकी स्पीच ले नहीं होती है।

श्री राजेश रंजन: महोदय, तो आप हमको समय तो देंगे ना।

माननीय सभापति : समय हम उतना ही देंगे, जितना समय हर पार्टी के लिए बंधा हुआ है, उसके बाहर समय नहीं देंगे।

श्री राजेश रंजन: महोदय, मैं अपने प्वाइंट बताकर खत्म कर देता हूँ।

माननीय सभापति : बस अब हो गया, आप पहले बता लेते। अब आप बोलिए।

DR. BOORA NARSAIAH GOUD (BHONGIR): Sir, thank you for giving me this opportunity. Please give me two minutes time only to make 3-4 points

At the outset, I would like to congratulate the Minister of Social Justice and Empowerment for the increase in the budget by 11.69 per cent which will help in improving economic justice and empowerment. The problem is that Gehlot ji is taking care of two babies – one is SCs and the other is OBCs. But the OBCs are the most neglected ones. ...(*Interruptions*)

माननीय सभापति : आपने एक मिनट के लिए समय मांगा है। आपका समय खत्म हो गया है।

â€¦(व्यवधान)

DR. BOORA NARSAIAH GOUD: Though we are celebrating the 125th Birth Anniversary of Babasaheb Ambedkar, in respect of OBCs I would say that we are not even implementing 9 per cent reservation given to OBCs. ...(*Interruptions*)

I request the hon. Minister to provide constitutional status to the National Commission of Backward Classes (NCBC). The people belonging to OBCs should be given reservation in judiciary. I would also request the hon. Minister to increase budgetary allocation for OBCs to uplift them socially and economically. Otherwise, the OBC people are neither here nor there. They are in the *trishanku* position. As OBCs are not the vote bank for any party, all the Governments are neglecting them. My request through you to the hon. Minister is that he should take special measure for the OBC people. Thank you very much.

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी जवाब दें।

â€¦(व्यवधान)

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : सभापति जी, हम मंत्री जी को नहीं बोलने देंगे। हम मंत्री जी के आगे खड़े हो जाएँगे। ...(व्यवधान)

माननीय सभापति : मंत्री जी आप बोलिए।

...(व्यवधान)

15.06 hours

(At this stage, Shri Rajesh Ranjan came and stood on the floor near the Table)

माननीय सभापति : कृपया सदन चलाने में सहयोग करें। अपने समय की मर्यादा में सभी सदस्य रहते हैं। आपका तीन मिनट समय था, हमने चार मिनट समय दिया।

â€¦(व्यवधान)

माननीय सभापति : हमने सबको उतना समय दिया है, जितना उनका निर्धारित समय है।

â€¦(व्यवधान)

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): माननीय सभापति जी, हम सब लोग जानते हैं और यह सदन जानता है कि राजनीतिक जीवन में आपने बहुत बड़े-बड़े लोगों को खड़ा किया है, उनको समर्थन देकर राजनीति में रखा है। आप जिस प्रकार से सदन को संचालित कर रहे हैं, मुझे लगता है कि राजेश रंजन जी थोड़ा बोलना चाह रहे हैं। महोदय, दो मिनट उनकी बात सुन ली जाए, वे पेपर रखना चाहते हैं।

माननीय सभापति : नहीं नहीं, अब नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि एक बार बोल लेंगे तो फिर बीच में एक माननीय सदस्य बोलें, फिर वे बोलें। ऐसी परंपरा नहीं है।

â€¦(व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी : राजेश जी, आज छोड़ दीजिए। ...(व्यवधान) सर, वे आपकी बात मान गए हैं।

माननीय सभापति : मंत्री जी के वक्तव्य के बाद वे अपना प्रश्न कर लेंगे, इसके लिए हम इजाज़त देते हैं।

श्री राजीव प्रताप रूडी : वे मान गए हैं।

15.07 hours

(At this stage, Shri Rajesh Ranjan went back to his seat)

*DR. PRABHAS KUMAR SINGH (BARGARH): I may kindly be allowed to lay the following few lines in respect of further discussion and voting on the Demands of Grants under the control of the Ministry of Social Justice and Empowerment for 2016-17.

In the year of 125 years of Dr. B.R. Ambedkar's Birth centenary, this Demand for Grants is quite baffling. The funds allocated under this Ministry should be spent in proper direction and spirit. Even today after 68 years of Indian independence, SC, ST, socially backward class, physically handicapped are languishing in our society. Implementation of distribution of funds is not done in letter and spirit. The physically challenged are the most neglected class who deserve special care. Reservation admission in academic and institutions, jobs in various sectors, both private and government. Senior citizens should be taken care of who are uncared by the family members specially special old care home should be made for those type of people.

There is a private school in Bargarh town (Odisha) under my Parliamentary constituency for physically handicapped students. The students in this school are doing commendable job both in academic and sports. One student, Rajesh won silver and gold medal in 400 and 200 metre race in Los Angeles Olympics, 2015. Therefore, I would like to provide special funds for construction of school building and hostel for this school.

Thanking you for giving me this opportunity to lay this few lines.

*SHRI ARJUN RAM MEGHWAL (BIKANER): I want to lay the following on the Demands for Grants of the Ministry of Social Justice and Empowerment –

The Budget for the distribution of Equipment of Disabled person should be increased because it is a very good programme. Every year the mela for the distribution of equipments should be organised at District level with the consultation of Member of Parliament.

*डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक (हरिद्वार)ः मैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की अनुदान की मांगों (2016-17) पर अपने विचार रखता हूँ।

राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान को अंतिम रुपः इस महत्वपूर्ण संस्थान के निर्माण में रास्ते की दिक्कतों को दूर करते हुए भोपाल में भूमि प्राप्त कर ली है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को अंतिम रुप दिया जा रहा है। मेरा पूर्ण विश्वास है कि शीघ्र ही यह संस्थान संपूर्ण भारत में विकलांगजनों के उत्कृष्ट संस्थान के रुप में सेवाएं देने लगेगा।

विकलांग जॉब पोर्टल शुरः इतिहास इस बात का साक्षी है कि देश के विकलांगजन नौकरी के लिए दर-दर की ठोकरे खाने पर मजबूर थे। उन्हें नौकरी के लिए जगह-जगह जाना पड़ता था और एक उपेक्षापूर्ण और तिरस्कार भरे वातावरण का सामना करना पड़ता था। परन्तु उनकी इस परेशानी को दूर करते हुए ऑनलाइन जॉब पोर्टल बनाया गया है, जहां विकलांग लोगों के लिए रोजगार की उपलब्धता, प्रशिक्षण, शिकायत व कौशल विकास की सारी जानकारी एक जगह मिल पाएंगी।

तिरुअनंतपुरम में राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापनाः देश में विकलांगता और पुनर्वास के क्षेत्र में शिक्षा और शोध की महता को समझते हुए तिरुअनंतपुरम में राष्ट्रीय वाक श्रवण संस्थान का उच्चीकरण कर उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विश्वविद्यालय के रुप में स्थापित करने की दिशा में उत्साहजनक प्रगति हुई है। देश में विकलांग शिक्षा के उन्नयन में यह संस्थान प्रभावी भूमिका निभाएगा। मैं इसके लिए माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता जी को बधाई देता हूं ।

सशक्तीकरण पुनर्वास योजनाओं का सफल क्रियान्वयनः fodyakx tu l'kfDrdj.k foHkkx]fodyakx O;fDr;ksa ds l'kfDrdj.k vkSj iquokZl gsrq fofHkUu ;kstuk,a pyk jgk gSA bu ;kstukvkas dk mnns';] fodykax O;fDr;kas ds 'kkjhfjd] euksoSKkfud] lkekftd 'kSf{kd vkSj vkfFkZd iquokZl rFkk fodkl dks c<+kuk gS rkfd muds thou Lrj dh xq.koRrk eas c<+ksRrjh dh tk lds vkSj lkFk gh os ,d lEekuiw.kZ thou th ldsA fodykax tu l'kfDrdj.k foHkkx dk o"kZ 2016&17 gsrq ;kstukxr ctV vuqeku vkcaVu 700 djksM+ :Ik, rFkk xSj&;kstukxr vkcaVu 83-56 djksM+ :Ik, gSA bl o"kZ vkcaVu esa 134-60 djksM+ dh o`f) dh xbZ gS tks fiNys o"kZ ds ctV vuqeku] tks fd 565-40 djksM+ :i, Fkk] 23-80 izfr'kr vf/kd gSA

सार्वभौमिक सुगमता की ओरः bl o"kZZ fodykaxtuksa gsrq lkoZHkkSfed lqxE;rk izkIr djus rFkk leFkZdkjh ,oa ck/kkeqDr okrkoj.k l`ftr djus ds fy, ekuuh; foÃ™k ea=h }kjk jk'VÂªO;kih Â¶ySxf'ki vfHk;ku ds :i esa 3 fnlEcj 2015 dks lqxE; Hkkjr vfHk;ku dk 'kqHkkjaHk fd;k x;k FkkA ftlds fy, fo'ks'k :i ls 200 djksM+ vkcafVr fd;s x;s gSA bl vfHk;ku dk /;ku rFkk y{; 3 ofVZdyksa ftuds uke ãš&Â¼dÂ½ fufeZr okrkoj.k dh lqxE;rk, Â¼[kÂ½ ifjogu iz.kkyh dh lqxE;rk Â¼xÂ½ Kku rFkk vkbZ-lh-Vh- bZ&dks iz.kkyh dh lqxE;rk ij jgsxk। foHkkx dh ;kstuk gS fd lqxE; Hkkjr vfHk;ku dks Hkkjr ds nksuksa 'kgjh rFkk xzkeh.k Hkkxksa esa tu vfHk;ku cukus ds fy, vR;f/kd iz;kl fd;k tk;sA

lqxE; Hkkjr vfHk;ku ds rgr fuEufyf[kr mÃs'; rFkk y{; 'kkfey fd;s x;s cÃ©-

fufeZr okrkoj.k

i. lqxE; ljdkjh Hkkouksa ds vuqikr dks c<+kukA

lkoZtfud ifjogu

ii. lqxE; ,;jiksVksZa ds vuqikr dks c<+kukA

iii. lqxE; jsyos LVs'kuksa ds vuqikr dks c<+kukA

iv. lqxE; lkoZtfud ifjogu ds vuqikr dks c<+kukA

Kku rFkk vkbZ-lh-Vh- bZdks &iz.kkyh

v. lqxE; rFkk mi;ksxh lkoZtfud nLrkostksa rFkk osclkbZVksa ds vuqikr dks c<+kuk, tks varjkZ"VÂªh; rkSj ij ekuuh; lqxE;rk ekudksa ls esy [kk सकेंA

vi. ladsr Hkk"kk ढुHkkf"k;ksa ds iwy dks c<+kukA

vii. ljdkjh nwjn'kZu lekpkj dk;ZÃ¯eksa dh nSfud dSi'kfuax rFkk ladsr Hkk"kk O;k[;k ds vuqikr dks c<+kukA

विकलांग जनों को शिक्षा - नए युग का सूत्रपातः izh&esfVÂªd Nk=o`fRr] iksLVeSfVÂªd Nk=o`fRr rFkk mPp Js.kh f'k{kk uked 3 ubZ Nk=o`fRr ;kstuk,a o"kZ 2015&16 esa izkjaHk dh xbZ gS] tks jk"VÂªh; bZ&LdkWyjf'ki iksVZy ij miyC/k gS rkfd Nk= vkWuykbu vkosnu dj lds rFkk izR;{k ykHk varj.k (DBT) ds tfj;s ykHkkfFkZ;ksa dks ykHk igqÂ¡p ldsA ;w-ih-,l-lh-@vkbZ-vkbZ-,e- (CAT, Medical, Enginering bl o"kZ izkjaHk gksus tk jgk gSA Â½ dh izos'k ijh{kk gsrq dksfpaxA

fodyakx O;fDr;kas gsrq ;a=kas@midj.kksa dh [kjhn@fQfVax ds fy, lgk;rk ;kstuk Â¼fMiÂ½% fodykax O;fDr;kas ds 'kkjhfjd] lkekftd rFkk euksoSKkfud iquokZl ds lao/kZu ds fy, fVdkÃ… vR;k/kqfud rFkk oSKkfud n`f"V ls fufeZr vk/kqfud ;a=kas rFkk midj.kksa dh [kjhn eas t:jrean fodyakx O;fDr;ksa dks lgk;rk iznku djus ds fy, fofHkUUk dk;kZUo;u ,tsafl;kas dks vuqnku lgk;rk iznku dh tkrh gSA ;kstuk ds varxZRk]o"kZ 2016&17 ds fy,] ctV vuqeku eas 130 djksM+ :Ik, dk vkcaVu fd;k x;k gSA ,fMi ;kstuk ds varxZr] ykHkkfFkZ;ksa dks lh/ks ykHk igqapkus ds fy,] forj.k f"kfoj vk;ksftr fd, x, gSaA o"kZ 2015&16 esa] ,fMi fuf/k;kas dk 'kr izfr'kr mi;ksx fd;k x;k gSA fodyakx O;fDr;kas gsrq ;kstuk eas vk/kqfud ;a=ksa rFkk lgk;d midj.kksa tSls VSCysVl] eksckbZy QksUl] LekVZ dsUl] Msth Iys;lZ] eksVjkbTM VÂªkbZLkkbZdYl] fMftVy fg;fjax ,Ml dksdfy;j baIykVal vkfn dks 'kkfey fd;k x;k gSA ,-Mh-vkbZ-ih- Ldhe ds rgr 125-50 djksM+ #i;s Â¼la'kksf/kr vuqeku 151-40 djksM+Â½ ds ctV vuqeku esa ls 2015&16 ds }kSjku 1-84 yk[k fodykaxtuksa ykHkkfUor djus ds fy, Â¼26-04-2016 dks vuqekfur vkadM+sÂ½ 151-16 djksM+ #i;s dh vuqnku lgk;rk tkjh dh xbZ FkhaA ,-Mh-vkbZ-ih- Ldhe ds rgr o"kZ 2015&16 ds }kSjku dksdfy;j baIykVal ltZjh vk;ksftr djus ds fy, iwjs ns'k esa 140 vLirkyksa dks Â¼ljdkjh rFkk futh nksuksaÂ½ lwphc) fd;k x;k FkkA mDr vof/k ds }kSjku] 303 dksdfy;j baIykVal ltZjh lQyrkiwoZd iwjh dh xbZ Fkh rFkk mudk iquokZl izxfr ij gSA

nhun;ky fodyakx iquokZl ;kstuk Â¼MhMhvkj,lÂ½% ,u Mh , ljdkj dh bl egrh ;kstuk ds varxZRk] Loa;lsoh dk;Z dks c<+kok nsus ds fy, fodyakx O;fDr;ksa gsrq vuqdwy okrkoj.k rS;kj djus vkSj muds rFkk muds ifjokjkas ds fy, leku volj rFkk lkekftd U;k; lqfuf"pr djus ds fy, Loa;lsoh laxBukas dks vuqnku lgk;rk Lohd`r dh tkrh gSA **bl ;kstuk ds fy, o"kZ 2016&17 esa ljdkj }kjk 45-00 djksM+ :Ik, dh /kujkf"k dk vkcaVu fd;k x;k gSA**

fodyakx O;fDr vf/kfu;e ds dk;kZUo;u gsrq ;kstuk Â¼fliMkÂ½% bl ;kstuk ds varxZr] Lok;Rr'kklh fudk;ksa rFkk fo"ofo|ky;ksa lfgr] dsUnz rFkk jkT; ljdkjksa }kjk LFkkfir fofHkUu vU; fudk;ksa rFkk jkT; ljdkjksa dks fodyakx O;fDr vf/kfu;e] 1995 ds mica/kksa dks ykxw djus ls lacaf/kr xfrfof/k;kas esa lgk;rk nsus ds fy, vuqnku lgk;rk iznku dh tkrh gSA ;kstuk ds varxZr] o"kZ 2016&17 gsrq 193-00 djksM+ :Ik, dk vkcaVu fd;k x;k gSA pkyw o"kZ esa dkS'ky fodkl rFkk lesfdr {ks=h; dsUnzksa dk foLrkj] ;kstuk dk ,d izeq[k ?kVd gksxkA

fodykaxtuksa ds dks'ky fodkl gsrq jk"VÂªh; dk;Z;kstuk dk 'kqHkkjaHk dks'ky fodkl rFkk m|ferk ea=ky; ds lg;ksx ls fd;k x;k FkkA izFke rhu o"kksZa esa 5 yk[k fodykaxtuksa dk izf'k{k.k izkjaHk djds 2022 rd 20 yk[k fodykaxtuksa dks izf'kf{kr djus dk y{; gSA dks'ky izf'k{k.k lwphc) izf'k{k.k Hkkxhnkjksa ds usVodZ }kjk fn;k tk;sxk rFkk bl o"kZ esa 1-50 yk[k fodykaxtuksa dks izf'kf{kr fd;k tk;sxkA

**fodyakx O;fDr;ksa gsrq jk"VÂªh; v/;srko`fRr ;kstuk Â¼vkjth,u,Q,lÂ½%** fodyakx O;fDr;ksa gsrq]jk"VÂªh; v/;srko`fRr ;kstuk] foRrh; o"kZ 2012&2013 esa] fodyakx Nk=ksa dks mPp f'k{kk izkIr djus ds voljksa dks c<+kus ds mnns"; ls 'kq: dh xbZ Fkh ftlls os fo"ofo|ky; vuqnku vk;ksx }kjk ekU;rk izkIr fdlh Hkh fo"ofo|ky; esa ,e-fQy rFkk ih-,p-Mh tSlh fMxzh izkIr dj ldsA 2012&13 ls 854 izR;kf'k;ksa dks Nk=o`fRr ds fy, pquk x;k gSA rFkk v/;srko`fRr jkf'k dks 25000 gtkj ls 28000 izfrekg ds chp j[kk x;k gSA Ldhe ds rgr ctV vuqeku 2016&17 esa 19-50 djksM+ :i, vkcafVr fd;s x;s gSA

jk"VÂªh; laLFkku Â¼,uvkbZÂ½% bl foHkkx ds v/khu] fodykaxrk ds {ks= esa dk;Zjr lkr jk"VÂªh; laLFkku gSaA ;s laLFkku fodyakxrk ds {ks= esa ekuo lalk/ku fodkl] fodykax O;fDr;ksa dks iquokZl lsok,a eqgS;k djkus vkSj vuqla/kku vkSj fodkl iz;klksa esa layXu gSaA jk"VÂªh; laLFkkukas ds fy, o"kZ 2016&17 esa ctV vuqeku 113 djksM+ :Ik, dk vkcaVu fd;k x;k gSA jk"VÂªh; laLFkkukas ds ek/;e ls bu {ks=ksa eas] lsok dk;Zdykiksa ds voljksa] iquokZl {ks= esa f"k{kk vkSj vuqla/kku eas lrr o`f) gqbZ gSA foÃ™k o"kZ 2015&16 ds nkSjku] jk"VÂªh; laLFkkuksa dks fuf/k tkjh djus gsrq Ldhe ds rgr 106 djksM+ :i, ds vkcaVu ds eqdkcys jk"VÂªh; laLFkkuksa dks 104-27 djksM+ :i, ds cjkcj fuf/k tkjh dh xbZ FkhA esjk iz;kl gS fd ftu jkT;ksa esa fQygky fodyakxtuksa dks O;kid lsok,a iznku djus ds fy, dksbZ jk"VÂªh; laLFkku vFkok lesfdr {ks=h; dsUnz ekStwn ugha gS] mu jkT;ksa esa de&ls&de ,d laLFkku@lesfdr {ks=h; dsUnz dh LFkkiuk dh tk;sA

Hkkjrh; Ã‘f=e vax fofuekZ.k fuxe Â¼,fyEdksÂ½] dh egRoiw.kZ Hkwfedk% Hkkjrh; Ã‘f=e vax fofuekZ.k fuxe] Â¼,fyEdksÂ½ uked izfl) izsjd daiuh gS tks fiNys 42 o"kksZa ls ÃŸfcuk ykHkÃž dk;Z dj jgh gSA ;g vkbZ-,l-vkbZ- fpfUgr lgk;d midj.kksa dh cM+s iSekus ij fofHkUu fdLeksa ds vR;f/kd ykxr fdQk;rh fuekZ.k ds usd dk;Z esas yxh gqbZ gSA blds vykok] ,fyEkdks fofHkUu ljdkjh Ldheksa] dkWjiksjsV {ks= dh lh-,l-vkj- ifj;kstukvksa] ,e-ih-ySM fuf/k;ksa ds mi;ksx] jkT; ljdkjksa] jk"VÂªh; laLFkkuksa] Mhyj usVodZ] ,u-th-vks- vkfn ds rgr iwjs ns'k esa] lHkh jkT;ksa rFkk la?k'kkflr izns'kksa rFkk 640 ftyksa vkSj 5500 [k.Mksa tks ns'k ds 32-8 yk[k oxZ fdyksehVj esa QSys {ks= dks doj djrs gq, vfLFk fodykaxrk] J`o.kckf/krk] n`f"Vckf/krk rFkk ckSf)d fodkl dh vko";drk dks iwjk djus gsrq fodykaxtuksa dks l'kfDrdj.k rFkk xfjek dks iqu% LFkkfir djus ds fy, bu lgk;d midj.kksa dks forfjr djrk vk jgk gSA ,fyedks dks foÃ™kh; lgk;rk@vk/kqfudhdj.k ds fy, fnukad 06-07-2015 vkSj 12-08-2015 dks vkns'k tkjh fd;s x;s gSaA pwafd IykaV@e'khujh rFkk izkS|ksfxdh vkfn tSls blds vf/kdka'k lajpuk;sa iqjkuh gks pqdh gSA ,fyedks dh vk/kqfudhdj.k ;kstuk ds iwjk gksus ds ckn] fuxe dks vk'kk gS fd og 2014&15 ds nkSjku 162-70 djksM+ ds VuZ vksoj ds eqdkcys 2018&19 dk 700 djksM+ :Ik;s ds VuZvksoj dks igqap tk;sxkA Hkkjrh; Ã‘f=e vax fofuekZ.k fuxe us vkWVks okWd bafM;k ds lkFk ekuuh; lkekftd ,oa vf/kdkfjrk ea=h dh mifLFkfr esa Hkkjr esa fuEu iSj fpfdRlk iz.kkyh dh oguh; dyk dks mRikfnr djus ds fy, le>kSrk Kkiu Â¼,evks;wÂ½ ij gLrk{kj fd;s gSaA vkWVks ckWd bafM;k rFkk ,fyedks us izkS|ksfxdh ds varj.k rFkk rduhdh ,oa ijke'khZ lsok,a djkj ij 20 ebZ] 2015 dks gLrk{kj fd;s gSa] ftlls ns'k esa oguh; dher ij fodykaxtuksa gsrq uohu l`tu fuEu iSj fpfdRlk iz.kkyh dk vR;f/kd fuekZ.k fd;k tk ldsA

lkekftd U;k; foHkkx us Hkkjrh; ladsr Hkk'kk vuqla/kku vkSj izf'k{k.k dsUÃ¦ dh LFkkiuk djus ds fy, vuqeksnu fn;k gS ftldk mn~ns'"; Hkkjr esa Hkkjrh; ladsr Hkk'kk ds iz;ksx dks c<+kok nsus] Hkkjrh; ladsr Hkk'kk esa vuqla/kku djuk vkSj Hkk'kk dk Hkk'kk;h fjdkWMZ@fo'ys'k.k rS;kj djuk] fofHkUu Lrjksa ij ladsr Hkk'kk vkSj vU; lacaf/kr {ks=ksa esa O;fDr;ksa dks izf'kf{kr djuk gSA

,loh,uvkbZvkjVh,vkj esa ,d tyfpfdRlk bdkbZ] Nk=kokl Hkou] xsV iz;ksx'kkyk] ekWM~;wyj vkWijs'ku fFk;sVj 'kq: fd;k x;k gS vkSj fnukad 13-03-2016 dks mixzg dsUÃ¦ ckykaxhj uhao dk iRFkj j[kk x;k FkkA

vyh ;koj tax jk'VÂªh; Jo.k ckf/kr laLFkku] eqEcbZ esa dkWdfy;j bEiykUV foax dk mn~?kkVu fnukad 05-04-2015 dks fd;k x;k FkkA dkWdfy;kj bEiykUV dh iqfLRkdk 5 Hkk'kkvksa Â¼fgUnh] ejkBh] rsyxw] caxyk vkSj vaxzsthÂ½ esa tkjh dh xbZ FkhA Jo.k ckf/kr cPpksa dh mifLFkfr esa vfHkHkkodksa dks okd izkslslj lkSais x;s FksA cPpksa] O;Ldksa vkSj ofj'B ukxfjdksa ds dku ds ihNs ds fMftVy Jo.k lgk;d ;a= forfjr fd;s x;s Fks rFkk ,llh@,lVh cPpksa dks iqLrdsa forfjr dh xbZ FkhA

bl foHkkx us Lokeh foosdkuUn jk'VÂªh; iquokZl izf'k{k.k vkSj vuqla/kku laLFkku] dVd ds iz'kklfud fu;U=.k ds varxZr jktuUn xkÂ¡o esa u;s lesfdr {ks=h; dsUÃ¦ dh LFkkiuk ds fy;s izLRkko dks fnukad 22-08-2015 ds vkns'k }kjk vuqeksfnr dj fn;k gSA lhvkjlh] jktuUn xkÂ¡o dks 47-74 yk[k :i;s dh fuf/k;kÂ¡ tkjh dh xbZ FkhA

bl foHkkx us lhvkjlh] Jhuxj esa LVksj ,oa iz'kklfud CykWd ds fuekZ.k gsrq 63 yk[k :i;s vkSj dkWyst ds Hkou ds fuekZ.k ds fy;s 2-07 djksM+ :i;s LohÃ‘r fd;s gSA foHkkx us lhvkjlh iVuk ds iz'kklfud Hkou dk fuekZ.k dk;Z fnukad 17-08-2015 dks vuqeksfnr vkSj 'kq: fd;k gSA

foHkkx us jk'VÂªh; ekufld fodykax laLFkku] fldUÃ¦kckn ds iz'kklfud fu;U=.k ds varxZr usYyksj esa u;s lesfdr {ks=h; dsUÃ¦ dh LFkkiuk gsrq izLrkoksa dks vuqeksfnr dj fn;k gSA lhvkjlh usYyksj ds fuekZ.k gsrq 5-72 djksM+ dh fuf/k;kÂ¡ tkjh dh xbZ FkhA

fodykaxtu l'kfDrdj.k foHkkx us tuojh] 2015 esa fodykaxrk ls lacaf/kr izkS|ksfxdh] mRiknksa vkSj eqn~nksa laca/kh ,d ;kstuk 'kq: dh gSA

dsUÃ¦ ljdkj }kjk o'kZ 1999 esa vkWfVTe] Ã§efLr'd vax?kkr] ekufld eanrk vkSj cgqfodykaxrk okys O;fDr;ksa ds dY;k.k ds fy;s jk'VÂªh; U;kl LFkkfir fd;k Fkk vkSj jk'VÂªh; U;kl dks dk;Zdyki pykus ds fy;s 100 djksM+ :i;s dh dks'k fuf/k miyC/k djkbZ FkhA jk'VÂªh; U;kl dks mlds dk;Ã˜eksa@dk;Zdykiksa ds vkmVjhp rFkk dojst dks c<+kus ds fy;s lgk;rk nsus ds mn~ns"; ls bl ea=ky; us flrEcj] 2015 esa jk'VÂªh; U;kl dks ctV lgk;rk miyC/k djkus ds fy;s ,d ;kstuk 'kq: dh gSA bl mn~ns"; ds fy;s o'kZ 2015&16 ds nkSjku jk'VÂªh; U;kl dks 98-00 yk[k :i;s dh jkf'k Hkh tkjh dh xbZ gSA

vkWfVTe fof'k'V :i ls fodykaxtu Â¼leku volj] vf/kdkj laj{k.k vkSj iw.kZ HkkxhnkjhÂ½ vf/kfu;e] 1995 ds varxZr 'kkfey ugha gSA bl ea=ky; us vkbZ,ulh,ybZ,u midj.kksa rFkk bf.M;u Ldsy vkWQ ,lslesUV vkWQ VwYl ds vk/kkj ij vkWfVTe ds ewY;kadu vkSj izek.ku ds fy;s fn 'kk funsZ'kksa dks vc vafre :i fn;k gSA vkbZ,ulh,ybZ,u midj.kksa dk iz;ksx leqnk; esa vkWfVTe ds ekeyksa dh igpku djus ds fy;s fd;k tk;sxk rFkk ,slh igpku ds vk/kkj ij vkWfVTe ds ekeyksa dk vkbZ,l,, VwYl ds vk/kkj ij vkadyu vkSj izek.ku fd;k tk;sxkA ;s fn'kk funsZ'k fnukad 25-06-2015 dks vf/klwfpr fd;s x;s gSA

ljdkj }kjk 10 izLrko Â¼vFkkZr~ ubZ czSy izSl dh LFkkiuk&2] cSzy izSl dk vk/kqfudhdj.k&6] cSzy izSl dk foLrkj&2Â½ vuqeksfnr fd;s x;s gSaA ,uvkbZoh,p nsgjknwu dks o'kZ 2015&16 ds nkSjku 9-80 djksM+ :i;s dk vuqnku tkjh fd;k x;k gSA ;g vk'kk fd tkrh gS fd pkyw o'kZ esa 10 vkSj cSzy izSlsa 'kq: gks tk;saxh] ftuesa ls vusd cSzy izSl jkT;ksa dh Hkk'kk esa gksaxhA orZeku ljdkj dk ;g ,d ljkguh; dne gSA

bl foHkkx us fodykaxtuksa ds fy;s ^esd n jkbZV jh;y* baP;ksu dk;Zuhfr dk dk;kZUo;u ekfuVj djus ds fy;s ubZ fnYyh esa ekpZ] 2015 ds nkSjku fodykaxtuksa ds ;wusLdsi ,f'k;kbZ vkSj iz'kkUr n'kd laca/kh dk;Zny dh est+ckuh dh FkhA

Hkkjr fodykaxtuksa ds vf/kdkjksa ds laca/k esa la;qDr jk'VÂª dUosas'ku dk ,d gLrk{kjdrkZ ns'k gSA fodykaxtuksa ds vf/kdkjksa ds laca/k esa bl dUosa'ku ds ckjs esa Hkkjr dh igyh ns'k fjiksVZ uoEcj 2015 esa la;qDr jk'VÂª lfefr dks izLrqr dh xbZ FkhA

jk'VÂªh; okWd ,oa Jo.k laLFkku] fr:vuUriqje dk fodykaxrk ,oa iquokZl ds {ks= esa mPpÃ™kj f'k{kk ij /;ku dsfUÃ¦r djus ds fy;s jk'VÂªh; fo"ofo|ky; ds :i esa mUu;u fd;k tk jgk gSA O;; foÃ™k lfefr us fo"ofo|ky; dh LFkkiuk ds fy;s viuh flQkfj'ksa izLrqr dj nh gSa vkSj ;g foHkkx bl laca/k ij vkxs dkjZokbZ djsxkA

jk'VÂªh; ekufld LokLF; iquokZl laLFkku dh LFkkiuk ds fy;s Hkksiky esa Hkwfe izkIr dj yh xbZ gSA foLr`r ifj;kstuk fjiksVZ dks 'kh?kz vafre :i fn;k tk;sxkA

;wfud fMlfcfyVh ifj;kstuk pykbZ tk jgh gS] tks oSc iksVZy ij fodykax O;fDRk;ksa dk us'kuy MkVk csl l`ftr djsxk vkSj fodykaxrk izek.k i= tkjh fd;k tkuk lqfuf'pr djus esa lgk;rk iznku djsxhA lkÂ¶Vos;j fodflr fd;k x;k gSA MkVk ekbxzs'ku vkSj fMtkbus'ku ebZ] 2016 ls 'kq: gks tk;sxkA

foHkkx dk ;wfuolZy MkVk fMtkbu ds lekos'kh ,tsaMs ij lekos'kh vkSj ;wfuolZy fMtkbu gsrq ,d jk'VÂªh; laLFkku LFkkfir djus dk izLrko gS tks fodykaxtu }kjk lqxE;rk dks vf/kdre egRo iznku djrs gq, gj fdlh }kjk i;kZoj.k.kd igqap ij Qksdl djsxkA foHkkx ,uvkbZ;wMh dh LFkkiuk gsrq ijke'kZu vkSj lg;ksx gsrq ;wfuolZy fMtkbu ds {ks= esa 2&3 varjkZ'VÂªh; laxBuksa dh igpku dj jgk gSA

fodykax O;fDRk;ksa dks jkstxkj iznku djus gsrq fodykax O;fDr;ksa ds fy, ,d ^^tkWc iksVZy** fodflr fd;k x;k gSA ;g fodykax O;fDRk;ksa ds fy, tWkc miyC/krk] izf'k{k.k vkSj f'kdk;r fuokj.k] vH;fFkZ;ksa dks lqfo/kk;sa iznku djus vkSj fodykax O;fDRk;ksa dh vko';drkvksa tSlh fLdfyax@baIyka;esaV vkfn dk ladyu djsxkA

laln esa fodykaxtu vf/kdkj fo/ks;d izLrqr fd;s tkus ds ckn laInh; LFkk;h lfefr dh flQkfj'kksa ij dkjZokbZ djus gsrq lHkh laHko iz;kl fd;s x;s FksA lfefr dh flQkfj'ks izkIr gks tkus ij jkT; ljdkjksa@la?k jkT; {ks=ksa ds fopkj Hkh izkIr fd;s x;s FksA

एक बार पुनः मैं माननीय मंत्री जी को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित विकासोन्मुखी योजनाओं के लिए हार्दिक बधाई देना चाहता हूं तथा आशा प्रकट करता हूं कि समृद्ध सर्वश्रेष्ठ भारत का सपना साकार होगा।

***श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर (दाहोद)** ः मैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं।

देश में 60 प्रतिशत से ज्यादा अभी भी वंचित लोग हैं, जो सामाजिक एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। इन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने अनेकों योजनाओं एवं कार्यक्रमों को बनाया है। देश में आर्थिक एवं सामाजिक रूप से कमज़ोर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिए जा रहे हैं, जिनके माध्यम से केंद्र एवं राज्य सरकारों एवं सरकारी विभागों में इन वर्गों को नौकरी मिल रही है। देश में वृद्ध जन भी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं और अल्पसंख्यक समुदाय को उनका हक दिलाने के लिए यह मंत्रालय अहम भूमिका निभा रहा है।

देश के वंचित लोगों को सुविधा दिलाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा इस वित्तीय वर्ष में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के बजट को पहले की अपेक्षा 11.69 प्रतिशत बढ़ाकर 7,360 करोड़ रूपए का प्रावधान किया है। इससे यह पता लगता है कि वर्तमान सरकार वंचित एवं पिछड़े लोगों का कितना ध्यान रखती है। इससे वृद्ध एवं विकलांग लोगों को सहारा मिलेगा और उन्हें आत्मनिर्भर बनने में सहायता मिलेगी। अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग को अपने विकास के सुनहरे अवसर मिलेंगे। देश में वृद्ध लोगों की संख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 10.38 करोड़ है एवं अल्पसंख्यकों की संख्या भी बढ़ रही है। देश की आबादी के साथ देश में विकलांग लोगों की संख्या भी बढ़ रही है, इन्हीं कारणों से मंत्रालय के बजट में और धन का प्रावधान किया जाये। साथ ही, मेरा सरकार से अनुरोध है कि इन वंचित वर्गों के लिए जो कल्याण संबंधी कई योजनाओ के लिए गैर-सरकारी संगठनों को आर्थिक मदद कर रही है, इसमें कई गैर-सरकारी संगठन द्वारा धन दुरूपयोग किये जाने की सूचना है, उसको रोका जाये।

वंचित एवं पिछड़े लोगों का अधिकांश भाग गांवों में रहता है, परंतु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की योजनाओं का अधिकतर लाभ इन ग्रामीण लोगों को नहीं मिल पाता है क्योंकि इन योजनाओं का प्रचार-प्रसार गांव स्तर पर कम है। इसके लिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि गांव स्तर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की योजनाओं एवं कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार पर ज़ोर दिया जाये। इन योजनाओं का आवेदन एवं प्रक्रिया संबंधी सहायता के लिए ऐसे स्थानों पर केंद्र स्थापित किये जायें जहां पर गांव के लोग आसानी से पहुँच सकें और आवेदन पर कार्यवाही के परिणाम की जानकारी भी देनी चाहिए।

देश के अनुसूचित जनजाति के लोग अधिकतर दूर-दराज़, पठारी स्थानों एवं जंगलों के आस-पास रहते हैं, जिसके कारण सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की कल्याण संबंधी योजनाएं नहीं पहुँच सकी। हालांकि इसके लिए जनजाति मामले मंत्रालय का गठन किया गया है और इसके कैबिनेट मंत्री एवं राज्य मंत्री जनजाति मूल के हैं, जिन्हें अनुसूचित जनजाति वर्ग की जमीनी समस्या नज़दीक से मालूम है और माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी ने जनजाति मामले मंत्रालय को बजट में 4,573 करोड़ रूपए दिलाया है, जो पूर्व बजटों में आवंटित धन से बहुत ज्यादा है। इसके लिए मैं सरकार का आभार व्यक्त करता हूँ।

देश में अल्पसंख्यक समुदाय के विकास के लिए एवं समर्थ बनाने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय प्रयास कर रहा है। वैसे देखा जाये तो देश का अल्पसंख्यक समुदाय परंपरागत कार्यों में संलग्न है एवं पुराने एवं दकियानूसी तरीके से काम कर रहा है। आवश्यकता है कि बदलते परिवेश में उन्हें कौशलता के करीब लाया जाये और उन्हें प्रशिक्षित किया जाये, जिससे हम अपनी आबादी के काफी हिस्से को कुशल बना सकें और इन्हें देश की राष्ट्रीय धारा में ला सकें।

देश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यक समुदाय को जमीनी तौर पर आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा और सिंचाई को बढ़ाया दिया जायेफ। इसके लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय एवं जल संसाधन एवं नदी विकास मंत्रालय को दूर-दराज़ एवं पठारी क्षेत्रों में शिक्षा के प्रसार एवं छोटी-छोटी सिंचाई योजनाएं चालू किये जाने हेतु अनुरोध करें। देश में नशीले पदार्थों की लत से बचाने के लिए नशाबंदी केंद्रों की स्थापना अधिक की जानी चाहिए जिससे युवा वर्ग को नशीले पदार्थों से दूर रखा जा सके।

*SHRI GOPAL SHETTY (MUMBAI NORTH): I would like to draw attention of the Government towards lakhs of blind persons in our country who are not included in any kind of helping hand schemes through our Prime Ministers for their welfare. It is true that Central Government is giving a grant of Rs. 300 per month and the same amount of grant is to be given by State Government but due to non-registration of many in numbers because they

don't have their own house. They don't have ration card because of no ration card they are not treated eligible and they do not get a penny. You can understand their problem seriously. In our country widows get monthly pension upto Rs. 2000 per month in some States of our country. In many States Misa Bandi Members get monthly Rs 10,000 to 25,000 rupees as honorary amount. But 100% blind people do not get respectable amount. I am trying hard from last two years through several correspondence to the Hon'ble Prime Minister and also others. In the matter I was informed that the Government has amended the law in 2014 to help them out but till date I don't see any help in the matter. I strongly demand a respectable amount of atleast Rs 5,000 by Central Government and same matching amount by State Government also. If that is done I feel the blind persons can atleast have two time ordinary meals. Sir, two years of our Government is nearing to complete I am happy that our great Prime Minister and all the concern ministers are working hard and very sincerely to fulfill the dreams of common people. I am proud to know that you are also one among them. Sometime back, it was brought to my notice that your Department/Ministry is only looking after handicapped people, not blind community and it comes under Rural Development Ministry. You are trying hard to include them in your Ministry but it has not been done so far. It is sad. I request your good self to take up the matter on priority and give justice to the blind community at large. I am of the opinion that if it is not done now then never in future hope you will do the best to help the lacs of blind people in the country in the ongoing year of Dr. Baba Saheb Ambedkar's 125 birth centenary year.

*KUMARI SHOBHA KARANDLAJE (UDUPI CHIKMAGALUR): The Ministry of Social Justice and Empowerment is the nodal Ministry for overall policy, planning and co-ordination of programmes of development of Scheduled Castes and Other Backward Classes, upliftment of SCs, STs, OBCs, Persons with Disabilities (PwDs), Transgender community, drug addicts and eradication of beggary. As per the 2001 Census, the population of the Scheduled Castes is 16.67 crore. Other Backward Classes, as per the estimates of the Mandal Commission, are 52 per cent. The Scheduled Castes and the OBCs together comprise of more than 68% of India's population. These are the people who are socially oppressed, discriminated, economically exploited and politically continue to be at disadvantage. Here, the Ministry will have to focus its functioning on the welfare and economic empowerment of these vulnerable sections.

We are in the process of building a democratic political society based on constitutional governance which respects human dignity but our age-old rigid social systems and caste-based customs and traditions still inhumanly deal with our fellow citizens. There is a need for strong enforcement of laws that protects dignity and punishes the perpetrator of discrimination.

The Protection of Civil Rights Act, 1955 primarily addresses the issue of untouchability. There has been a felt need to make a special legislation to make legal intervention in issues of atrocities against SCs and STs. After 40 years of constitutional governance, the SCs and STs (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (POA Act) came into force on January 30, 1990 as a Central Act. Again after 25 years, the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (PoA) Act, 1989 Amendment

was introduced as Ordinance in 2014 and later passed by Lok Sabha. The amendment has added many new clauses to the original act to make it more effective in ensuring justice to the historically oppressed communities in the country.

The implementation of any law depends on the State executive and judiciary as well as legislative bodies. The PoA Act has developed an in-built mechanism for its effective review and monitoring and included programmes of awareness building on the law and provision of legal aid, compensation to the victims with special courts for speed trial. The Ministry of Social Justice and Empowerment and Ministry of Tribal Affairs, Ministry of Home and constitutional bodies such as National Commission for Scheduled Castes and National Commission for Scheduled Tribes and their State counterparts are responsible for the effective implementation of the law.

Our Government has launched various new Schemes/Programmes, initiatives during the last two years: Rs. 500 crore has been allotted in the budget for Stand Up India scheme, to promote entrepreneurship among SC/ST and women. This is in line with the Prime Minister's call for promoting entrepreneurship among SC/ST to become job providers rather than job seekers. This Scheme will facilitate at least two such projects per bank branch, one for each category of entrepreneur. This will benefit at least 2.5 lakh entrepreneurs.

In the budget 2016-17, significant increase has also been made in the allocation of SC Sub Plan. Rs. 38,832 crore has been allocated under this head, while in the last budget this allocation was only Rs. 30,000 crore. These measures show that welfare of the vulnerable sections of the society, including SC/ST is in the top of the agenda of the Government.

Under Accessible India Campaign, the Ministry has taken initiative to make public spaces accessible to the Persons with Disabilities. Rs. 193 crore has been exclusively allotted in the budget 2016-17 for this purpose. Prominent public spaces including Government buildings will be made accessible by the end of the current fiscal year. Government is providing modern devices and appliances to the differently-abled for their mobility and enabling their normal life. Government has launched several schemes for the socio, economic development of the disabled. Modern Battery Run Tricycles, Hearing aids, Smart Cane, Tablets, Mobile Phones and financial assistances have been distributed to the disabled.

The Ministry is giving final touches to the Rights of Transgender Persons Bill to empower them to lead a dignified life.

Venture Capital Fund of Rs. 200 crore for Schedule Caste Entrepreneurs was created on 22 December 2014.

Credit Enhancement Guarantee scheme for Young Scheduled Caste Entrepreneurs has been launched with a budget of Rs. 200 crore to facilitate concessional finance. This will encourage Entrepreneurship among SC and result in job creation.

Two new Scholarship Schemes have been launched in 2015: National Fellowship for OBCs was launched and implemented through UGC and Dr. Ambedkar Post Matric Scholarship Scheme for Economically Backward Classes has also been launched.

The elderly constitute a growing proportion of our population owing to improved health care and declining mortality rates. Society as a whole

should take care of the elderly especially those who are economically and socially disadvantaged. It is our moral and social responsibility to not only protect and care for them but also cherish their valuable guidance and contribution.

Government has renewed its commitment to the welfare of elders and ensured for them a healthy, dignified and productive life. There is a need to sensitize various strata of the society towards the challenges being faced by the elderly people. Facilities to provide institutional care to needy elderly persons must be established in sufficient numbers. Government has taken a number of initiatives for the welfare of senior citizens. Programs and Policies are being reframed with this purpose.

Census statistics tells us that India has a youthful population, with over half the Indians being below the age of 35. What is often overlooked is that with increasing life expectancy, India is fast graying and that we have a large number of elderly- a growing and vulnerable segment which the Government and the society seem woefully ill equipped to manage. In India, as per the 2011 Census, the population of senior citizens who are more than 60 years old, was 10.4 crore, which is 8.6 percent of the population. A report jointly brought out by United Nations Population Fund (UNFPA) and Help Age International says that by 2050 the number of elders will shoot up to 32.3 crore, constituting 20 percent of the total population. Many other countries are witnessing similar demographic change. But in India, the problem is compounded by two issues.

One, the Indian society is undergoing rapid transformation under the impact of industrialization, urbanization and globalization. Consequently, the traditional values and institutions are changing, resulting in the weakening of inter-generational ties that were the hallmark of the traditional family structure in India where the care of the elderly was a shared responsibility with the children taking care of their parents. As nuclear families become the norm, the family based social safety nets are no longer adequate. Transition from rural, agrarian set-up to urban, industrial way of life, migration from villages to cities and increasingly, abroad, forces the younger generation to leave their elders alone back home. Finances are stretched as healthcare becomes expensive.

The second issue is that nearly 90 percent of the elderly have worked in the informal sector and do not receive any post-retirement social security coverage, like pensions and medical assistance. They either continue to work beyond retirement age or suffer from neglect and alienation. The impact and reach of public social security infrastructure has remained limited and a large number of elderly have failed to benefit from the government schemes.

The elderly in India face a range of challenges that include failing health, economic insecurity, isolation, lowered self-esteem, abuse, idleness and neglect. These specific set of problems require specialized response. There is a lack of infrastructure to provide the specialized attention to the growing numbers of elderly.

The Mohini Giri Committee, set-up to review the implementation of the 1999 National Policy for the elderly, had suggested sweeping changes to the government policies and programmes to make benefits to elderly more widely and easily available. It advised special focus on elderly women and rural poor and other disadvantaged seniors. It had also pointed out the lacunae in implementation of the existing schemes and suggested remedial action. The recommendations became the backbone of the National Policy on Senior Citizens 2011.

The draft 12th Five Year plan had also identified some key action areas- including the setting up a National Commission for Senior Citizen; Establishment of Old Age Homes with integrated multi-facility centre in 640 districts and Health insurance for senior citizens. International experience shows a combination of welfare policies lead to healthy and quality life for the elderly. Even in the absence of a well-endowed economy, strong political will can do the job.

While Government supported public social networks and safety nets are essential, we also need to look at how the elderly can continue contributing to the society longer. Government data shows that India's old age dependency ratio is increasing. In order to reduce the pension bills to manageable levels, we must also look at enhancing the productivity span of the elderly.

We need a transformation in how we visualize and treat the elderly in our society. Health care services should be based on the felt needs of the elderly, which would involve a comprehensive baseline morbidity survey and functional assessment in health areas that are perceived to be important to them. Education, training and information needs of older persons will also have to be met. The thrust should be to identify the more vulnerable among the older persons – the poor, the disabled, the infirm, the chronically sick and those without family support, and provide welfare services to them on a priority basis.

A large population of this country, especially in the North-East, Punjab and Maharashtra is addicted to drugs, and the Ministry should have some monitoring or a vigilance agency, along with the Home Ministry, because in the Home Ministry whoever deals with it knows from where the drugs are coming. Our youngsters, especially the youth of this country are getting spoilt. So, there should be a vigilance Committee for this purpose. Drug abuse is a psycho-social-medical problem requiring a holistic approach and comprehensive treatment programme. Attention should be focused on enabling addicts become productive members of the society by making them drug free, crime free and gainfully employed. Generating continuous and sustained awareness about the harmful effects of drug abuse is also important. Stress should be on mobilization of community resources and greater community participation. Apart from this, law enforcement agencies should be sensitized to the needs of victims of substance abuse to enable them to be rehabilitated and re-integrated into society.

Other important areas of this Ministry are the empowerment of Persons with Disabilities (PwDs). District Disability Rehabilitation Centres should be opened in every district of the country. Eradication of Beggary and empowerment of transgender community are also the subjects of this Ministry. The Union Government should take concrete steps to improve their lots without which the lofty aims of development are meaningless.

*SHRI S.P. MUDDAHANUME GOWDA (TUMKUR): Ministry of Social Justice and Empowerment is a very important Ministry on which any Government

should take a view very seriously. We talk and preach much about social justice, but while practising we lag behind. It is very unfortunate even after 69 years of Independence, we are still discussing and demanding social justice to the needy and eligible people.

Bringing these sections of the society who come under the purview of the Ministry of Social Justice and Empowerment, to the mainstream of the society is the paramount consideration of Government.

If we look at the budgetary allocation to this Ministry for the last three years, one can definitely come to the conclusion, that this Government has no serious concern about the upliftment of the people who come under the purview of this Ministry. Because, consistent reduction in the size of the budgetary support to this Department, clearly indicates the mindset of this Government. But still the Government has been propagating about the social and economic empowerment of the people who deserves.

If the Government of India has got serious concern, first of all they should think of providing good, qualitative and useful education to these sections of the society i.e. Scheduled castes, Scheduled Tribes, backward classes, transgenders, old, physically handicapped etc. It is only through providing education to every child from this section, some success could be achieved. Hence providing education to these sections, should be the prime and important concern for any Government.

Next come economic empowerment. Because unless these sections of the society is empowered economically, the real success or the intent could not be achieved. Economic empowerment can only bring some changes in the lives of these people. The Government of India talks much about programmes regarding this, but it is time to achieve in this regard.

Hence, I urge the Union Government to enhance the budgetary allocation and meet the situation.

* DR. MAMTAZ SANGHAMITA (BARDHMAN DURGAPUR): Ministry of Social Justice and Empowerment is looking after near about 2/3rd of our population, unfortunately demands for grants is always much less than required. If we analyze the budget allocation to major target population that confirms the above statement.

Of total budget allocation, SCs comprise of 16.6% population, but budget allocation 2%, and for ST it is 1.21% of the budget. Minority population in different states is between 15 to 28%, having only 1% of budget allocation. Women being 50% of population are getting 4.58 share only. Truly speaking, this budget marginalizes the above mentioned target groups. Like all other flowery plans of union government, MSJE is also allotted Rs. 500 crore to help SC/ST for economic development. It is apparently a very good gesture. It is a booster for SC/ST/Women entrepreneurs for small businesses. Collaboration with MSME and Industry association will help SC/ST to stand up. But the basic problem is that majority targeted population probably will not yet be able to avail this facility due to lack of education, knowledge etc. Girls and Boys hostels are being constructed for SC/ST and Minority, but running or administration sometimes becomes a problem due to lack of food or payment to staff.

Swami Vivekananda's direction of requirement "well educated, well fed and well health" is yet to be reached. This budget evades the real issues in social sector. It is focused on skill development, employment and entrepreneurship but lacks to address grass root problem. We know that health is wealth and education is the power. These two issues are neglected.

I am welcoming government's gesture on increasing the budget for SC/ST for Pre and Post Matric scholarships and scholarship for minority students as well as girls students. Yes it is helping secondary and higher education, but budget on basic education have been cut in last budget and budget allocation in education is only 1/3rd of required amount which is falling much shorter than required.

The school dropout is more among SC/ST and minorities. This should be specially dealt with through special policy and budget allotment.

Still Government is lagging much behind so far in its initiative to improve education among tribal population. There is lack of school, colleges and university around. Special budget should have been there for bridge school for drop outs.

Rajiv Gandhi Fellowship and Maulana Azad Foundation facility is mostly available in central universities. State universities are neglected in this matter.

We are celebrating 125th birth anniversary of Baba Ambedkar. Yet we are not that sincere to fulfill his wishes of uplifting Dalits and other backward classes and bringing them at par with mainstream.

The Ministry expressed its will for social and economic development of other target population under its preview but, in many cases, no proper planning budget or implementation is there yet.

Though there is a prohibition law, still there are manual scavengers which is aesthetically bad and detrimental for health. Neither proper planning or budget provision is there for their alternative job provision and rehabilitation. The same thing can be said regarding gutter/sewerage cleaners. We are talking about 'Swatch Bharat' and still bearing this inhuman affairs.

1% of our population is alcoholic or drug abused. Though the Ministry is aware of that and planned to establish some treatment and rehabilitation, adequate separate budget provision is not mentioned. For properly addressing this problem there should be provision of above facility up to district level. In collaboration with Department of Health and Family Welfare, treatment centres should be at least up to district hospital level. Even adolescent population is heading towards drug abuse, so the Government should take serious steps.

Senior citizens comprise of 8.86% of population and due to advancement of medical science, etc. there will be further growth of this sector. To help this targeted population, the Government should establish geriatric care centres and make provision of balanced diet supply and other provisions.

Since transgender is recognized as third gender, they are coming out to join the general pool. The Government has intention of helping them with rehabilitation, job and shelter but still lacking in planning and budget provision.

Government wishes to provide facilities for disabled persons in the form of supplying aids, prosthesis, special cycles and other appliances for free movement. The Government has also thought of providing special facilities in the form of lifts, ramps, toilets to facilitate smooth entry to government and public places. This will also help senior citizens. But truly speaking, the government should try to allot some money to establish research and production centres in various places for prosthesis or other appliances for disabled persons can be provided with jobs there. The Government should extend the special provisions provided for jobs.

Our Hon'ble Minister for Social Justice and Empowerment is quite active and taking steps in certain sectors so that the Ministry would really be useful for targeted sector; but Honourable Finance Minister should really help by increasing or rather giving at least the required budget.

1/1000 babies are born with congenital abnormalities which leads to various disabilities. Treatment of those babies are expensive as well as a burden for family. Survey of those cases under Government initiatives is yet to be developed. There should be provision for treatment of those condition. For this, special budget provision and planning is required.

*SHRI RAMESHWAR TELI (DIBRUGARH): I support the Demands for Grants under the control of the Ministry of Social Justice and Empowerment for the year 2016-17. The Ministry of Social Justice and Empowerment is mandated to look after the welfare of backward classes, scheduled castes, denotified tribes, economically backward classes and senior citizens, etc. The department of Disability Affairs looks after the affairs of disabled people. The Ministry, as a matter of fact, works for the upliftment of the oppressed and the downtrodden by providing financial and institutional assistance to them.

A society can progress only when all its people are given equal opportunities so that everyone can march ahead taking the country along the path of development. The Ministry of Social Justice and Empowerment has prepared a number of schemes and programs for the welfare of the people belonging to SCs, STs and other backward classes, etc. I appreciate the Ministry for taking such positive initiatives.

I belong to tea community in Assam. The tea community is an integral part of Assamese society who toil very hard day in and day out to make the state prosperous by contributing immensely to the production of tea. But unfortunately today even after 67 years of independence they are living in a very pathetic condition. They do not have proper health care and housing facilities, educational facilities, drinking water and sanitation, electricity connection and so on. They have very poor access to anti-poverty, social security and scholarship schemes and are deprived of all basic amenities of life. In fact, tea communities are still an oppressed lot. I therefore request the Hon'ble Minister of Social Justice and Empowerment to launch special drive for ameliorating the condition of the people belonging to tea workers community so that these hard working people can also enjoy the fruit of development. At the same time, I would like to request the Hon'ble Minister to make special financial provisions to provide educational and medical facilities to the people working in tea gardens of Assam. I hope, under the dynamic leadership of Shri Thaawar Chand Gehlotji, the Ministry will be able to fulfill the hopes and aspirations of the people.

*SHRI NISHIKANT DUBEY (GODDA): Social Justice is a revolutionary concept which provides meaning and significance to life and makes the rule of law dynamic. When Indian Society seeks to meet the challenge of socio-economic inequality by its legislation and with the assistance of the rule of Law; it seeks to achieve economic Justice without any violent conflict. The Idea of welfare state is that the claims of social justice must be treated as cardinal and paramount. Social Justice is not a blind concept. It seeks to do Justice to all the citizen of the state. Social Justice must be achieved by adopting necessary and reasonable measures. That shortly stated, is the concept of Social Justice and its implications. Thus, the term Social Justice is a blanket term so as to include both Social Justice and Economic Justice.

The Concept of Social Justice is replete with multifarious connotations. It is equated with a welfare state. It is considered to be analogous to an egalitarian society. It is treated to be an incident of the Rule of Law. It is co-extensive with Social welfare. Because Social Justice is supposed to dwell mainly in the abolition of all sorts of inequalities which are the concomitants of all sorts of inequalities of wealth and opportunity, race, caste, religion, distinction and title 'The Declaration of American Independence'.

There are several ways and means to attempt change in social values and modes of social behaviors. Bringing about social reform through legislations is an important tool to deliver social justice to a significant extent to needy and weaker sections of the society. Reformers belonging to nineteenth and early twentieth century's seem to have given great deal of importance to social legislation for this purpose. Legislations pertaining to the weaker sections, especially women viz., Sati Pratha, the amendments to Hindu Marriage Act & Family laws, Labour Laws, Dowry, Child Marriage Act, the Acts protecting the interests of handicapped, minorities and powerless groups; reform relating to social evils like beggars, begging, prostitution and social security were enacted with the hope that these laws would attempt to abolish social evils or facilitate in bringing about the desired social change. Indian Constitution makers and the Parliament have also shown immense faith in legislation to bring about change in the society. The Constitution of India declared that untouchability stood abolished. Later, when it was found that mere declaration was insufficient, the Parliament passed the Untouchaility Offences Act in 1955. Social Justice is considered as a basic need and concern of human societies. It forms a part of broader concept of justice in general. The Oxford Dictionary observes, "Justice as just conduct of fairness. It means all forms of rightful action". The idea and principle of social justice is based on treating every individual equally and giving each his due. Justice is, thus, opposed to inequality, injustice and deprivation. "Justice connotes moral dispensation and it is the human ideal". The Social Justice is "the intelligent cooperation of people in producing an organically united community so that every member has an equal and real opportunity to grow and team to live to the best of his native abilities". The concept of social justice is founded on the basic ideal of socio-economic equality and its aim is removal of socio-economic disparities and inequalities".

The welfare legislations enacted during the post-independence era, the establishment of Human Rights commission, Women's commission, Family Courts, Industrial tribunals, Administrative Tribunals, Ombudsman, Panchayati Raj, and Lok Adalats, etc. are only a few illustrations to suggest that the sole objective is to make justice available to a common man and ameliorate the sufferings of masses including women, children and other neglected and weaker sections of the society. The laws relating to consumers protection, dowry prohibition, abolition of bonded labour, control of environmental pollution, etc. have been enacted to provide social justice.

*डॉ. किरिट पी. सोलंकी (अहमदाबाद) मैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं। नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी भाजपा और एनडीए की सरकार ने गरीबों, दलितों, वनवासियों एवं पिछड़ों के लिए पिछले दो साल में जो कदम उठाए हैं, वे सराहनीय हैं, और उनके सशक्तिकरण के लिए जो ठोस प्रावधान किए हैं, उसके लिए मैं, हमारे प्रधानमंत्री जी और मंत्री, श्री थावरचंद गहलोत जी का अभिनंदन करता हूं। इस जनरल बजट में जिस तरह से धन का आवंटन किया उससे उनके विकास की प्रक्रिया तेज होगी।

हमारे प्रधानमंत्री जी ने " स्टैण्ड अप ईन्डिया " और "स्टार्ट अप ईण्डिया" का ऐलान किया है, उसकी वजह से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं के लिए 10 लाख से लेकर एक करोड़ रूपयों तक लोन मिलेगी और इस योजना के लिए बैंकों की हर शाखा को उन वर्गों के लिए लोन देना पड़ेगा। मेरा स्पÂट रूप से मानना है कि, इस योजना की वजह से समाज के पिछले तबके के लोगों को बहुत फायदा होगा। छोटे-छोटे उद्यमियों के लिए " प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के माध्यम से छोटे छोटे ठेले वाले, उद्यमियों को फायदा होगा। " मुद्रा योजना " के तहत अनेक लोगों को फायदा होगा तथा दलित, वनवासी और पिछड़ों वर्गों के लोगों को अपने छोटे-छोटे कारोबार के लिए ऋण मिलेगा और उससे समाज में रोजगार के अवसर खुलेंगें।

हमारे प्रधानमंत्री जी ने डिक्की जो दलित उद्योगकारों का संगठन है, उनको सभी प्रकार की सुविधा देकर दलितों द्वारा रोजगार सृजन पर बल दिया है। प्रधानमंत्री एवं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री जी का मैं आभारी हूं कि देश में दलितों पर उत्पीड़न के मामले बढ़ रहे थे, अब उन समाज को न्याय दिलाने के लिए संसद में " अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में संशोधन (2016) करके, उनमें कई नये कड़े प्रावधानों को जोड़ा गया है। जिसकी वजह से उन वर्गों पर अत्याचार के मामले में कड़े कानून का प्रावधान लगेगा और इस पर रोक लग सकती है।

बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर जी का देश की राजधानी दिल्ली में कोई मेमोरियल नहीं था, हमारे प्रधानमंत्री जी ने 100 करोड़ की लागत से 26, अलीपुर रोड, जहां बाबा साहब ने अंतिम सांस लिए थे वहां तथा 200 करोड़ की लागत से 15 जनपथ रोड पर अंतरराÂट्रीय मेमोरियल केन्द्र का शिलान्यास किया है।

इस सरकार ने दलितों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए बहुत कदम उठाए हैं।

*SHRI OM BIRLA (KOTA): ""जब कभी आप अपने आप को शंका में घेरे पाओ, तो इस परीक्षा को अपनाना। सबसे दीनहीन, कमज़ोर, गरीब इंसान जिसे तुमने देखा हो, उसका चेहरा याद करना और स्वयं से पूछना, जो मैं करने जा रहा हूँ, क्या इससे उसका भला होगा। इस कदम से क्या उसे कुछ मिलेगा या नहीं? इससे क्या वो अपने भाग्य को, जीवन को सुधार पाएगा या नहीं? या यूं कहो, ऐसे करोड़ों को स्वराज मिलेगा या नहीं। तन और मन की भूख से तड़प रहे, जिनके बेश भी खाली हैं और हृदय भी, फिर देखना तुम्हारी सारी शंकाएंÃ¬ छूमंतर हो जाएंगी।""

जब भारत आज़ादी के कगार पर था और भारत में एक स्वतंत्र सरकार बन रही थी, तब महात्मा गांधी जी ने यह उपदेश बाबू जगजीवन राम जी को दिया था।

While India was at the cusp of independence, this was the piece of advice given by Mahatma Gandhiji to Bapu Jagjivan Ram on how better policies can be made for the benefit of the nation. This advice by Gandhiji is being followed with commitment by the Narendra Modi government.

This commitment is visible in the landmark budget presented by our Finance Minister, Shri Arun Jaitley. The focus on agriculture in rural areas has been backed up with proper roadmap for the

welfare of the people especially for those who failed to get the opportunities they rightfully deserve.

I welcome and congratulate the hike of close to 11.69% in the ministry's budget with an allocated amount of Rs.7,350 crores. Even the Scheduled Caste sub-plan has received Rs.38,832 crore, a 30% increase from the previous year's budget.

I feel proud to say that this government has created schemes that not just provide employment but ensure that there is a dignity and self-respect in the lives of people who were hardly noticed before.

I think one of the most important scheme with most impact will be the Standup India scheme. Rs.500 crores for encouraging entrepreneurship in scheduled caste and scheduled tribe individuals along with professional support will be a catalyst for social change.

For long, facilities for the disabled in public spaces have been neglected and the individuals are always faced with discomfort. Article 9 of UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities lays down the obligation for signatory countries to provide several facilities to the disabled. This government has started the Sugamya Bharat Abhiyan to create awareness as well as facilities for easier movement of the disabled in public spaces.

I need to highlight here that India's Department of Empowerment of Persons with Disabilities has carried out an initiative on priority to make railway coaches, airports, stations, tourist places accessible to those disabled. Steps like these go a long way in making their life normal as any of us. Moreover, I wish to highlight one more point from the discussion we had yesterday on Demands for Grants for skill development. The Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojna has also targeted skill training of 50,000 disabled individuals in 2016-17. I am happy that the budget has provided Rs.193 crores for making public spaces accessible for the disabled and Rs.700 crores overall for welfare of the disabled.

Even the Vanbandhu Kalyan Yojna will help to identify the extreme backward blocks with co-ordination from state governments with Rs. 10 crore for each blocks.

Mudra Yojna to make loans accessible to small businesses, Jan Dhan Yojna, Pradhan Mantri Swasthya Bima Yojna, providing LPG connection in rural areas, providing medicines through Jan Aushadhi Yojna, etc. are all schemes that create an atmosphere to flourish for those who did not get opportunities before. I also welcome the Ministry's efforts in providing equality with a new legislation to transgenders.

While the government has done a lot in this field the challenges still remain. I hope that the ministry will be able to eradicate manual scavenging completely and rehabilitate those rescued and help them lead a dignified life. I hope the complete details of the socio-economic and caste census 2011 will help in providing targeted benefits to people.

The scholarship amount provided to OBC students is very less and many are left out from its benefits due to low budgetary allocation to states. Moreover, it is necessary to understand that those students who miss out on the scholarship in the first year of post matric are left out of the benefits throughout their student life. Whereas this is not the case in SC and ST students. They get scholarship easily. Hence I urge the minister to ensure that the provisions for OBC scholarship is at par with the standards and rules set for SC and ST.

Moreover, I urge the minister to kindly consider separate allocation of funds for providing scholarship to Economically Backward Classes in Rajasthan on the same lines as allocated to students from backward castes. Moreover, to ensure that they do not have to bear the burden of expenses associated with studying away from home, they need to be provided hostel facilities along with basic allowances.

There is a special grant under Anuprati Yojna for students from SC, ST and minorities who clear IIT-JEE, AIEEE and study further. However, this programme should include even the students from Economically Backward Classes so that they benefit from the scheme too.

As mentioned earlier, the central government has launched several welfare schemes. However, the monthly pension schemes for widows, old age, physically challenged are not up to the mark keeping the inflation and the cost of standard of living. I urge the minister to re-evaluate the pension provided by attaching it with the inflation and cost of living.

Moreover, there should be better incentives and welfare measures for marriages of daughters of widows. Moreover, the ministry should provide interest-free loans on amount of upto Rs. 10 lakhs for people from backward caste and a grant of Rs. two lakhs.

We are at the cusp of completion of two years and I can guarantee you that the performance of Social Justice Ministry will be enough to tell you how good this government has been in implementing welfare policies. This is what we call *'Sabka Saath, Sabka Vikas'* in true sense.

*SHRI B.N. CHANDRAPPA (CHITRADURGA): It is a pity that even after 69 years of Independence people of our country are not receiving quality healthcare, education and basic amenities to lead a civilized life. There are still thousands of people who are living in a pitiable condition.

Unfortunately, the Union and State Governments have shown little interest to the implementation of these programmes. Funds of SCPs and TSPs are being diverted to other Departments. The funds of the SCPs have, for years, been diverted to build flyovers, rubberized roads, jails and statues in different States of our country. There is a huge public pressure demanding protection through legislation to ensure proper implementation of these two Sub-Plans. The schemes and programmes under this shall have special focus on gender constraints with emphasis on empowerment of women including girl children, youth and aged people with disability and other vulnerable sections with SCs and STs.

There are also lakhs of vacancies still exist in the Government sector. I would urge upon the Government to call all the legislators to discuss this matter. I would urge the Government to convene a Special Session of Parliament to discuss various points relating to the SCs and STs throughout the country.

I would like to raise a core issue in this regard. As per the Twelfth Plan document, we have got the Scheduled Caste Sub-Plan and the Tribal Sub-Plan to bridge the gap in development between the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and non-SCs and non-STs. As per this, the Central Government and the State Governments should allot Budget fund for upliftment of *dalits* in proportion to their population so as to enhance the flow of development to them. It would entitle earmarking 16.2 per cent of the total Plan outlay in the Union Budget for the Scheduled Castes and 8.2 per cent of the total Plan outlay earmarked for the Scheduled Tribes. However, the Union Government is not allocating the funds required for the benefit of SC and ST communities, as per the 12th Plan Document. Every year there are reports of under utilization of funds in various departments. Instead, it is a sorry state of affairs that funds earmarked under these heads are being utilized for building flyovers, roads, etc. This should be stopped forthwith. It must be ensured that the funds allocated under these heads are utilized for various social development schemes. The Government should take more effective steps in this regard besides making existing mechanism more stringent so that there is full utilization of the allocated funds. In this regard, I would like to say that the funds allocated for the development of North-Eastern Region are never diverted to other schemes and if in a particular year, this fund is not utilized fully, the portion left out is carried forward. In the same way, I would suggest that the funds allocated under the SCPs and TSPs should be strictly used for the schemes under these heads and if any amount is left out, that should be carried forward to the next year. This would be befitting for celebration of the Birth anniversary celebration of Dr. Ambedkar ji by working for the real development of the community.

The Government of Karnataka has brought into force implementation of the Karnataka Scheduled Castes Sub-Plan and Tribal Sub-Plan Act and these have resulted in an increase in the financial allocation for the welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. It is a very significant law to ensure overall development of SC and ST people. I would like to suggest the union government to follow the similar model to ensure the development of SC and STs all over the country. Funds unutilized would be carried forward to the successive financial year to achieve the development of these communities. The Act envisages allocation of funds for the welfare of SC and ST people in proportion to the population of the community.

There is an urgent need to pay attention to capacity building at all levels including gross root level to ensure effective implementation of the programs. It is reported that funds were not utilized for those schemes running for empowerment of persons with different abilities, minorities, SCs and STs and OBCs, during the previous years due to poor response from applicants, non-functioning of National-e-Scholarship portal and pendency of various new schemes due to non clearance by the Ministry of Finance and other concerned agencies. Hence there is an urgent need to strengthen the capacity building at all levels to ensure the funds are utilized in a proper manner.

As far as popularization of the programs are concerned, I would like to suggest that the government should take steps to conduct more training programmes and workshops all over India on regular basis by involving the concerned institutes so as to popularize the Scheme. There is a need tofocus more on rural areas through print and electronic media.

With regard to educational schemes for empowerment of Scheduled Castes, STs, Minorities and OBCs., etc. the government should bring more

transparency in Post-Matric scholarship scheme and Pre-Matric scholarship scheme for the children of all those communities. An allocation of Rs. 2791.00 crore made for Post-matric Scholarship for SCs, Rs. 800.00 crore for schemes for Special Centre Assistance to Scheduled Caste Sub Plan and Rs. 885 crore for Post Matric Scheme for OBCs. I would like to state that this is not sufficient to meet the growing demand for scholarship. I would also like to suggest to revise the existing rate of scholarship to various educational programs to increase the amount of scholarship.

There is another important fact that the beneficiaries get the scholarship at the fag end of the year due to age-old procedures. It affects to achieve the very purpose of giving the scholarship. Therefore, I would like to suggest to simplify the procedures so the beneficiaries receive the scholarship on monthly basis that too at the start of the academic session.

In recent years, there has been a revolutionary change in approach, globally, to close the protection gap and ensure that persons with disabilities enjoy the same standards of equality, rights and dignity as everyone else.

Persons with disabilities face discrimination and barriers that restrict them from participating in society on an equal basis with others every day. They are denied their rights to be included in the general school system, to be employed, to live independently in the community, to more freely, to vote, to participate in sport and cultural activities, to enjoy social protection, to access justice, to choose medical treatment. Hence, I urge upon the union government to look into the problems of persons with disabilities and take effective steps to put an end to their problems.

*__कँवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल (हमीरपुर)__ः वर्ष 2016-17 के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदान की मांगों की चर्चा पर अपने विचार रखना चाहूंगा। जिस प्रकार बाबासाहेब अंबेडकर ने मानव जाति के उत्थान के लिए शिक्षा को महत्वपूर्ण बताया था, उसी प्रकार मेरे संसदीय क्षेत्र हमीरपुर में अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं के लिए विश्व स्तरीय आवासी छात्रावास बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना के अंतर्गत खोला जाये एवं सिविल सर्विसेज एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु निशुल्क कोचिंग सेंटर खोले जाएं।

इसके साथ, मेरे संसदीय क्षेत्र हमीरपुर में स्टोन क्रेशर (पत्थर तोड़ने के कारखानों) में काम करने वाली अनुसूचित जातियों के लिए नवीन कौशल विकास केंद्रों की स्थापना और बीमा योजनाओं में अधिक लाभ देने की आवश्यकता है।

मेरा संसदीय क्षेत्र आर्थिक रूप से पिछड़ा क्षेत्र है और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए डॉ. अंबेडकर मैट्रिकोत्तर छात्रवृति योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता प्रदान की जाये। चूंकि केंद्र सरकार की इस योजना में सहायता राज्य सरकार के प्रस्ताव के उपरांत ही प्राप्त होती है तथा यह उत्तर प्रदेश सरकार की अकर्मण्यता ही है कि अभी तक राज्य सरकार ने कोई प्रस्ताव केंद्र को नहीं भेजा है।

देश से भिक्षावृति समाप्त की जाये, जो न्यूनाधिक लोगों को अकर्मण्य तो बनाती ही है, साथ ही साथ विदेशी पर्यटकों के सामने हमारे देश की गरिमा व सम्मान को कम करने का अनर्थक प्रयास करती है।

मध्य प्रदेश सरकार ने एस.सी./एस.टी. के विरूद्ध अपराध रोकने के लिए बहुत सार्थक प्रयास किया है जिससे न्याय करने में तुलनात्मक रूप से अधिक निष्पक्षता से शीघ्र न्याय की संभावना है। विशेष रूप से एस.सी./ एस.टी. थाने शुरू किए हैं जोकि एक सराहनीय कदम है। इससे कानून के दुरुपयोग में कमी आएगी और अपराध करने वालों को सजा त्वरित गति से मिल पायेगी। उत्तर प्रदेश में भी इस तरह के थानों की स्थापना की आवश्यकता है।

नानाजी देशमुख योजना के अंतर्गत विमुक्त एवं घुमन्तु जनजातियों के लिए आवासीय छात्रावास स्थापित किये जाएं।

मेरे संसदीय क्षेत्र हमीरपुर में नशा युवाओं को तेजी से अपनी चपेट में ले रहा है। तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा एवं मदिरा सेवन एक गंभीर सामाजिक बुराई है। वर्तमान में मेरे संसदीय क्षेत्र में नशा मुक्ति केंद्रों की संख्या एवं उनकी क्षमता नगण्य है। अतः नवीन नशा मुक्ति केंद्रों की संख्या एवं क्षमता में वृद्धि के साथ-साथ नशे के विरूद्ध विशेष जनजागरण की आवश्यकता है।

रोज़गार के लिए इस क्षेत्र से पलायन का प्रतिशत अन्य क्षेत्रों की तुलना में काफी अधिक है। अतः मेरे संसदीय क्षेत्र हमीरपुर सहित संपूर्ण बुंदेलखण्ड में वृद्धजनों हेतु कल्याण की योजनाओं की धनराशि में तत्काल वृद्धि की जाये। मेरे संसदीय क्षेत्र में एक भी वृद्धाश्रम नहीं है। अतः मेरे संसदीय क्षेत्र में तत्काल बुनियादी सुविधाओं से युक्त वृद्धाश्रम की स्थापना की जाये।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्री थावर चंद गहलोत) : माननीय सभापति जी, करीब 24 माननीय सदस्यों ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की डिमांड्ज़ पर चर्चा में भाग लिया। मैं उन सबका आभार व्यक्त करता हूँ और सभी माननीय सदस्यों ने जो अलग-अलग मुद्दे उठाए थे, उनका एक ही साथ जवाब देने का प्रयास करूँगा, क्योंकि बहुत सारे विषाय एक माननीय सदस्य ने उठाए तो दूसरों ने भी वही उठाए। इस प्रकार की बहुत ओवरलैपिंग है। मैं कुल मिलाकर जो माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये हैं, उन सबके बारे में एक साथ संयुक्त रूप से जवाब देने की कोशिश करूँगा।

15.08 hours (Shri Arjun Charan Sethi *in the Chair*)

मैं सदन को बताना चाहता हूँ कि सरकार अंबेडकर जी के प्रति, भारत के संविधान के प्रति प्रतिबद्ध है और भारत के संविधान में जो उल्लेख है, प्रावधान है, उन पर अमल करने के लिए तत्पर है। वह हमने करने का प्रयास भी किया है। हम मानते हैं कि सामाजिक न्याय तभी हो सकता है, जब प्रत्येक व्यक्ति को आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, बौद्धिक, मानसिक, राजनीतिक और अन्यान्य प्रकार की जो सुविधाएँ होती हैं, उसका सुख प्राप्त हो और उन सुखों को प्राप्त करने के लिए उसको सुअवसर मिले।

हम इस बात को भी मानते हैं कि जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है, उसको जीने का हक है। अगर वह गरीब से गरीब भी है, शारीरिक दÂिष्ट से भी अक्षम है, तो भी उसको जीने का हक है और जीने का हक सभी उत्वस्थ जीवन जीने वाले लोगों के बराबर का है। इन सब बातों को ध्यान में रखकर हमने इन दो वÂर्षों में बहुत कुछ करने का प्रयास किया है। हम यह मानते हैं कि सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक, मानसिक और आत्मिक सुख तभी मिलता है जब व्यक्ति को सब प्रकार का सुख मिले।

हमने दो दÂिष्टकोणों को ध्यान में रखकर कार्य योजना बनाई है। एक तो विकास कार्य और दूसरा सामाजिक सुरक्षा की दाष्Âिट से और उसको सम्मान देने की दÂिष्ट से। विकास की दाष्Âिट से जो योजनाएँ हैं या जो संरचना वगैरह है और उसके लिए जो बजट प्रावधान किया है, उसके अनुसार हमने खर्च करने की कोशिश की है। पर भावनात्मक उनको सम्मान मिले, जो ऊंच-नीच और छुआछूत का वातावरण था, वह जल्दी से जल्दी मिटे, इस बात को ध्यान में रखकर हमने यह महसूस किया कि अभी तक अम्बेडकर जी की सोच को देश की जनता के सामने से सही दÂिष्टकोण से पहुंचाने का काम नहीं हुआ है। अम्बेडकर जी की सोच सही दÂिष्टकोण को ध्यान में रखकर के गांव-गांव, गली-गली में पहुंचे और लोगों के मन मस्तिÂक में उतरे, ताकि तेज़ गति से सामाजिक समरसता आ जाये।

आजादी के बाद यह महसूस होने लगा। एक वर्ग सोचता है कि अम्बेडकर जी तो हमारे हितैÂषी हैं, दूसरा वर्ग सोचता है कि अम्बेडकर जी तो उनके थे, हमारे लिए तो वे कुछ नहीं हैं, हमारा तो उन्होंने विरोध किया। वास्तव में यह बात नहीं है। अम्बेडकर साहब देशभक्त, सर्वव्यापी और सर्वस्पृशी और देश के लिए थे। उन्होंने देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर किया। मैं एक नहीं, अनेक उदाहरण दे सकता हूं। वे लन्दन में पढ़े, वे अमेरिका में पढ़े और उत्वतम डिग्रियां और वे भी दो दर्जन से अधिक डिग्रियां उन्होंने प्राप्त कीं और भारत में छुआछूत का वातावरण, भेदभाव का वातावरण, ऊंच-नीच का वातावरण, तालाब से पानी नहीं पीने देंगे, मन्दिर में दर्शन नहीं करने देंगे, इस प्रकार का वातावरण था। अमेरिका और ब्रिटेन में तो ऐसा कुछ था ही नहीं।...(व्यवधान) इतनी डिग्रियां प्राप्त करने के बाद अगर वे चाहते तो वहीं कहीं बड़े से बड़े पद पर नौकरी कर सकते थे या वहां भी राजनीति में रहकर कुछ कर सकते थे, पर उन्होंने निर्णय यह लिया कि भारत में ये सभी प्रकार की विÂषमताएं हैं और इन विÂषमताओं को दूर करने की बहुत आवश्यकता है, इसलिए न उन्होंने अमेरिका में रहना पसन्द किया, न लन्दन में या ब्रिटेन में, भारत में आकर के इन विÂषमताओं को दूर करने का प्रयास किया और योग-संयोग उनको भारत का संविधान बनाने के लिए ड्राफ्ट कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया। उन्होंने जो ड्राफ्ट बनाया और उसको जो अन्तिम स्वीकृति दी, उसमें लगभग 289 लोग थे, सभी महापुरुÂष लोग थे, देश को आजाद कराने के लिए सब ने कुर्बानी दी थी। उन सब लोगों ने सर्वसम्मति से इसको बनाया और वह 26 जनवरी, 1950 से लागू भी हुआ।

अगर हम गम्भीरता से विचार करें तो उस पर अमल करने के काम में कहीं न कहीं जो गति तेज रहनी चाहिए थी, वैसी तेज गति नहीं रही, गति धीमी हुई और उस कारण से विकृतियां पैदा होने लगीं और इन वर्गों के लोगों को ऐसा लगने लगा कि भारत का संविधान लागू जरूर हो गया, पर सम्बन्धित सरकार उसको ठीक से लागू नहीं कर रही है और फिर परिस्थितियां अलगाववाद की ओर बढ़ने लगीं। हम यह महसूस करते हैं कि देश में समता आनी चाहिए और उसमें से ही समरसता आएगी। समरसता के बाद ही विश्व शान्ति की परिकल्पना सफल हो सकती है, नहीं तो नहीं हो सकती है। हम यह भी सोचते हैं कि अलगाववाद के आधार पर, वर्ग संघÂर्ष के आधार पर यह नहीं आनी चाहिए, समन्वय के आधार पर आनी चाहिए। समता समन्वय के आधार पर आएगी तो ज्यादा हितैÂषी होगी, देश के हित में भी होगी, समाज के हित में भी होगी और सब के हित में होगी। इस दाष्Âिटकोण को ध्यान में रखकर के मैं बजट की चर्चा करूंगा, उसके पहले यह जरूर निवेदन करना चाहूंगा कि अम्बेडकर साहब की 125वीं वÂार्षगांठ 2015 से लेकर अप्रैल, 2016 तक मनाई गई। मुझे बहुत खुशी है, साल भर अम्बेडकर जयन्ती मनाने का निर्णय लिया। देश के सभी राज्यों में अम्बेडकर जयन्ती मनाई गई, भिन्न-भिन्न कार्यक्रम आयोजित हुए। भारत सरकार ने डाक टिकट भी जारी किया। पहले भी डाक टिकट जारी हुई था, पर फिर डाक टिकट जारी हुआ। हिन्दुस्तान की आजादी के बाद पहली बार दस रुपये का और 125 रुपये का अम्बेडकर जी के चित्र के साथ सिक्का भी जारी किया। यह भी पहली बार हुआ। इसके साथ ही साथ...(व्यवधान)

श्री राजेश रंजन: यही सोशल जस्टिस है, सर?

श्री थावर चंद गहलोत : मैं आगे बता रहा हूं। इसके दो पहलू हैं - एक, उसको सम्मान देना और दूसरा, उसका आर्थिक विकास करना।...(व्यवधान) उसी के आधार पर मैं यह बता रहा हूं।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : प्लीज़, आप लोग बैठिए।

श्री थावर चंद गहलोत : इसके साथ ही साथ हमने यह भी सोचा कि जहां-जहां अम्बेडकर साहब जाकर पढ़े थे, वहां-वहां सौ बच्चों को, जो दलित वर्ग से संबंधित हैं और पी.एच.डी. कर रहे हैं, एम. फिल कर रहे हैं, मेरिट में हैं, उन्हें वहां भेजा जाए। उन्हें 25-25 के समूह में हमने उन स्थानों पर भेजा जहां अम्बेडकर साहब पढ़े थे और वे वहां से सुखद अनुभव लेकर आए और समता की जो सोच है, उसे आगे बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

हिन्दुस्तान की आज़ादी के बाद पहली बार 26 जनवरी, 2016 को अम्बेडकर जी के जीवन-परिचय के आधार पर राजपथ पर जो गणतंत्र दिवस समारोह होता है, उसमें झांकी निकालने का भी काम किया। यह आज़ादी के बाद पहली बार हुआ है। यह सभी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों के सम्मान के लिए जरूरी है। इसलिए हमने यह करके दिखाया है।

अम्बेडकर जी से संबंधित जो पांच प्रमुख स्थान हैं - अम्बेडकर जी की जन्म स्थली, अम्बेडकर साहब की शिक्षा स्थली, अम्बेडकर साहब की दीक्षा भूमि और 26 अलीपुर रोड, जहां अम्बेडकर जी का महापरिनिर्वाण हुआ था, उसे तथा अंतिम संस्कार स्थल को इस सरकार ने पंचतीर्थ का दर्ज़ा देकर भारत के रÂाष्ट्रपति जी के अभिभाÂषण में भी इसका उल्लेख किया। इन सभी पांचों स्थलों को संरक्षित करने, उसमें विस्तार करने और उसे आधुनिकतम सुविधा से युक्त स्मारक बनाने का निर्णय लिया गया है और इन सभी का भूमि पूजन होकर वहां काम भी प्रारंभ हो गया है। लंदन में

जिस मकान में अम्बेडकर साहब रहते थे और पढ़ते थे, महाराÂष्ट्र की सरकार ने और प्रधान मंत्री जी ने बातचीत करके उसे खरीदा और उसे राÂष्ट्रीय स्मारक घोÂिषत किया। जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब प्रधान मंत्री थे, उस समय 26, अलीपुर रोड एक निजी सम्पति थी। उसे खरीद कर अम्बेडकर राÂष्ट्रीय स्मारक घोÂिषत किया। चैत्य भूमि का विस्तार करने के लिए वहां पड़ोस में इन्दु मिल, जो चालीस सालों से बंद थी, उसकी ज़मीन अधिगृहित करके उसको भी विस्तारित करने के लिए 275 करोड़ रुपए लागत वाली योजना बनाई।...(व्यवधान) फिर अम्बेडकर जी की सही सोच देश और दुनिया के लोगों के सामने जाए, इसलिए हमने अम्बेडकर प्रतिÂष्ठान की तरफ से ली मेरिडियन होटल के बगल में यह जो 15, जनपथ है, वहां 195 करोड़ रुपए की लागत से अम्बेडकर अन्तरराÂट्रीय अनुसंधान शोध केन्द्र स्थापित किया है। मेरी और सरकार की ऐसी सोच है कि यह अनुसंधान केन्द्र जब चालू होगा तो आने वाले दो-चार-पांच सालों में अम्बेडकर जी की सही सोच देश और दुनिया में जाएगी और निश्चित रूप में कटुता का वातावरण, भेदभाव, छुआछूत का वातावरण समाप्त होकर समता का वातावरण बनेगा और उससे समरसता आएगी। मैं एक नहीं, बल्कि अनेक उदाहरण दे सकता हूं।

मैंने बताया कि दिल्ली में 26, अलीपुर रोड में अम्बेडकर साहब का देहांत हुआ था। उनके अंतिम संस्कार की यहां अनुमति नहीं मिली, तो वह चैत्य भूमि में हुआ था। उस स्थान को स्मारक बनाने के लिए अटल जी ने उस ज़मीन को लेकर स्मारक घोÂिषत किया था। वÂाऩ 2002 से लेकर वर्ष 2014 के पहले तक किसी ने उसे स्मारक बनाने की घोÂाणा नहीं की। अनुसूचित जाति, दलित वर्ग के लोग इसकी मांग करते रहे। पर, वह नहीं हुआ था। नरेन्द्र मोदी की सरकार ने दिनांक 21 मार्च को 100 करोड़ रुपए की लागत से वहां भव्य स्मारक बनाने का निर्णय लेकर उसका भूमिपूजन किया और निर्माण कार्य अभी चल रहा है।

मैं यह बताना चाहता हूं कि आर्थिक विकास के साथ-साथ, राजनीतिक विकास के साथ-साथ उनको सामाजिक सुरक्षा और सम्मान देने की महती आवश्यकता है और उनको सम्मान देने के लिए हमने ये कदम उठाए हैं। इस कदम की सारे देशवासी, विशेÂाकर दलित वर्ग के लोग, अनुसूचित जाति वर्ग के लोग प्रशंसा कर रहे हैं। जब हमने इसका निर्णय लिया तो एक नहीं, बल्कि अनेक प्रशंसा पत्र हमें प्राप्त हुए। पंचतीर्थ और इन सब कामों को हमने किया। इन सब कामों को करने के लिए दलित वर्ग लम्बे समय से मांग कर रहा था। परन्तु, जो लोग 60 वÂर्षों तक सरकार में थे, उन्होंने इस दिशा में कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं किया। उन्होंने उन्हें 'भारत रत्न' नहीं दिया, सेंट्रल हॉल में उनका चित्र नहीं लगाया।...(व्यवधान) हम तो इसकी लम्बे समय से मांग कर रहे थे। आपके पास मौका था। आपने क्यों नहीं किया? हमें मौका मिला है और हमने करके दिखाया है। इसलिए आज का यह दलित वर्ग हमारी इन सब बातों से प्रसन्न है और वह प्रधान मंत्री जी को बधाई दे रहा है।

जहां तक बजट का सवाल है, माननीय सदस्यों ने कहा है कि बजट में कटौती हुई है, मांग अनुसार बजट नहीं मिला है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि छात्रवृत्ति के दÂिष्टकोण को ध्यान में रखकर जो छात्रवृत्ति देनी चाहिए और उसके लिए जितना धन चाहिए, हमने उसकी मांग की थी, परन्तु उतनी नहीं मिली। लेकिन मैं यह कहता हूं कि पिछले वÂर्षों की तुलना में बजट में बढ़ोतरी हुई है, किसी भी मद में पैसा कम नहीं हुआ है। पिछले वÂर्ष का बजट देख लीजिए, अभी का बजट देख लीजिए और उसके पहले के बजट देख लीजिए। ...(व्यवधान) कागज में नहीं, वास्तव में बढ़ोतरी हुई है। मेरे विभाग में अनुसूचित जाति वर्ग आता है, मेरे विभाग में ओबीसी वर्ग आता है, मेरे विभाग में विक्लांग वर्ग आता है, भिक्षावृत्ति करने वाले लोगों को भिक्षावृत्ति से मुक्त कराना आता है, नशामुक्ति की योजना आती है, सीनियर सिटीजन की योजना आती है, किन्नर समुदाय की योजना है और ऐसा सामान्य वर्ग जो गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करता है, इन सब वर्गों के लिए पिछले वÂर्षों की तुलना में इनसे संबंधित जितनी भी मदें हैं, उन सबमें बढ़ोतरी हुई है। समयाभाव के कारण मैं ये आंकड़े पढ़ने की स्थिति में नहीं हूं, नहीं तो मेरे पास सब उपलब्ध है।

जहां तक एससी सब प्लान का मामला आया, ...(व्यवधान) सामने से जो माननीय सदस्य बोल रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आपके कार्यकाल का बजट देख लीजिए। आपके कार्यकाल के बजट की तुलना में बजट में भी बढ़ोतरी हुई है और जो खर्च किया है हमने इन दो साल में, वÂाऩ 2009 से लेकर 2014 तक अर्थात पांच सालों में कांग्रेस की सरकार ने या जो भी सरकार रही है, उसने जितना खर्च किया था, उसका 50 पर्सेंट से ज्यादा हमने दो साल में खर्च किया है। आने वाले तीन साल में उनसे कई गुना ज्यादा खर्च करने की स्थिति में हम होंगे।

एसटी सब प्लान की बात आई, एससी सब प्लान की बात आई, मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि ईमानदारी से पिछले दस साल के बजट के आंकड़े देख लें। ...(व्यवधान) वÂाऩ 2013-14 तक एससी सब प्लान में बहुत कम पैसे मिलते थे। जो आबादी के मान से पैसा देने की बात कर रहे हैं, उनके समर्थन से चलने वाली सरकार, उनकी पार्टी की सरकार का उस समय का जो एवरेज था, वह साढ़े 7 प्रतिशत से ज्यादा नहीं था। मिलना चाहिए था 15 पर्सेंट, लेकिन मिला साढ़े 7 पर्सेंट। वÂाऩ 2014-15 में हमने जो बजट प्रावधान किया था, उसके आधार पर पौने 11 पर्सेंट की धनराशि हमने दी थी और उसके बाद पिछले साल उसमें जरूर कमी आई थी। उस कमी का एक प्रमुख कारण यह था कि भारत सरकार ने 14वें वित्त आयोग की रिपोर्ट को मानकर, जो राज्यों को केन्द्र का अंश 32 पर्सेंट पहले दिया जाता था, उसको 42 पर्सेंट कर दिया अर्थात 10 पर्सेंट बढ़ा दिया। उसके अतिरिक्त 5 प्रतिशत धनराशि लोकल बॉडीज के लिए, स्थानीय निकायों के लिए अलग से दे दी, दो पर्सेंट पंचायती राज व्यवस्था के लिए दे दिया, टोटल मिलाकर 17 पर्सेंट धनराशि राज्य सरकारों को पहले की तुलना में ज्यादा दी गई। इस कारण से एससी सब प्लान में, एसटी सब प्लान में मामूली सी कमी आई थी। हमने राज्य सरकारों से आग्रह किया था कि आपको ज्यादा पैसा मिला है, आप इसकी भरपाई वहां से करने की कोशिश करें। इस बार मैं आपको खुशी के साथ बताता हूं। पिछले टाइम 30,000 करोड़ रुपए एससी सब प्लान में थे, इस बार हमने 38,800 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि का प्रावधान किया है। आंकड़े उठा कर देख लें, जिनकी सरकार साठ साल से थी, दस पर्सेंट से ज्यादा का एवरेज कभी भी उनके टाइम पर नहीं रहा है। ...(व्यवधान) हमारा प्रयास है कि आबादी के मान से मिले, डायवर्जन नहीं हो, सही उपयोग हो, उसके लिए हम सतत निगरानी भी करते हैं। आवश्यकता होगी तो कुछ नियम कानून-कायदे का प्रावधान करने का भी विचार कर रहे हैं, आगे बढ़ेंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमने पिछले वÂर्षों की तुलना में हर क्षेत्र में यह सब काम करके दिखाया है।

मेरे विभाग में प्रमुख रूप से एक विक्लांग वर्ग सशक्तिकरण विभाग भी है, जो दिव्यांग नाम से पॉपुलर हो गया है। अभी तक हमारे विभाग में शासकीय स्तर पर विक्लांगजन सशक्तिकरण नाम है, लेकिन हम जहां जाते हैं वहां 'दिव्यांग' नाम से कार्यक्रम होते हैं और कार्ड भी छपते हैं। उन वर्गों के लिए पहले की तुलना में पिछले वर्ष 2014-15, 2015-16 और वर्ष 2016-17 में बजट में बढ़ोतरी हुई है। हम ने उसमें विक्लांगों के सशक्तिकरण के लिए कार्य योजना बनाई है। पहले भी विक्लांगों को उपकरण बांटने का प्रावधान था, वे कब बंटते थे, कैसे बंटते थे, कितने बंटते थे, कुछ पता नहीं रहता था, हमने तीन उद्देश्यों को लेकर सार्वजनिक रूप से, ट्रांसपरैंसी बनी रहे, जो चीजें हम लाभार्थियों को दे रहे हैं, उनकी क्वालिटी कैसी है और उसके साथ-साथ उसमें कहीं लिकेज तो नहीं हैं, हम ऐसे सार्वजनिक आयोजन करते हैं। अभी तक हमने इन दो सालों में 1836 कैम्प आयोजित किये, उनमें एक हजार से अधिक लाभार्थी और एक करोड़ से ज्यादा की धन राशि वाले 106 कैम्प आयोजित किये, उनमें मैं स्वयं गया हूं और बाकी को राज्य मंत्री, अधिकारी एवं कर्मचारियों ने किया है। मैं पूछना चाहूंगा कि हम ने 1836 कैम्प आयोजित किए और साढ़े तीन लाख लोगों को उपकरण बांटे, आप जिनकी बात कर रहे हैं, या जिनकी पहले सरकारें थी, उनसे आंकड़ा पूछ लीजिए। बहुत पहले से योजना चल रही है, उस समय ऐसा क्यों नहीं हुआ? ...(व्यवधान)

हमारे विभाग ने जितने वर्ग बताये, उन सभी वर्गों के वित्त विकास निगम भी हैं। अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम, सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम, पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम और विक्लांग वित्त विकास निगम है। हम ने सभी वित्त विकास निगमों के माध्यम से संबंधित वर्ग के लोगों को प्रशिक्षण भी दिया है और वह प्रशिक्षण की संख्या लाखों में है। प्रशिक्षण के बाद उनको स्वावलंबी बनाने के लिए सस्ती ब्याज की दर पर, चार-पांच प्रतिशत वार्Âिाक ब्याज की दर पर, हजारों लाभार्थियों को ऋण सुविधा उपलब्ध कराई है। लाखों की राशि उनको उपलब्ध कराई है, कोई कारोबार कर रहा है, कोई दुकान लगा रहा है, कोई हैंडलूम बना रहा है, कोई खिलौने बना रहा है, कोई क्या बना रहा है, जो प्राचीन अर्थव्यवस्था थी, लघु उद्योग और कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने का काम हमने किया है। हम विक्लांगजनों को भी प्रशिक्षण देते हैं और यही सारी सुविधायें उपलब्ध कराते हैं। हमने विक्लांगता के क्षेत्र में लगभग 50,000 लोगों को प्रशिक्षण दिया और प्रशिक्षण के साथ उनको स्वावलंबी बनाने का भी काम किया है और भारत सरकार के मंत्रालयों में विक्लांगों के लिए तीन प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था भी है, यह राज्य सरकार के मंत्रालयों में भी है। हम ने बैकलॉग को पूरा करने की दÂिष्ट से विशेÂष भर्ती अभियान चलाया और पिछले डेढ़-दो वÂर्षों में जितनी वैकेन्सियां थीं, उन में से आधे से अधिक अर्थात् 9,000 से अधिक रिक्त स्थानों की पूर्ति की है। लेकिन उसमें एक तकलीफ है कि चाहे एससी के बैकलॉग हो, विक्लांगता के क्षेत्र में लोग काम करते हैं या उनकी रिक्त स्थानों की पूर्ति का सवाल हो, पहले क्या हुआ कि टोटल, इतने विक्लांग हैं तो उसका प्रतिशत, जैसे तीन प्रतिशत हुआ तो इतने पद होने चाहिए, पर आज से पहले की सरकार, पांच साल पहले तक इन नियमों का पालन करने की बजाय, उसकी पूर्ति सामन्य वर्ग से भी करती रही है। ऐसा कई बार एससी वर्ग में भी होता रहा है, इस कारण आज कल एक नियम बन गया-वैकेन्सी बेस्ड। जो वैकेन्सी होगी, उसके आधार पर नियुक्ति करेंगे तो उन कठिनाइयों को दूर करने की दÂिष्ट से भी हम बहुत कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं।

मेरे विभाग में सीनियर सिटिजन, जैसा मैंने बताया कि नशामुक्ति की योजना भी है। हम नेहरू युवा केन्द्र के माध्यम से अभियान चला रहे हैं, हमारे विभाग के अधिकारी यह करते हैं, एनजीओज भी यह करते हैं। सीमावर्ती राज्यों में इसकी समस्या है।...(व्यवधान) वहां उन समस्याओं का समाधान करने के लिए भी कार्य योजना कर रहे हैं। ...(व्यवधान) हम नशा मुक्ति केन्द्र भी चला रहे हैं और हमें खुशी है कि हम अनेक लोगों को नशा मुक्त करने में सफल भी हुये हैं। इसके साथ ही वृद्धजन नीति बनाने का काम अंतिम चरण में है। मैं सोचता हूं कि अगले छ: महीने में नशा मुक्ति नीति और किन्नर समुदाय के लिए हम नया कानून बना रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि नया कानून इसी साल के अंदर पारित हो जाए और उन्हें भी ये सारी सुविधाएं मिलने लगें।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि पहले विकलांग जनों के छात्र-छात्राओं को पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति नहीं मिलती थी। हमने 2014-15 से छात्रवृत्ति देना प्रारंभ किया है। वÂान 2015-16 में अनेक छात्र-छात्राओं को स्कॉलरशिप देने का भी काम किया है।...(व्यवधान) हम प्री-मैट्रिक, पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप देते हैं। विशेÂा योग्यता के लिए स्कॉलरशिप देते हैं, ओवरसीज़ स्कॉलरशिप देते हैं और नैशनल फैलोशिप योजना के अंतर्गत भी जो पीएचडी आदि करते हैं, उन्हें ये सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं।

बहुत सारे माननीय सदस्यों ने कहा था कि बीमारी के लिए इलाज की सुविधा भी देनी चाहिए। मैं खुशी के साथ कहता हूं कि मेरे आने के बाद 2014-15 में लगभग 45 लोगों, जिनके आवेदन मेरे पास आए, हमने चिकित्सा सुविधा के लिए उन्हें लाखों रुपये उपलब्ध कराए। 2015-16 में हमने 62 लोगों से अधिक लोगों को, डाक्टर ने जितना ऐस्टीमेट बनाकर दिया था और उनके आवेदन के साथ आया था, सारी राशि स्वीकृत की है। मेरे पास इस काम के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है। मैं सांसद महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि उनके क्षेत्र में मेरे विभाग से संबंधित वर्ग के कोई लोग आते हैं जो बीमार हैं और चिकित्सा सुविधा करना चाहते हैं, आवेदन भिजवाएंगे तो मैं जरूर मंजूरी दूंगा।

इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा की दÂिष्ट से अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के साथ जो अन्याय, अत्याचार और उत्पीड़न की घटनाएं होती हैं, उन्हें दूर करने के लिए अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण, 1979 से जो बना था, उसमें बहुत सारी खामियां थीं। उन खामियों को दूर करने के लिए हम नया विधेयक लाए थे। मैं धन्यवाद देता हूं कि लोक सभा ने उसे पारित किया और राज्य सभा ने भी पारित किया। एक जनवरी, 2016 से वह अधिसूचित हो गया, राजपत्र में आ गया। फिर 26 जनवरी, 2016 से उसे लागू कर दिया गया। 14 अप्रैल अम्बेडकर जी की जयन्ती से उसका कानून भी देश में लागू हो गया। उसके कारण जमीन-आसमान का अंतर आएगा। उन्हें लाभ मिलने के लिए, सम्मान देने के लिए पहले जो कानून था, उसमें इस बात का प्रावधान नहीं था। अगर कोई किसी की मूंछ काट दे, मूंछ मूंड दे, सिर मूंड दे, मुंह काला कर दे, जूतों का हार पहना दे, निवस्त्र कर दे, सड़क पर घुमा दे, उसे बेइज्जत करे, घोड़े या घोड़ी पर बैठकर बारात नहीं निकालने दे, बड़े-बड़े आयोजन करते हैं तो जुलूस नहीं निकालने देते, चुनाव से रोकते थे, इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जिनके कारण उनके साथ उत्पीड़न की घटनाएं घटती थीं, लेकिन वह कानूनी दायरे में नहीं आता था। उनके साथ अन्याय होता था और बहुत सारे लोग धर्म परिवर्तन करते थे। मिर्चपुर और बगाना, हरियाणा की घटनाएं इसका बड़ा उदाहरण हैं। ...(व्यवधान) वहां उन्हें न्याय नहीं मिला, रिपोर्ट तक नहीं हुई। आज भी वे हमारे पास आते हैं। हम उन्हें न्याय दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। जब उन्हें न्याय नहीं मिला तो उन्होंने धर्म परिवर्तन भी कर लिया था।...(व्यवधान) सामने बैठे हुए लोगों की सरकार थी। हम पूछना चाहते हैं कि उन्हें न्याय क्यों नहीं दिलवाया। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, सबको मालूम है। मिर्चपुर वाले लोग गांव छोड़कर आज भी दिल्ली या इधर-उधर रहने के लिए मजबूर हैं। क्यों हैं, हम पूछना चाहते हैं?...(व्यवधान) उस समय क्यों नहीं बोलते। आजकल वह राजनीतिक पार्टी जो सत्ता में थी, बुरी हार हुई, करारी हार हो गई, 44 की संख्या रह गई, नीचे की जमीन खिसक गई। अब उन्हें सब याद आने लगा। याद आने लगा तो क्या कर रहे हैं।...(व्यवधान) दलितों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, भड़काने की कोशिश कर रहे हैं और यही कारण है कि हैदराबाद की घटना को जान-बूझकर जाति की ओर बढ़ाने की कोशिश की, वर्ग संघÂान की स्थिति पैदा की, वर्ग में बांटने की कोशिश की और देश के दलितों को भ्रमित करने की कोशिश की।...(व्यवधान) जयप्रकाश जी, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप बैठिए।...(व्यवधान) आदरणीय खड़गे साहब आ गए हैं। यूपीए सरकार के समय उसी हैदराबाद यूनिवर्सिटी में 2006 से 2014 तक 11 छात्र-छात्राओं ने आत्महत्या की। मेरे पास उनके नाम हैं, उसमें से तीन एसटी थे, तीन एसटी थे, ओबीसी थे और बाकी जनरल के थे। यहां से बहुत से राजनीतिक दलों के मुखिया वहां गए, कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी भी गए और दूसरे लोग भी गए। मैं पूछना चाहता हूं कि 11 छात्र-छात्राओं ने आत्महत्याएं की थीं उस समय कोई क्यों नहीं गया। ...(व्यवधान) आज केवल जातिवाद को भड़काने के लिए कोशिश की जा रही है। जातिवाद को भड़काना और देशद्रोही गतिविधियों में संलग्न लोगों के साथ वहां भेजने की कोशिश देशहित में नहीं है। मेरी कांग्रेस वालों से विशेÂाष प्रार्थना है, कांग्रेस का इतिहास देश को आजाद कराने में रहा है। उस आजादी को अक्षुण्ण रखने के लिए उनके बताए मार्ग पर चलो, महात्मा गांधी जी की कांग्रेस का अनुसरण करो। आजकल की कांग्रेस में गांधी जी बहुत आ गए लेकिन महात्मा गांधी वाली कांग्रेस नहीं है। हर क्षेत्र में उन्होंने भारत के संविधान का उल्लंघन करने की कोशिश की। मैं पूछना चाहता हूं कि भारत के संविधान में जिन बातों का उल्लेख किया गया है उन बातों पर अमल करने के लिए कोशिश क्यों नहीं की गई ...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Are you yielding?

श्री थावर चंद गहलोत : मैं यिल्ड नहीं कर रहा हूं।

HON. CHAIRPERSON: Khargeji, let him finish his speech.

श्री थावर चंद गहलोत : अगर खड़गे साहब उस बात का जवाब देते हैं तो मैं यिल्ड करता हूं कि हैदराबाद यूनिवर्सिटी में उनका कोई नेता इससे पहले क्यों नहीं गया? 11 छात्रों ने आत्महत्या की थी अगर इसका जवाब देते हैं तो मैं बैठने के लिए तैयार हूं नहीं तो उनको मेरी बात सुननी चाहिए...(व्यवधान) अगर उनके पास कोई जवाब है ...(व्यवधान) सोनिया गांधी और राहुल गांधी इसके पहले वहां क्यों नहीं गए थे। अभी जाकर वहां क्यों इस तरह कर रहे हैं? ...(व्यवधान)

सभापति महोदय, ऐसे लोग जो डिनोटिफाइड श्रेणी में आते हैं ...(व्यवधान) जो घुमंतु श्रेणी में आते हैं, घुमंतू जाति में आते हैं, डिनोटिफाइड ट्राइब्स में आते हैं, उन्होंने देश की आजादी के पहले संकल्प लिया था। महाराणा प्रताप जब अकबर से हारे थे, उस समय संकल्प लिया कि कि हम चितौड़ को आजाद कराएंगे जब तक चितौड़ आजाद नहीं होगा, घर में नहीं रहेंगे, दीया नहीं जलाएंगे, घर बनाकर नहीं रहेंगे। उन लोगों की समस्याओं को लंबे समय से समाधान के लिए मांग करते रहे लेकिन पहले की सरकार ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। हमने दादा इदाते की अध्यक्षता में आयोग बनाया है और हमने उनको मुद्दे दिए हैं कि आप डिनोटिफाइड घुमंतू जाति में कौन-कौन जातियां आती हैं उनको सर्वे करे। वह देश के सभी भागों में जाकर सर्वे कर रहे हैं। सर्वे के बाद वे रिपोर्ट देंगे। रिपोर्ट आने से पहले ही हमने तय कर दिया है कि उस समुदाय से संबंधित छात्र-छात्रों को सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे जो एससी के छात्रों को मिल रही हैं, एसटी के छात्रों को मिल रही हैं और ओबीसी के छात्रों को मिल रही है। इसी प्रकार से किन्नर समुदाय से संबंधित वर्ग के लोगों को भी यह सुविधा देने का प्रयास करेंगे।

सभापति महोदय, माननीय सदस्यों ने बहुत सारी बातें उठाई, महेन्द्र सिंह जी अभी यहां बैठे नहीं हैं। उन्होने एक बात का उल्लेख किया था। संतोÂा सिंह जी ने भी उल्लेख किया था कि मुझे एक पत्र दिया था, मैंने उनको एक्नॉलेजमेंट दिया था परंतु काम नहीं हुआ। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि उस पत्र का आखिरी पैराग्राफ पढ़ लें। उस पैराग्राफ में मैंने लिखा था कि अगर राज्य सरकार प्रस्ताव भेजेगी और आप प्रस्ताव भिजवाएंगे तो मैं जरूर उस पर कार्रवाई करूंगा लेकिन आज तक न उन्होंने न वहां की सरकार ने कोई प्रस्ताव भेजा है। अगर प्रस्ताव आएगा तो मैं उस पर कार्रवाई करने उनको आश्वस्त करता हूं और विश्वास दिलाता हूं। इसी प्रकार से धर्मेन्द्र सिंह जी ने एक बात उठाई थी और कहा था कि उन्होंने लोक सभा में एक अतारांकित प्रश्न पूछा था और जो उत्तर आया था वह सही नहीं था।

सभापति महोदय, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर सही उत्तर नहीं आता है, तो सदन के नियम और प्रक्रियाएं हैं, जिनके अनुसार यदि यदि किसी प्रश्न का उत्तर सदन में सही नहीं दिया जाता है, तो उनके अन्तर्गत कार्रवाई की जाती है। माननीय सदस्य उस बात को आपके नोटिस में लाते हैं और उस पर आपका जैसा आदेश होता है, उसके अनुसार कार्रवाई की जाती है। इसके बावजूद मैं, उन्हें बताना चाहता हूं, चूंकि सामूहिक जिम्मेदारी है, इसलिए मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। उन्होंने वह प्रश्न कार्मिक एवं प्रशासनिक मंत्रालय से पूछा था और वहां से वह जवाब उन्हें दिया गया था। मैं इस संबंध में कार्मिक एवं प्रशासनिक मंत्रालय से संपर्क करूंगा और उनकी जो आशंका है, उसे दूर करने का प्रयास करूंगा।

सभापति महोदय, बहुत सारे सदस्यों ने अनेक प्रकार की मांगें की हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि मैंने उन सभी मांगों पर पहले से ही कार्य-योजना बनाकर कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है। हरियाणा के माननीय सदस्य श्री दुÂष्यन्त चौटाला जी ने कहा था, उत्तर प्रदेश का विÂाषय भी आया तथा अन्य राज्यों ने भी विÂाय उठाए। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि प्रीमेट्रिक स्कॉलरशिप की मद में हरियाणा ने अभी तक भारत सरकार से एक भी पैसा नहीं लिया है और न ही इस बारे में उनकी ओर से भारत सरकार को कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, क्योंकि उनकी अपनी कोई अलग योजना है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश सरकार भी भारत सरकार से इस मद में पैसा नहीं लेती है। जब-जब उनके प्रस्ताव आएंगे, हम उन्हें इस मद में धन अवश्य देंगे। मध्य प्रदेश एवं अन्य कुछ राज्य ऐसे हैं, जो इस योजना को अपने स्तर पर चलाते हैं। हमारे यहां प्रस्ताव नहीं भेजते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बात बताना चाहता हूं, जैसा कि मैंने पहले कहा कि प्रीमेट्रिक छात्रवृत्ति के रूप में हरियाणा ने हमसे कुछ नहीं लिया, लेकिन उसे पोस्टमेट्रिक छात्रवृत्ति के रूप में भारत सरकार की ओर से वÂर्ष 2015-16 में 68.67 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। मैं बताना चाहता हूं कि जो नैशनल एलोकेशन होती है, उसके अनुसार हमने हरियाणा सरकार को प्रीमेट्रिक स्कीम के अन्तर्गत 32.80 करोड़ रुपए की धनराशि दी है। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर वे प्रीमेट्रिक स्कॉलरशिप भी अपने प्रदेश में लेना चाहते हैं, तो वे अपनी राज्य सरकार से कहें और यदि राज्य सरकार हमें प्रस्ताव भेजेगी, तो निश्चित रूप से हम धनराशि उपलब्ध कराने का काम करेंगे। ...(व्यवधान)...

सभापति महोदय, प्राइवेट सैक्टर के बारे में यहां भी चर्चा हुई है कि सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओ.बी.सी. वर्ग के लोगों को प्राइवेट सैक्टर में आरक्षण देने की पक्षधर

है और हर क्षेत्र में आरक्षण देने की हमारी कोशिश है। मैं इस संबंध में बताना चाहता हूं कि पिछली सरकार ने एक कमेटी बनाई थी। वह कमेटी काम कर रही है। उस कमेटी का प्रतिवेदन आएगा, तो हम विचार करेंगे और नहीं, तो हम भी वातावरण बनाने में सहयोग देंगे। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप कॉरपोरेट जगत में, उद्यमिता के क्षेत्र में वातावरण बनाने की कोशिश करें और अगर वह कहे कि हम अपने क्षेत्र में भी आरक्षण देने के लिए तैयार हैं, तो सरकार भी विचार करने के लिए तैयार है। हमें इसमें कोई कठिनाई नहीं है। ...(व्यवधान)...

सभापति महोदय, सरकार की नीयत साफ है और नीति भी साफ है। हम बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करते हैं। संविधान में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार योजना बनाकर अमल करते हैं। जो ऐसा प्रश्न करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब उनकी सरकार थी, तब 60 सालों तक उन्होंने क्यों नहीं किया, उसके लिए कौन दोÂषी है और आज आप हमें दोÂा देते हैं? मैं अभी भी कहता हूं कि आप वातावरण बनाने में हमारा सहयोग करें, हम निश्चित रूप से प्रयास करेंगे। ...(व्यवधान)...

माननीय सभापति महोदय, मैं स्पÂट करना चाहता हूं कि सरकार के दिलोदिमाग में किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन समाप्त करने की बात नहीं है तथा आरक्षण है और रहेगा। सरकार की यही नीति है और यही नीयत है। बाकी लोगों के मन में कुछ बुरा भाव हो, तो वे अपने ढंग से जो सोचना है, वह सोचते रहें।

सभापति महोदय, मुझे हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा था कि आप 15-20 मिनट से ज्यादा समय मत लेना। आप यदि अनुमति दें, तो बजट-वाइज और बहुत सारे आंकड़े मेरे पास हैं, मैं उन्हें दूं अन्यथा मैं अपना बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

माननीय सभापति: श्री राजेश रंजन जी। केवल क्लैरीफिकेशन और केवल एक प्रश्न पूछें।

श्री राजेश रंजन : माननी सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बाबा साहेब, डॉ. भीमराव अम्बेडकर की अन्य चीजों के लिए आपके पास विल-पॉवर है और 50 प्रतिशत आरक्षण के लिए प्रयास करने की बात आपने कही है। कॉमन और कम्पलसरी एजुकेशन के मामले में आपकी विल पावर है। 40 करोड़ दिहाड़ी मजदूर, इंदिरा आवास, वृद्ध पैंशन, विधवा पैंशन, छात्रवृति देने के मामले में आपकी विल पावर है। इस देश में 54 करोड़ ओबीसी हैं और 18 परसेंट दलित हैं। हिन्दुस्तान में 3.6 प्रतिशत, यानी 2 करोड़ 82 लाख टीचर्स हैं, जिसमें 1.69 प्रतिशत दलित टीचर्स हैं और 14 परसेंट ओबीसी टीचर्स हैं।

मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और कारपोरेट सैक्टर के साथ-साथ मीडिया जगत में एससी, एसटी और ओबीसी कहां हैं? क्या आप इन चार व्यवस्थाओं में 50 प्रतिशत आरक्षण देने की कोई व्यवस्था करेंगे? क्या अंतरजातीय विवाह करने वाले वर्गों के लिए कोई कानून है? इसके साथ-साथ जो जनगणना का सवाल है, वह हिन्दुस्तान की आवाम की सबसे बड़ी मांग है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या जनगणना पर सरकार कोई निर्णय लाने जा रही है?

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: Mr. Chairman Sir, I have a very short question to put. The hon. Minister has given a very emotional reply to the two day long discussion and speeches made by respective Members.

My question is relating to a very important aspect of Scheduled Castes that our society is facing. We have made a commitment in early 1990s that we will do away with manual scavenging. In 1993, this House had enacted a law but it was not sufficient and it was not enforceable. In 2013, the Government of the day made a comprehensive law which will be implementable and rehabilitation of those people who are involved in manual scavenging can also be done. Accordingly, a large amount of money was also being provided.

In 2013, Rs. 4656 crore was provided in the Budget but in this year's Budget, only Rs. 10 crore has been provided. How are you going to rehabilitate those people? We all know that railways are the largest employers of manual scavengers. All urban bodies of our country are the employers of manual scavengers. I am not talking about sewerage and I am not talking about private holdings. But here is a case to do away with the scourge that Indian society is still facing in the world at large. Are we not looking at that scourge to be obliterated?

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को कहना चाहूंगा कि आज देश में 43 चीफ जस्टिस और 177 एडिशनल जजेज हैं। कुल मिलाकर 219 जजेज हैं। इनमें ओबीसी के पांच जजेज, एससी के चार जजेज और एसटी निल है। मैं यह जानना चाहता हूं कि आईएएस, आईपीएस और सैक्रेट्रीज पर कौन से लोग कुंडली मारकर बैठे हुए हैं? आजादी के इतने साल बीतने के बाद भी इनकी हालत यह है। इसमें न इधर का पक्ष है, न उधर का पक्ष है, केवल सोचने का पक्ष है। हजारों साल से जो दलित, शोÂिषत, उपेक्षित, लाचार और सताये हुए लोग हैं, जिनकी आंखों में आंसू बह रहे हैं, उनके आंसुओं को हम कब पोछेंगे और कब उनके साथ न्याय होगा? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि जातीय जनगणना कब प्रकाशित होगी?

डॉ. तापस मंडल: माननीय सभापति जी, एससी और एसटी सब प्लान का जो बजटरी एलोकेशन होना चाहिए था, वह तो नहीं है। एससी सब प्लान में डिमांड 91,000 करोड़ रुपए और ट्राइबल सब प्लान में 62,000 करोड़ रुपए होनी चाहिए थी लेकिन 38,000 करोड़ रुपया एससी सब प्लान और एसटी सब प्लान के लिए 23,000 करोड़ रुपया दिया गया है। 2015-16 फाइनेंशियल ईयर में जो मिलना चाहिए था उससे 30,000 करोड़ रुपए कम मिले हैं। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि पापुलेशन के प्रपोशन के हिसाब से जो बजट होना चाहिए, उसकी घोÂाणा कब करेंगे और यह कब तक लागू होगा?

डॉ. अरुण कुमार : माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि बिहार में एससी और एसटी बच्चों के लिए स्कालरशिप भेजते हैं, इसमें भारी घोटाला है। क्या आप सुनिश्चित करना चाहते हैं कि कैश ट्रांसफर हो? इसमें बहुत बड़ी लूट है। स्टाइपेंट का बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, इसकी जांच कराइए।

DR. BOORA NARSAIAH GOUD: Mr. Chairman, Sir, through you I would like to put a specific question to the Minister.

This year we are celebrating 25th year or the Silver Jubilee of the OBC reservation. I do not know whether we have to celebrate or we have to mourn it because even after 25 years, out of the 27 per cent reservation given to OBCs, not even nine per cent is implemented. This is because there is no constitutional status to the NCBC.

My straight question to the Minister is: Are you going to give constitutional status to the NCBC like that of the National Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes? If not, why? Why are you against giving a constitutional status to it? That is my straight question.

श्री संतोख सिंह चौधरी (जालंधर) : माननीय सभापति जी, जब चर्चा हुई थी तो मैंने भी अपना पक्ष रखा था। पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप की बात हुई कि बहुत से प्रांतों में बैकलॉग है। मैंने स्वयं अपने प्रांत के बारे में बताया कि 2014-15 का 131 करोड़ और 2015-16 का 499 करोड़ बैकलॉग है। अन्य प्रांतों में भी ऐसा ही है। मंत्री जी ने इसका कोई स्पÂष्ट जवाब नहीं दिया। हमने मंत्रालय के सैक्रेट्री को पूछा तो उन्होंने कहा फंड की शार्टेज है। पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप स्कीम बहुत महत्वपूर्ण है।

मेरी माननीय मंत्री से मांग है कि स्पष्Âट जवाब दें कि फंड्स राज्यों में क्यों नहीं जा रहे हैं? यूपीए सरकार 117वां संविधान संशोधन राज्यसभा में लाई थी और वहां पास किया था। मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार का क्या स्टैंड है?

श्री थावर चंद गहलोत : माननीय सभापति, मैं समय के अभाव के कारण बहुत सी बातें कहने की इच्छा होने के बाद भी नहीं बता पाया था। अभी अंतर्जातीय विवाह का विषय आया। यह प्रावधान है, हमने पिछले वÂर्ष के सब रिकार्ड तोड़े हैं और इस बार 100 से अधिक अंतर्जातीय विवाह करने वालों को 2.5 लाख की धनराशि प्रति जोड़ा उपलब्ध कराई है। इसमें सबसे ज्यादा लाभ आंध्र प्रदेश में शादी करने वालों को मिला है।

अन्य राज्यों में भी यह योजना है और अब यह सवाल रह जाता है कि उसे कम करना है या ज्यादा करना है तो यह विचारणीय है। मैनुअल स्वर्वेंजर्स के लिए कई सदस्यों ने कहा कि बजट कम है, किसी ने कहा कि पहले इतना था लेकिन अब कम कर दिया है। हमने राज्यों से जानकारी मांगी। मुश्किल से 13 राज्यों ने जानकारी दी और साढ़े तरह या चौदह हजार मैनुअल स्वर्वेंजर्स की जानकारी दी गई। हमने नियम बनाया है कि जैसे ही हमने जानकारी मिलती है हम उनसे आग्रह करते हैं कि वे अपना नाम, पता और बैंक एकाउंट नम्बर हमें उपलब्ध कराएं। सर्वाधिक आंकड़े उत्तर प्रदेश से आए थे। हमने इन डेढ़ वÂर्षों में जो आंकड़े हमारे पास आए थे, उनमें से नौ हजार से अधिक लोगों को एकमुश्त चालीस हजार रुपए की आर्थिक सहायता देकर सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम की ओर से उनमें से अधिकांश को प्रशिक्षित करने का काम किया। अगर वे नौकरी के लायक थे तो नौकरी दिलाने की कोशिश की और यदि कारोबार करने की स्थिति में थे तो उन्हें वह सुविधा भी उपलब्ध कराई।

सभापति जी, मैं एक जानकारी देना चाहता हूं और वह सबको अच्छी लगेगी। हमने सफाई कर्मचारी परिवार से संबंधित ढाई सौ महिलाओं का सात महीने का प्रशिक्षण कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए और मोटर मैकेनिक बनाने के लिए दिल्ली में दिया। वे ढाई सौ महिलाएं ट्रेंड हो गई और उनमें से सवा दो सौ महिलाओं के लाइसेंस बन गए और चूंकि कमर्शियल लाइसेंस बनाने में कुछ समय लगता है, इसलिए परिवहन विभाग से हमारी बात चल रही है। जैसे ही उन्हें कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा हम वित्त विकास निगम की ओर से उन्हें व्हीकल उपलब्ध कराएंगे जिससे वे अपना रोजगार स्वयं कर सकें तथा नौकरी ढूंढ़ने की जगह नौकरी देने वाली स्थिति में आएंगी। इसके साथ-साथ उन्हें ट्रेनिंग के दौरान तीन हजार रुपए प्रति महीना मानदेय भी दिया गया। हमने राज्यों को पत्र लिखा कि वÂान 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार 26 लाख ऐसी लेट्रिंस दर्शाई गई थीं, जिन्हें हाथ से मैला ढोने वाली प्रथा के अंतर्गत साफ किया जाता है। हम राज्यों को लिख-लिख कर थक गए और राज्यों के साथ हमने मीटिंग भी की। हमारे अधिकारी भी वहां गए, वीफ सैक्रेट्री के साथ बात की, वहां के मंत्रियों के साथ बात की लेकिन बाकी राज्यों ने कोई आंकड़ें नहीं दिए। हमने शौचालय बनाने की योजना बनाकर ऐसी पुरानी लेट्रिंस को डिस्ट्राय करके फ्लशयुक्त लेट्रिन बना दी हैं। मैं माननीय सांसदों से प्रार्थना करूंगा कि हम भी इस विÂषय से चिंतित हैं। हमने भी हमारे यहां से सर्वे करने के लिए एक एजेंसी तय की है। आप भी अपने-अपने क्षेत्रों में जहां-जहां आपको जानकारी मिले, आप हमें जानकारी भिजवाएंगे तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि एक महीने के अंदर हम उन्हें इस धंधे से मुक्त कराएंगे और आर्थिक सहायता के साथ-साथ ट्रेनिंग भी देंगे और आत्मनिर्भर बनाने का काम करेंगे।

इसके साथ-साथ ढाई सौ महिलाओं का बैच हमने पहले तैयार किया था और अभी दो सौ महिलाओं का एक बैच और ट्रेंड किया है जिनकी ट्रेनिंग मार्च महीने में पूरी हुई है। इन्हें भी हमने सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं तथा इन्हें भी आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में हम भिन्न-भिन्न संस्थाओं से बात करके नौकरी दिलाने का भी काम कर रहे हैं और हमने जिन्हें ट्रेंड किया है, उनमें से लगभग 75 परसेंट महिलाओं को कारोबार की ओर आगे बढ़ाने में हमें सफलता भी मिली है। इसके लिए तो आपको हमें धन्यवाद देना चाहिए कि हिंदुस्तान की आजादी के बाद पहली बार हमने यह क़दम उठाया है, अगर आप इसकी भी सराहना नहीं करेंगे तो सही बात नहीं है।

16.00 hours

यहाँ पर डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम की बात आयी है। हमने यह स्कीम सरकार बनने के तुरंत बाद लागू कर दी। किसी भी प्रकार की स्कॉलरशिप या भारत सरकार की धनराशि लाभार्थी को दिया जाना है, तो वह उनके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट पेमेंट भेजी जाती है। यह व्यवस्था है। एक-दो राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों ने इसे स्वीकार कर लिया है। इसके लिए ऑन-लाइन आवेदन की प्रक्रिया है। हमने ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश की है। लीकेज को रोकने की कोशिश की है। छात्रवृत्ति में जो बेइमानी या गड़बड़ियाँ होती थी, उसे रोकने में हमको सफलता मिली है। इससे तो प्रश्न करने वाले को और सबको खुश होना चाहिए।

इसके साथ ही, वेंचर कैपिटल फण्ड की बात आयी। पिछले साल दो सौ करोड़ रुपये इस फण्ड में रखे गये थे। लगभग 134 करोड़ रुपये की धनराशि 28 से ज्यादा उद्यमियों को हमने दी है। इस बार बजट में 500 करोड़ रुपये वेंचर कैपिटल फण्ड के रूप में प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री जी ने एक और नयी योजना लागू की है। "स्टार्ट अप इंडिया " और "स्टैंड अप इंडिया " का निर्णय लिया गया है। इसके तहत देश की सभी बैंक की शाखाओं को, बैंक की सवा लाख शाखाओं को आदेश दिया गया है कि वे कम से कम दो अनुसूचित जाति के लोगों को लोन देंगे और उसमें एक महिला को भी अनिवार्य रूप से लोन देने का प्रावधान है। यह महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने की दÂिष्ट से किया गया है। "मुद्रा " योजना में हम फिक्की के माध्यम से दलित वर्ग के उद्यमियों को स्वावलम्बी बनाने की दिशा में तेज गति से काम कर रहे हैं।

माननीय सभापति : श्री खड़गे जी, आप बोलें।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : अभी तो वे बोलने के लिए खड़े हैं।

माननीय सभापति : क्या आपकी बात समाप्त हो गयी?

श्री थावरचंद गहलोत : यदि श्री खड़गे जी कुछ कहना चाहते हैं, तो यदि आप अनुमति देंगे तो मैं बैठ जाऊँगा।

माननीय सभापति : मैं यह कह रहा हूँ कि क्या आपकी बात समाप्त हो गयी या और कुछ कहना है?

श्री थावरचंद गहलोत : मैं बैठने के लिए तैयार हूँ।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : श्री गहलोत जी हमेशा अग्रेसिव बात करते हैं क्योंकि वे अपनी बात बहुत ही ज़ोर से रखते हैं। अब तक जो सिडयुल्ड कास्ट, सिडयुल्ड ट्राइब्स और बैकवर्ड क्लास के लिए जो कुछ भी हुआ है, इन 60 वÂाों में, वह शायद इन दो वÂर्षों में ही पूरा हुआ है, ये ऐसी बात कहते हैं। मैं उनकी सराहना करता हूँ क्योंकि वे एक ऐसी पार्टी से आते हैं, जो पार्टी देश के लिए कुछ भी नहीं करती है, तो कम से कम ऐसी बातें कहकर छोड़ना चाहिए। मेरा एक खास मुद्दा यह है क्योंकि यदि आपने क्या किया और हमने क्या किया, यही बोलते रहें, तो उससे समस्या का समाधान नहीं होगा।

मेरे दो प्रश्न हैं। एक तो रिज़र्वेशन इन प्रमोशन की बात है। यह बहुत दिनों से पेंडिंग है। जब हमने यह बिल लाया, तो उसमें कभी एक पार्टी उसका सपोर्ट करती है, तो दूसरी पार्टी उसका विरोध करती है, वे चाहे इधर के सदस्य हों या उधर के सदस्य हों। जब रिज़र्वेशन इन प्रमोशन का बिल आया, तो अपोजीशन पार्टी के लोग उसे फाड़ दिये थे। यह बहुत-से लोगों को याद होगा। इसकी वजह से सेक्रेट्रिएट में एक भी सेक्रेट्री नहीं है। यदि सौ में से एक-आधा होगा, तो उसकी बात अलग है। सिडयुल्ड कास्ट, सिडयुल्ड ट्राइब्स और बैकवर्ड क्लासेज में भी चन्द लोग हैं, जो उँगलियों पर गिने जा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हैं। ...(व्यवधान) यह बहुत दिनों से है, आपके जमाने से और हमारे जमाने से ही है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। इसलिए इसकी जरूरत है, क्योंकि आपको मेजॉरिटी मिली है, जब मेजॉरिटी मिली आई है, तो उसका फायदा उठाकर, जब हम बाबा साहब डाक्टर अम्बेडकर जी की 125वीं जयन्ती मना रहे हैं, इसे लाने की कोशिश कीजिए और जो लोग मानते नहीं

हैं, उनको मनवाने की कोशिश कीजिए। जब कोई कानून बनता है, उसमें जब दूसरों की सहमति नहीं होती है तो सहमति बनाने के लिए थोड़ी कोशिश करनी पड़ती है। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि इसको आप मेहनत करके, प्रधानमंत्री जी को समझाकर इस कानून को लाएंगे, ऐसी मेरी आशा है। दूसरी चीज यह है...(व्यवधान)

माननीय सभापति : एक ही क्वेश्चन पूछिए।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: ठीक है, मैं बाकी प्रश्न छोड़ देता हूं। एक विÂषय बहुत इम्पोर्टेंट हैं और इसके लिए यह बहुत जरूरी है कि वह कदम उठाएं और बाकी चीजें मैं बोलना नहीं चाहता हूं।...(व्यवधान) ये सब झगड़े की बाते हैं। अगर आप बोलेंगे तो हमारे पास भी बहुत कुछ है। आडवाणी साहब ने पाकिस्तान जाकर सेकुलरिटी की बात कही, तो उनको किनारे कर दिया, अब तक उनका एड्रेस ही नहीं है। ...(व्यवधान) 65 साल से तिरंगा झण्डा है, आपके आने से नहीं लगा। अब बाबा साहब की यहां फोटो लगाकर पूजा कर रहे हैं। इसलिए मैं ये बातें नहीं कहना चाहता हूं। यह ज्यादा जरूरी है, आप इसके बारे में कदम उठाना और आपका जितना भी इनफ्लूएंस है, उसको इस्तेमाल कीजिए।

साध्वी सावित्री बाई फूले : माननीय मंत्री जी, मैं यह कहना चाहती हूं उत्तर प्रदेश में जितने लोगों का प्रमोशन से डिमोशन किया गया है, उस विÂषय पर भी विचार किया जाए और उसके बारे में कानून बनाकर पुनः उन लोगों का प्रमोशन कराएं।

माननीय सभापति : मैडम, आप बैठिए।

निशिकान्त दुबे जी, आप बोलिए।

श्री निशिकान्त दुबे : सभापति महोदय, 24 तारीख को मंत्री जी ने मेरे ही प्रश्न के उत्तर में बताया था कि वर्ष 2007 से नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफ इंडिया में यह चीज पेंडिंग है कि देश में ड्रग के एडिक्ट कितने हैं? इस देश में नशा लेने वाले कितने आदमी हैं, इसका कोई भी डाटा भारत सरकार के पास मौजूद नहीं है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि वÂर्ष 2007 में यह काम शुरू हुआ था, किसी न किसी वजह से यह काम रुकता रहा, अब वÂर्ष 2016 आ गया है। नौ वÂर्ष बाद क्या हमारी सरकार इस बारे में कोई सर्वे करेगी और सर्वे करके कब तक इसकी रिपोर्ट देगी कि इस देश में कितने नशाखोर हैं?

श्री थावर चंद गहलोत : महोदय, जब खड़गे साहब यहां आते हैं तो मुझे उनसे कुछ प्रेरणा मिल जाती है। वह भी अवसर आक्रामक होकर और गुस्सा करके बोलते हैं, जैसे ही मैं उनको आमने-सामने देखता हूं तो मैं सोचता हूं कि उनको उन्हीं की भाषा में जवाब दूं। इस कारण से थोड़ी ऊंची आवाज में बोल देता हूं, नहीं तो, मैं जो बोलता हूं, ठीक बोलता हूं। ...(व्यवधान)

श्री भर्तृहरि महताब : लेकिन आज उन्होंने कंस्ट्रक्टिव सजेशन दिया है।

श्री थावर चंद गहलोत : महोदय, आपने प्रमोशन में आरक्षण से संबंधित बात कही, सरकार प्रमोशन में आरक्षण की पक्षधर है। राज्य सभा में जब यह बिल आया था तो हम विरोध पक्ष में थे। अरुण जेटली जी ने और हम सभी ने मिलकर सरकार का सहयोग किया था और वहां प्रमोशन में आरक्षण का बिल पास हुआ था। जब वह बिल वहां से पास होकर यहां आया, यहां भी यूपीए की सरकार थी, यूपीए सरकार ने उस बिल को लाने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि आपकी पार्टी में भी बहुत लोग उसके पक्ष में नहीं हैं और इधर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो उसके पक्ष में नहीं हैं। इसलिए वातावरण बनाने की आवश्यकता थी, अभी भी वह आवश्यकता बरकरार है। अगर आप अपनी तरफ से भी वातावरण बनाएं, अगर सरकार को लिखकर दे दें कि कांग्रेस पार्टी प्रमोशन में आरक्षण की पक्षधर है तो हम जरूर उस पर गंभीरता से विचार करेंगे और उम्मीद है कि इस दिशा में आगे भी बढ़ेंगे, परन्तु इस वातावरण को ठीक करने के लिए हम सभी लोगों को प्रयास करना पड़ेगा।

महोदय, जहां तक सेक्रेटरी लेवल पर एससी-एसटी के लोगों की बात है, आपने कहा कि एससी का एक सेक्रेटरी है, बात सही है। अनुपातिक दÂिष्टकोण को ध्यान में रखें तो जनसंख्या के हिसाब से जितनी सीट्स हैं, उसके अनुसार 15 परसेंट एसी के और 7.5 परसेंट एसटी के होने चाहिए, लेकिन नहीं हैं। कहीं न कहीं व्यवस्था में यह जो खामियां हैं, यह लम्बे समय की हैं। इन खामियों को दूर करने के लिए भी एक-दूसरे का परस्पर सहयोग और समर्थन आवश्यक है। वह समर्थन न उधर से मिल रहा है और न इधर से मिल पा रहा है। इसका प्रमुख कारण है कि क्लास-वन पोस्ट में आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। यदि मैं यह कहूं कि आज की तारीख में तीन या चार सेक्रेटरी हैं तो गलत नहीं है। तीन-चार में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है और यह गम्भीर चिंता का विÂषय है। इसको ठीक किया जाना चाहिए और इसके लिए आप और हम सब मिलकर प्रयास करें, ईमानदारी से प्रयास करें तो मामला आगे बढ़ सकता है। मैं स्वयं इसका पक्षधर हूं।

महोदय, यहां जातिगत आधार पर जनगणना की बात भी आयी थी। जनगणना हुई है और इसके आंकड़े जारी करने के जो नियम-कायदे हैं, उसके अंतर्गत एक कमेटी बनायी गयी है। गृह मंत्रालय के पास वह मामला विचाराधीन है। गृह मंत्रालय इस पर विचार कर रहा है। हम लोग गृह मंत्रालय के संपर्क में हैं। समय आने पर उसको भी करने की कोशिश करेंगे।

महोदय, नशे में लिप्त लोगों के बारे में भी बात आयी है। हम लोग कोशिश करते रहते हैं। हमारा डीडीआरएस संगठन है। यह जिला लेवल पर है। यह सभी जिलों में नहीं है, परंतु करीब पौने तीन सौ जिलों में वह है और बाकी में एनजीओज़ वगैरह हैं, जिनके माध्यम से हम कोशिश करते हैं। लेकिन हमें इस बारे में एक कठिनाई आती है कि दारू पीने वाले लोगों से जब आप पूछते हैं कि आप दारू पीते हैं तो वह कहते हैं कि कौन नासमझ कहता है, जो कहता है, असत्य कहता है। यदि इस तरह का जवाब मिले तो आप क्या कर सकते हैं? उनको या तो जबरदस्ती पकड़ कर ले जाओ और उनकी इस आदत को दूर करो, तभी कुछ हो सकता है, अन्यथा पीने वाले तो ऐसे ही जवाब देते हैं, जो मैंने कहा है...(व्यवधान) यह मेरी भाÂषा नहीं है, मैंने जो अनुभव प्राप्त किया, वह बताया है कि जब हम किसी पीने वाले से पूछते हैं तो वह ऐसे ही जवाब देता है। मैंने कई लोगों को नशामुक्त कराने का प्रयास किया और पुलिस को बोला कि इन लोगों को नशामुक्ति केन्द्र में रखा जाए। उनको नशामुक्ति केन्द्र में भी रखा, वह फिर पी लेते हैं और कहते हैं कि नहीं पी है। इस तरह से कैसे सर्वे करेंगे। फिर भी हमने एक सर्वे एजेंसी निर्धारित की है जो सर्वे का कार्य कर रही है। हमारा निरंतर इस तरफ प्रयास चल रहा है।

इसी प्रकार से हम भिक्षावृत्ति रोकने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं, आप उसको अन्यथा न लें। दिल्ली के एक चौराहे पर जहां लाल बत्ती लगी रहती है, वहां एक बार हमारी गाड़ी रुकी हुई थी तो भीख मांगने वाला आया। हमने उसको कहा कि आप भिक्षावृत्ति छोड़ दो। वह बोला, क्यों छोड़ दें? हमने कहा कि आपको नौकरी दिला देंगे। वह बोला आप क्या देंगे? हमने कहा कि आपको दो सौ रुपये रोज़ दिला देंगे या जो भी कलेक्टरेट का रेट होगा। वह बोला तुम हम से तीन सौ रुपये रोज़ ले लो। उन्होंने आगे बताया कि साहब तुला राम मार्ग चौराहे की यह लाइट एक दिन में हजार बार लाल होती है। एक बार में हमको कम से कम दो हजार रुपये मिलते हैं तो दो हजार रुपये या चार हजार रुपये एक दिन में हो जाते हैं। आप दो-चार सौ रुपये की बात कर रहे हैं। हमने इसको दूर करने का प्रत्यक्ष प्रयास किया है, लेकिन उन लोगों ने जो जवाब दिया, वह मैं सदन से शेयर कर रहा हूं। यह बहुत ही कठिन काम है। इसके लिए कानून है कि इनको पकड़ कर जेल में डाल दो। लेकिन जेल में डालने से कोई समाधान नहीं हो रहा है। यह विÂाय राज्य सरकार के अधीन आता है। राज्य सरकार को इस संबंध में काम करना चाहिए। फिर भी हम सुधार गृह बनाने की दÂिष्ट से उपाय सोच रहे हैं और इस दिशा में हम आगे भी प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद।

HON. CHAIRPERSON: Shri Rajeev Satav, are you pressing your cut motion?

SHRI RAJEEV SATAV (HINGOLI): I am pressing my cut motion.

HON. CHAIRPERSON: I shall now put cut motion No. 1 moved by Shri Rajeev Satav to the vote of the House.

The cut motion was put and negatived.

HON. CHAIRPERSON: I shall now put cut motion No. 8 moved by Shri Ravneet Singh Bittu to the vote of the House.

The cut motion was put and negatived.

HON. CHAIRPERSON: I shall now put the Demands for Grants relating to the Ministry of Social Justice and Empowerment to the vote of the House.

The question is:

"That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the fourth column of the Order Paper be granted to the President out of the Consolidated Fund of India, to complete the sums necessary to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 2017, in respect of the heads of Demands entered in the Second column thereof against Demand Nos. 82 and 83 relating to the Ministry of Social Justice and Empowerment."

Demands for Grants (General), 2016-17 in respect of Ministry of Social Justice and Empowerment voted by Lok Sabha

No. of Demand	Name of Demand	Amount of Demands for Grants on Account voted by the House on March 2016		Amount of Demands for Grants voted by the House	
1	2	3		4	
		Revenue (Rs.)	Capital (Rs.)	Revenue (Rs.)	Capital (Rs.)
82	Department of Social Justice and Empowerment	1037,83,00,000	56,50,00,000	5189,12,00,000	282,50,00,000
83	Department of Empowerment and Persons with Disabilities	125,59,00,000	5,00,00,000	627,97,00,000	25,00,00,000

The motion was adopted.

HON. CHAIRPERSON: The Demands for Grants relating to the Ministry of Social Justice and Empowerment are passed.

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि आइटम नम्बर -23 ज्यादा इम्पार्टेंट है, इसलिए इसे पहले ले लिया जाए और आइटम नम्बर - 21 और 22 उसके बाद ले लें, मैं हाउस से यही रिक्वैस्ट करना चाहता हूं।

16.16 hours

(ii)Ministries of Civil Aviation and Tourism